लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

Gazettes & Debates U
Parliament Library Buil
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 22, मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1964/24 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
505	बन्दरगाहों पर मशीनों के द्वारा अनाज का लादना व उतारना .	1953–55
506	भारत लंका विमान सेवा	1955–57
507	अनाज का राशनिंग	1957–62
508	चीनी का उत्पादन	1963–66
509	खुजराहों में विमान पट्टी	1966–68
510	हवाई अड्डों पर यात्री सुविधायें	1968–70
511	बाल अपराध	1970–73
512	भाड़े पर अधिभार	1973–74
513	चीनी मूल्य जांच आयोग	1974–76
515	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली . .	1976

अल्प सूचना प्रश्न—

संख्या		
4	उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की कमी	1977–79
5	चीनी मिलों में संकट	1979–81

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
514	वनस्पति घी	1981–82
516	नदियों की नौगम्यता . .	1982
517	पशु-चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा	1982–83
518	नौवहन विकास निधि	1983

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 22, *Tuesday, December* 15, 1964/*Agrahayana* 24, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*	*Subject*	*Pages*
505	Grain Handling Mechanisation at Ports	1953–55
506	Indo-Ceylon Air Service	1955–57
507	Rationing of Foodgrains	1957–62
508	Production of Sugar	1963–66
509	Airstrip at Khajuraho	1966–68
510	Passenger Facilities at Airport	1968–70
511	Juvenile Delinquency	1970–73
512	Surcharge on Freight	1973–74
513	Sugar Price Enquiry Commission	1974–76
515	Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	1976

SHORT NOTICE QUESTIONS—

Nos.		
4	Scarcity of Foodgrains in Uttar Pradesh	1977–79
5	Crisis in Sugar Mills	1979–81

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
514	Vanaspati Ghee	1981–82
516	Navigability of Rivers	1982
517	Veterinary Education	1982–83
518	Shipping Development Fund	1983

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
519	दिल्ली में स्कूटर-रिक्शा चालकों द्वारा हड़ताल	1983
520	सामुदायिक विकास खण्डों का सर्वेक्षण	1983–84
521	ट्रैक्टरों की आवश्यकता	1984
522	शरारती बच्चों सम्बन्धी प्रतिवेदन	1984–85
523	पी० एल० 480 करार	1985
524	दिल्ली में चावल का न मिलना	1985
525	चने और मोटे अनाज की कमी	1985–86
526	कलकत्ता बन्दरगाह	1986
अतारांकित प्रश्न संख्या		
1360	कृषकों की ऋण की आवश्यकता	1987
1362	मूंगफली से तेल निकालने के कारखाने	1988
1363	वन उत्पादनों के मूल्य	1988
1364	उड़ीसा में खादी तथा ग्रामोद्योग	1988
1365	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुएं	1888–89
1366	लघु सिंचाई योजनायें	1989–90
1367	बाल शिक्षा	1990–91
1368	केरल में बागानों तथा दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी	1991
1369	दिल्ली चिड़ियाघर	1992
1370	सघन कृषि कार्यक्रम	1992
1371	दिल्ली में दुग्ध केन्द्र	1992
1372	अमरीका से मंगाई गई भेड़ें	1983
1373	सिंचाई योजना	1993
1374	क्षतिकारक घास पात पर ोध	1993–94
1375	दिल्ली जोरहाट विमान सेवा	1994
1376	खेती पर खर्च	1994–96
1377	उपभोक्ता सहकारी भंडार	1997–98
1378	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में विधि विभाग	1998–99
1379	पंजाब में खादी तथा ग्राम उद्योग	1999
1380	पंजाब का खादी बोर्ड	1999
1381	नल-कूप	1999

Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
519	Strike by Scooter Rickshaw Drivers	1983
520	Survey of Community Development Blocks	1983–84
521	Requirements of Tractors	1984
522	Report on Problem Children	1984–85
523	P. L. 480 Agreement	1985
524	Non-Availability of Rice in Delhi	1985
525	Shortage of Gram and Coarse Grain	1985–86
526	Calcutta Port	1986
Unstarred Question Nos.		
1360	Credit Requirement of Agriculturists	1987
1362	Groundnut Oil Expeller Plants	1988
1363	Prices of Forest Produce	1988
1364	Khadi and Village Industries in Orissa	1988
1365	Wells for S. C. & S. T. in Orissa	1988–89
1366	Minor Irrigation Schemes	1989–90
1367	Children Education	1990–91
1368	Plantation and Shop Workers in Kerala	1991
1369	Delhi Zoological Park	1992
1370	Intensive Agricultural Programme	1992
1371	Milk Booths in Delhi	1992
1372	Sheep from U.S.A.	1993
1373	Irrigational Planning	1993
1374	Research on Noxious Weeds	1993–94
1375	Delhi Jorhat Air Service	1994
1376	Expenditure on Agriculture	1994–96
1377	Consumer Co-operative Store	1997–98
1378	Legal Cell in Ministry of Food and Agriculture	1998–99
1379	Khadi and Village Industries in Punjab	1999
1380	Khadi Board, Punjab	1999
1381	Tube-wells	1999

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1382	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों का स्थायीकरण	2000
1383	पत्तों से बनी खाद	2000
1384	गोदामों की सुविधाओं का उपयोग	2000
1385	कृषि उत्पादन का सहकारी आधार पर क्रय-विक्रय	2001
1386	हिन्दु धर्म सम्बन्धी धर्मस्व आयोग	2001–02
1387	खेती के औज़ारों की सप्लाई	2002
1388	सहकारी बैंक	2002
1389	पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा	2002–03
1390	दिल्ली-मद्रास कैरेबिल सेवा	2003
1391	कर्मचारी भविष्य निधि योजना	2003–04
1392	राष्ट्रीय राजपथ	2004
1393	निम्बू घास तेल	2004
1394	पोप द्वारा गेहूं का उपहार	2004–05
1395	पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	2005
1396	पिछड़ी जातियां	2005
1397	दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता	2006
1398	गोबध	2007
1399	पंजाब में खाद्य उत्पादन	2007
1400	पंजाब में आटे की चक्कियों के लिए गेहूं	2007–08
1401	कृष्य भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग	2008
1402	अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	2009
1403	आदिवासी	2009
1404	एग्मार्क घी	2010
1405	सड़क परिवहन	2010
1406	पोलैंड से ट्रैक्टर	2010–11
1407	कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि योजनाओं का एकीकरण	2011
1408	कीटनाशक दवाइयां छिड़कना	2011–12
1409	चीनी उत्पादन की क्षमता	2012
1410	चाय, कहवा और रबड़ के लिये उर्वरक	2012–13

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1382	Confirmation of Staff of D.M.S.	2000
1383	Manure from Leaves	2000
1384	Utilisation of Storage Facilities	2000
1385	Co-operative Marketing of Agricultural Produce	2001
1386	Hindu Religious Endowments Commission	2001–02
1387	Supply of Agricultural Implements	2002
1388	Co-operative Banks	2002
1389	Foreign Exchange earned from Tourists	2002–03
1390	Delhi Madras Caravelle Service	2003
1391	Employees Provident Fund Scheme	2003–04
1392	National Highways	2004
1393	Lemon Grass Oil	2004
1394	Gift of Wheat by the Pope	2004–05
1395	Welfare of Backward Classes	2005
1396	Backward Classes	2005
1397	Milk Yield Competition	2006
1398	Cow Slaughter	2007
1399	Food Production in Punjab	2007
1400	Wheat for Flour Mills in Punjab	2007–08
1401	Use of Agricultural Land for Other Purposes	2008
1402	Welfare of S.T.s	2009
1403	Adivasis	2009
1404	Agmark Ghee	2010
1405	Road Transport	2010
1406	Tractors from Poland	2010–11
1407	Merger of Employees' State Insurance and Provident Fund Schemes.	2011
1408	Sprinkling of Insecticides	2011–12
1409	Sugar Production Capacity	2012
1410	Fertilizers for Tea, Coffee and Rubber	2012–13

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1411	दुर्गापुर-कलकत्ता एक्स्प्रेस राजपथ	2013
1412	मरुस्थल की समस्याएं	2013–14
1413	परिसीमन आयोग की पश्चिम बंगाल में बैठकें	2014–15
1414	विस्थापित हरिजन और आदिम जाति के लोग	2015
1415	पम्बन के ऊपर पुल	2015–16
1416	दिल्ली में मिलावटी चीजों की बिक्री	2016
1417	केरल में आदिम जाति विकास खंड	2016
1419	पशुओं की नस्ल में सुधार	2016–17
1420	चीनी के कारखाने	2017
1421	हलदिया में मछली पकड़ने की पत्तन	2017
1422	मध्य प्रदेश में चावल की मिलें	2018
1423	खाद्यान्न का आयात	2018
1424	सहायक खाद्य	2018

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोयम्बटूर कैम्प में शरणार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के समाचार

श्री स० मो० बनर्जी 2019

श्री त्यागी 2019–20

सभा पटल पर रखे गये पत्र 2020

राज्य सभा से संदेश 2020

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन के बारें में प्रस्ताव—

श्री अ० कु० सेन 2021–25

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सोंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव

श्री मु० क० चागला 2025–27

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा 2027–28

श्री सुमत प्रसाद 2028–29

श्री श० ना० चतुर्वेदी 2029

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1411	Durgapur Calcutta Express Highway . .	2013
1412	Problems of Arid Zone	2013–14
1413	Meetings of Delimitation Commission in West Bengal .	2014–15
1414	Displaced Harijans and Tribals .	2015
1415	Bridge over Pamban . . .	2115–16
1416	Sale of Adulterated Sugar in Delhi .	2016
1417	Tribal Development Blocks in Kerala .	2016
1419	Upgrading of Cattle . .	2016–17
1420	Sugar factories . . .	2017
1421	Fishing harbour in Haldia	2017
1422	Rice Mills in Madhya Pradesh . . .	2018
1423	Import of Foodgrains .	2018
1424	Subsidiary Food . .	2018

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Reported firing by police on refugees in Coimbatore camp

Shri S. M. Bannerjee 2019

Shri Tyagi 2019–20

PAPERS LAID ON THE TABLE 2020

MESSAGES FROM RAJYA SABHA . 2020

MOTION RE: TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—

Shri A. K. Sen 2021–25

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

Motion to Concur in Rajya Sabha Recommendation to Refer to Joint Committee

Shri M. C. Chagla 2025–27

Shri Narendra Singh Mahida 2027–28

Shri Sumat Prasad 2028–29

Shri S. N. Chaturvedi 2029

विषय	पृष्ट
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	2020–30
श्री दी० चं० शर्मा	2030–31
श्री च० का० भट्टाचार्य	2031
श्री काशीराम गुप्त	2031–32
श्री रविन्द्र वर्मा	2033–34
श्री अ० ना० विद्यालंकार	2034–35
डा० राम मनोहर लोहिया	2035–36
डा० मा० श्री० अणे	2036–37
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	2037

Subject	*Pages*
Shri Surendranath Dwivedy	2029–30
Shri D. C. Sharma	2030–31
Shri C. K. Bhattacharyya	2031
Shri Kashi Ram Gupta	2031–32
Shri Ravindra Varma	2033–34
Shri A. N. Vidyalankar	2034–35
Dr. Ram Manohar Lohia	2035–36
Dr. M. S. Aney	2036–37
Shrimati Lakshmikanthamma	2037

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिये गये भाषणों आदि का हिंदी/अंग्रेजी म अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK-SABHA

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1964/24 अग्रहायण, 1886 (शक)

Tuesday, December 15, 1964/*Agrahayana* 24, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि जब मैं सदन में प्रवेश करके माननीय सदस्यों एवं इस गरिमामय सभा के सम्मुख खड़ा होऊं तो शान्ति रहनी चाहिये क्योंकि यहां पर हम एक पवित्र कार्य के लिये एकत्रित होते हैं जिसकी महिमा को हमें बनाये रखना चाहिये।

संचार मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : यह एक गलती हुई है जो कि किसी बुरी भावना से नहीं की गई।

श्री प्र० के० देव : सभा की कार्यवाही प्रार्थना से प्रारम्भ करने की बात पर विचार किया जा सकता है।

बन्दरगाहों पर मशीनों के द्वारा अनाज का लादना व उतारना

\+

*505. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी श्रमिकों के नेताओं ने, विशेषकर बम्बई में, बन्दरगाहों पर मशीनों के द्वारा अनाज के लादने व उतारने की योजना का विरोध किया है ; और

(ख) क्या इस बारे में उन्होंने सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० दा० रा० चव्हाण) : (क) गेहूं का आयात अधिकांशत: टंकी जहाजों से किया जाता है जिनसे माल टेक क्रेनों और जहाज़ पर काम करने वाले मजदूरों से नहीं उतारा जा सकता है। इसीलिये, मजदूर टंकी जहाज़ों से मशीनी उपकरणों द्वारा माल उतारने पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। तथापि, वे आम तौर पर ड्राई कारगों जहाज से मशीनी उपकरणों द्वारा माल उतारने और साइलो के निर्माण तथा बोरियां भरने, मानकीकरण आदि अन्य कामों के लिये भी मशीनों का प्रयोग करने सम्बन्धी कामों जिन्हें वे समझते हैं कि इनसे उनके रोज़गार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, का विरोध करते हैं।

(क) पिछले कुछ दिनों में कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन सरकार इस प्रश्न पर मज़दूरों के सामान्य विचारों से परिचित है । तथापि, बढ़ते हुए आयात और विभिन्न बन्दरगाहों पर सुविधापूर्वक तथा तत्परता से अनाज उतारने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिये भविष्य में कुछ हद तक यन्त्रीकरण करना अपरिहार्य हो सकता है । अन्य सेवाओं से निकाले गए ऐसे मजदूरों को नौकरी दिलाने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस यंत्रीकरण के लिये मशीनों का आयात विदेशों से किया जायेगा अथवा देश में ही उनका निर्माण किया जायेगा ।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमन्, इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति मुझे दी जाये । जब हम अनाज को उतारने के काम को मशीनों द्वारा करना चाहेंगे तो प्रारम्भ में हमें इसके लिये बहुत सी मशीनों का विदेशों से आयात करना पड़ेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या श्रमिकों की कुछ सहकारी संस्थायें बनाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं जिससे कि ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के हित में कार्य न किये जाने के कारण बार बार पैदा होने वाली यह श्रमिकों सम्बन्धी गड़बड़ी . . .

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है, इसका यंत्रीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : तो फिर मैं यह जानना चाहूंगी कि माल लादने व उतारने के कार्य को मशीनों से न होने देने के लिये क्या श्रमिक सहकारी संस्थायें स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार यह चाहती है कि यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाने लगे, तो फिर वे इसे क्यों नहीं होने देंगे ?

श्रीमती यशोदा रेड्डी : इस यंत्रीकरण के न होने के कारण गोदियों पर कितना अनाज रुका पड़ा है ?

श्री राज बहादुर : मशीनों की सहायता से माल उतारने का कार्य जल्दी हो जाता है और हम एक जहाज को कम दिनों तथा कम घंटो में खाली कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह नहीं कह सकते कि कोई जहाज इस कारण रुका पड़ा है । माल को उतारने के कार्य की गति में अन्तर होता है ।

Shri M. L. Dwivedy : Have Government tried to see that the required machinery is manufactured indigenously rather than importing it from abroad, keeping in view the continuous process of our imports?

Shri Raj Bahadur : This is second stage.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रमिक-नेताओं द्वारा इस योजना का विरोध किये जाने का कारण यह है कि इसके लागू होने से मानवीय श्रम की आवश्यकता नहीं रहेगी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये गये हैं कि श्रमिकों को इस कार्य के स्थान पर अन्य कार्य मिल जाये ?

श्री राज बहादुर : इस सारे मामले पर श्रमिकों के नेताओं के साथ बातचीत की जा रही है । हम भी इस बारे में चिन्तित हैं और इसके लिये प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं कि मशीनों से कार्य प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप श्रमिक लोग अनावश्यक रूप से बेकार न हो जायें । इसीलिये हमने यह कहा है कि यंत्रीकरण इस प्रकार किया जायेगा कि इससे विद्यमान श्रमिकों को कोई कष्ट न हो ।

Shri J. P. Jyotishi : May I know from the Hon. Minister that though the labour leaders have opposed mechanisation, have they given an assurance that during the period of crisis, when speedy unloading becomes absolutely necessary, the work will not be hampered?

Shri Raj Bahadur : I will not say this that they have opposed it properly, but they have got certain apprehensions and fears which we will have to remove. As far as out-turn is concerned, our effort is to obtain maximum out-turn.

श्री हिम्मतसिंहजी : अनाज के उतारने के मामले में कांडला बन्दरगाह में मशीनों से कितना कार्य लेना प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्री राज बहादूर : हम यह कार्य कर रहे हैं। इसके लिये हमें साइलोज़, पम्प्स, इंवेकुएटर्स और इस कार्य से सम्बन्धित अन्य चीज़ें रखनी पड़ती है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मशीनों से कार्य करने से माल उतारने का कार्य कितनी अधिक जल्दी होने लगेगा ?

श्री राज बहादूर : टनों में तो मैं इसे नहीं बता सकता; परन्तु इससे कार्य की गति बहुत बढ़ जायेगी।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने श्रमिकों के नेताओं द्वारा प्रकट किये गये विरोध की सांकेतिक बात को समझा है, अर्थात् यह कि हमारे औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय हित की अपेक्षा संगठित श्रम का महत्व अधिक है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राज बहादूर : मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे श्रमिक नेता अथवा संगठित श्रमिक इतने पिछड़े हुए हैं। जैसा कि मैं उनके बारे में जानता हूं, वे लोग पत्तन के यंत्रीकरण के विरोधी नहीं हैं। परन्तु वास्तव में वे यह चाहते हैं कि विद्यमान श्रमिक बेकार न हो जायें और यंत्रीकरण का उनकी मजूरी पर प्रभाव न पड़े। हमारी भी इच्छा यही है।

श्री कपूर सिंह : क्या मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को नहीं समझे हैं अथवा मैं उनके उत्तर को नहीं समझा हूं ?

Shri K. N. Tiwary : What was the extent of total financial loss, payment of demurrage etc., due to delay in unloading?

Mr. Speaker : This is a different question.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इसके लिये मुझे पृथक् से विधिवत् पूर्व सूचना दी जाये।

भारत-लंका विमान सेवा

\+

*506. **श्री भगवत झा आजाद :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान विमान सेवाओं के बारे में भारत और लंका के बीच एक करार हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ानों की संख्या, एक दूसरे के विमानों की देखभाल, होने वाली आय तथा तकनीकी सहयोग के बारे में किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) : (क) मद्रास/कोलम्बो मार्ग पर इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर सीलोन की आय को सम्मिलित रुप से इकट्ठा करने और विमान सेवाओं की आवृत्तियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 17 अक्टूबर, 1964 को नयी दिल्ली में एक क़रार पर हस्ताक्षर हुये ।

(ख) इस करार के मुताबिक, मद्रास/कोलम्बो मार्ग पर एयर सीलोन लिमिटेड अवरो–748 वायुयान से तीन उड़ानों और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन वाइकाउण्ट वायुयान से इतनी ही उड़ानें परिचालित करेगा । इन परिचालनों से होने वाली आय इकट्ठी की जायेगी और उसे प्रस्तुत आयभार के अनुपात से बांट दिया जायेगा । करार में यह व्यवस्था भी की गयी है कि भारत और लंका के बीच कोई भी दूसरे परिचालन परस्पर सलाह करने के बाद पूल प्रबन्ध के अन्तर्गत लाये जा सकते हैं । विमानों की देखभाल के बारे में एक करार के मसौदे पर विचार किया जा रहा है । तकनीकी सहयोग के लिए अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : अन्य विमान सेवाओं के सम्बन्ध में हमने समूहीकरण के लिये जो व्यवस्था की थी उससे हुए अनुभव के परिणामस्वरूप क्या मैं जान सकता हूं कि इस करार से हमे कितना वित्तिय लाभ होने की सम्भावना है ?

श्री कानूनगो : जब तक करार पर एक वर्ष तक अमल न कर लिया जाये, इस बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भागवत झा आजाद : इस करार के परिणामस्वरूप जो व्यवस्था होगी और इस पर हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व जो व्यवस्था थी जिसका कि सरकार को अनुभव है, उन दोनों में क्या अन्तर होगा ?

श्री कानूनगो : यह स्पष्ट है कि जहाँ आय सम्मिलित रूप से एकत्रित की जाती है और परस्पर परामर्श होता है ऐसी विमान सेवा दो स्वामियों की एक सेवा के समान होती है । विमान सेवा से होने वाली आय को प्रस्तुत आयभार के अनुपात से बाँट दिया जायेगा जो कि एक ही वायुमार्ग पर दो विमान सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा होने से कहीं अच्छा है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत और लंका के बीच विमानों की उड़ानों के सम्बन्ध में की गई नई व्यवस्था के परिणामस्वरूप जो अधिक सुविधायें प्राप्त होंगी उनके अतिरिक्त सरकार को इससे क्या अधिक व्यय में बचत होने की आशा है ?

श्री कानूनगो : जैसा की मैं बता चुका हूँ, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता । परन्तु एक बात स्पष्ट है कि एक ही वायुमार्ग पर प्रतिस्पर्द्धात्मक सेवाओं के चलने के स्थान पर एक समूचे रूप से विमान सेवा चलाई जायेगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : "इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन" और "एअर सिलोन" के बीच आय को सम्मिलित रूप से एकत्रित करने की नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है ?

श्री कानूनगो : पहली व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक की पृथक पृथक आय रखी जाती थी परन्तु नवीन व्यवस्था के अधीन आय सम्मिलित रूप से एकत्रित की जायेगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : भारत सरकार का लंका सरकार से किस प्रकार का प्रतिधिक सहयोग लेने का विचार है और वह सहयोग कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री कानूनगो : इस प्रश्न पर बातचीत की जा रही है कि "एयर सिलोन" की ओर से भारत में कुछ इंजीनियरी सेवाओं को "इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन" अपने हाथ में ले ले और इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन की ओर से "एअर सिलोन लंका" मे कुछ इंजीनियरी सेवाओं तथा यातायात सेवाओं आदि को अपने हाथ में ले ले । इन मामलों पर अभी बातचीत ही की जा रही है ।

Shri Gulshan : Will the passengers travelling by these air services from India to Ceylon and *vice versa* be required to obtain passports?

Shri Kanungo : Passports will be required.

Shri Yashpal Singh : What has been the increase in the frequency of the air flights under this new agreement?

Shri Kanungo: Air Ceylon will be operating three flights and Indian Air Lines Corporation will also operate equal number of flights. Previously we were probably operating two flights; I am not sure of that.

श्री प्र० के० देव : इस समझौते के करने से पहिले हमने जो एअर इंडिया के बी० ओ० ए० सी० और क्वान्टाज़ के साथ सम्मिलित उडाने करने के समझौते किये थे उनमें हमारा क्या अनुभव रहा है ? यदि वह प्रोत्साहनजनक था तो फिर यह हमारा दूसरा प्रयोगात्मक समझौता होगा जो कि एयर सिलोन के साथ किया जा रहा है ?

श्री कानुनगो : वह बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है और यह इससे स्पष्ट है कि हमे उनमें प्रतिस्पर्द्धा के स्थान पर उन एयर लाइनों से सहयोग मिल रहा है ।

श्री प्र० के० देव : क्या वह प्रोत्साहनजनक है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि वह बहुत ही प्रोत्साहनजनक रहा है ।

Shri D. N. Tiwary : The Hon. Minister has stated that until the agreement had worked for one year, its prospects of our financial revenues could not be forecasted. May I know whether no assessment of our financial revenues was made before entering into this agreement with the Air Ceylon?

Shri Kanungo : Air services of Air Ceylon and I.A.C. were already being operated. But a cooperative service has been introduced under this new agreement.

अनाज का राशनिंग

\+

*507. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
डा० श्रीनिवासन :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ह० चं० सोय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सेवक यादव :

*507. श्री कजरोलकर :
श्री सेझियान :
श्री ब० कु० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पांड्ये :
श्री विश्वनाथ पांण्डेय :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री नम्बियार :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री तन सिंह :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री जेना :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का राशनिंग करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या राशनिंग की इस योजना का कुछ राज्यों ने विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों ने इसके लिये क्या कारण दिये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) जी नहीं। केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था जारी रखने और कलकत्ता में सांविधिक राशनिंग लागू करने का निर्णय किया गया है। जहां तक 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले अन्य नगरों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि यदि वे ऐसे नगरों में राशन व्यवस्था लागू करना चाहें तो लागू कर सकती हैं।

Shri M. L. Dwivedy : How many States are in favour of having statutory rationing and how many of them desire to continue with the voluntary rationing?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : उन नगरों में राशन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और ऐसे नगरों की संख्या आठ है तथा वे समस्त देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं। जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया जा चुका है, यह बात राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि यदि वे ऐसे नगरों में राशन व्यवस्था लागू करना चाहें तो कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कितने राज्य राशन व्यवस्था के पक्ष में है और कितनों ने इसका विरोध किया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सार्वत्रिक राशन व्यवस्था का आम तौर पर विरोध किया गया है परन्तु अधिकांश राज्य सरकारों अनौपचारिक राशन व्यवस्था के प्रश्न में हैं।

Shri M. L. Dwivedy : May I know whether the fair price shops for rationing opened by Government are deemed necessary only in big cities and not in rural areas where there is inadequate agricultural production, where most of the cultivators are landless, where there are landless labourers and where foodgrains are not available at cheap rates?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को, विशेषतया अनाज की कमी वाले राज्यों को, आयात किये गये गेहूं और चावल का तथा देश मे एकत्रित किये गये चावल का कोटा निर्धारित करके दे देती है यह निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है कि वे उसका किस प्रकार तथा किन स्थानों पर वितरण करें।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में राशन व्यवस्था लागू कर दी गई वहाँ के लोगों में इस बात के प्रति बडा भारी रोष है कि उन्हें जो राशन दिया जाता है उसकी मात्रा नगरों के लोगों को दिये जाने वाले राशन की मात्रा से बहुत कम है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केरल के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई राशन व्यवस्था लागू नहीं की गई है। उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर कुछ निश्चित मात्रा में अनाज का विक्रय किया जाता है।

श्री रा० गि० दुबे : कलकत्ता नगर में, जहाँ कि सार्वत्रिक राशन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है, प्रति व्यक्ति कितना अन्न दिया जायेगा, कौन कौन सा अनाज दिया जायेगा तथा इस व्यवस्था का कितना भार केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कलकत्ता में प्रति व्यक्ति 12 औंस अन्न—जिसमें 7 औंस चावल तथा 5 औंस गेहूं होगा—देने का प्रस्ताव है ; इसके लिये यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होगा कि वहाँ पर हर समय खाद्यान्न का स्टाक उपलब्ध हो।

Shri Yashpal Singh : What rationing arrangement is being made for those cultivators from whom their wheat production was purchased at the rate of Rs. 18 per maund and who are now purchasing it at the rate of Rs. 40 per maund for their own consumption?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न यहाँ पर नहीं उठता। यह देश में लागू की जाने वाली राशन व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

Shri Yashpal Singh : Are those cultivators not covered by rationing from whom their foodgrains were purchased?

श्री कपूर सिंह : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । जब एक प्रश्न की अनुमति दे दी गई है तो क्या एक मंत्री महोदय का यह कहना न्यायसंगत है कि वह प्रश्न यहाँ पर नहीं उठता ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री अपनी राय देता है अथवा यह अभ्यावेदन करता है कि उस प्रश्न की अनुमति न दी जाये । यदि मैं उसकी बात से सहमत होता हूँ तो मैं अगले प्रश्न पर चला जाता हूँ और यदि नहीं तो मैं उसे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहता हूँ ।

श्री कपूर सिंह : उन्होनें कोई अभ्यावेतन नही किया उन्होनें यह बात दृढतापूर्वक कही थी जिसका कि मैंने विरोध किया है ।

श्री हनुमन्तैया : इस प्रकार तो माननीय सदस्य अध्यक्ष के विनिर्णय का विरोध कर रहेहैं ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय की अभ्यावेदन कर सकते है ।

श्री अ० प्र० जैन : जब केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू की गई थी उस समय केरल सरकार के पास गेहूं और चावल का कितना स्टाक था और क्या उपयुक्त वितरण व्यवस्था स्थापित करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया था और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उस समय हमें वहाँ पर विद्यमान स्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ा था । साथ वाले राज्यों से, न तो मद्रास से और न आँध्र से वहाँ पर अनाज आ रहा था ।

श्री रंगा : क्यों ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसलिये हमें शीघ्रतापूर्वक यह निर्णय लेना पड़ा कि अन्न की जो मात्रा हमारे पास उपलब्ध है उसका सर्वोत्तम ढंग से वितरण किस प्रकार किया जाये । पीछे की घटनाओं के आधार पर, मैं अब भी यह समझता हूँ हमने केरल में जो अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू की थी उससे वहाँ स्थिति बिगड़ने से बच गई, अन्यथा तो वहाँ पर अराजकता फैल जाती ।

श्री अ० प्र० जैन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । वह विशिष्ट था ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है । हमारा प्रश्न आम है । प्रश्न केरल के बारे में नहीं हैं ।

श्री अ० प्र० जैन : मंत्री महोदय ने केरल का उल्लेख किया था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल यह कहा था कि केरल मे राशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, अन्य राज्यों में नहीं ।

Shri Bibhuti Mishra : Government have proposed to introduce rationing in cities with a population of one million or over. In such cities there are millionaires and big capitalists. Whether this benefit of rationing will be available to those people also or some income limit has been fixed beyond which this benefit will not be available? If this is meant for low income group people, then why this system is not being introduced in rural areas?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के दूसरे भाग में तर्क किया गया है; प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे दिया जाये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : किसी नगर में केवल कुछ ही लखपति लोग होते हैं । राशनिंग व्यवस्था आम जनता के लाभ के लिये है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकारने शेती वितरण व्यवस्था की कोई मोटी रूपरेखा तैयार की है जो कि अनाज व्यापारियों की बाधा डालने वाली तथा सहयोग न देने की नीति को समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जानी चाहिये ? यदि हाँ, तो वह क्या है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने यह नीति निर्धारित की है कि विभिन्न स्थानों पर, विशेषतया बड़े नगरों में इस कार्य के लिये दुकानें खोली जानी चाहिये । जब आइडेन्टिटी कार्ड वितरित किये जाते है तो प्रत्येक दुकान के लिये एक सीमित संख्या मे कार्ड निर्धारित करने का प्रयत्न किया जाता है । इस प्रकार हम इस समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात पर विरोध प्रगट किया है कि वह उड़ीसा से कलकत्ता मे चावल नहीं आने दे रही है, जो कि कलकत्ता मे राशन व्यवस्था लागू करने के लिये आवश्यक है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि चावल के मामले में प्रत्येक राज्य एक पृथक क्षेत्र समझा जायेगा । इसलिये उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को चावल के निर्बंध रूप से भेजे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । हमारी उड़ीसा में चावल का समाहार करते हैं और यह उत्तरदायित्व हमने अपने ऊपर ले लिया है कि हम उसे पश्चिम बंगाल को दें ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार जो कुछ कर रही है उसके प्रति क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना विरोध प्रगट किया है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं । जब यह निर्णय लिया गया था तो पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री महोदय भी उपस्थित थे ।

श्री हेम बरुआ : अमरीकी गोदी श्रमिकों ने हाल में जो हड़ताल की धमकी दी है जिससे कि पी० एल० 480 करार के अधीन इस देश को मिलने वाले खाद्यान्न के सम्भरण पर प्रभाव पड़ सकता है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हमको यह आश्वासन देने की स्थिति में है कि जिन क्षेत्रों में राशन व्यवस्था लागू कर दी गई है वहाँ पर खाद्यान्न का निरन्तर सम्भरण किया जाता रहेगा, क्योंकि राशनिंग व्यवस्था में यह पूर्वानुमान किया जाता है कि राशन वाले क्षेत्रों को खाद्यान्न का निरन्तर सम्भरण होता रहेगा ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहाँ तक कलकत्ता की सांविधिक राशन व्यवस्था का सम्बन्ध है वहाँ पर खाद्यान्न के सम्भरण का उत्तरदायित्व हमने अपने ऊपर ले लिया है और मुझे आशा है कि हम कलकत्ता को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का सम्भरण कर सकेंगे मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि अमेरिका में हड़ताल हो गई तो इसका खाद्यान्न सम्भरण पर प्रभाव पड़ेगा । फिर हमें इसके स्थान पर हमे कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणुका राय : कलकत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुल कितने गेहूं और कितने चावल की आवश्यकता है जिसके सम्भरण के लिये केन्द्रीय सरकार ने गारन्टी दी है ? क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें सांविधिक राशन व्यवस्था योजना में इसलिये सम्मिलित नहीं होना चाहतीं कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है कि केन्द्रीय सरकार उन्हें अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न का सम्भरण कर सकेगी ?

श्री रंगा : केवल कुछ राज्य सरकारें ही नहीं, अपितु लगभग सभी ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केन्द्रीय सरकार तो चावल अथवा गेहूँ का उत्पादन नहीं करती हैं । हम बाहर से गेहूँ माँगते हैं और जितना देश में एकत्रित कर सकते हैं वह भी करते हैं और फिर उस स्टाक से राज्यों को उसे देते हैं, और इसी की गारंटी दी गई है । मुख्य मंत्रियों का आम तौर पर यह विचार है कि सांविधिक राशन व्यवस्था को लोक पसन्द नहीं करेंगे ।

श्रीमती रेणुका राय : कलकत्ता के लोगों के लिये कुल कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

Shri Rameshwaranand : Government have proposed to introduce rationing in cities with a population of one million or over while in such cities other foodstuffs like vegetables etc. are available in adequate quantity even without their rationing. May I know whether the Central Government have issued instructions to the State Governments in this regard that rationing system may also be introduced in those urban and rural areas where such means of supply of other foodstuffs are not available, so that the people there may be saved from starvation?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हाँ । राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे अपने नगरों में राशन व्यवस्था लागू करें तथा अन्य उन कमी वाले क्षेत्रों में भी लागू करें जहाँ कि वे इसे आवश्यक समझती हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : अब जब कि गाँवों में पैदा होने वाला गेहूं, धान और जवार गाँवों से बाहर जा रहा है, सरकार आगामी महीनों में किस प्रकार खाद्यान्न का समाहार करेगी तथा किस प्रकार राशन व्यवस्था के वितरण को विनियमित करेगी?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहाँ तक चावल का सम्बन्ध है--हम केवल चावल का समाहार कर रहे हैं--हम मिल मालिकों से अनिवार्य रूप से चावल लेते हैं ; कुछ राज्यों में राज्य सरकारें इस बात पर भी विचार कर रही हैं कि क्या उत्पादकों से भी अनिवार्य रूप से चावल लेने की व्यवस्था लागू की जायें विभिन्न राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में इस समय अपने प्रस्ताव तैयार कर रही हैं ।

Shri Sheo Narain : The people of entire country are in favour of free movement of foodgrains. What is the reaction of the Government thereto?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : स्थिति पर काबू रखने के लिये कुछ न कुछ नियंत्रण तो लगाना ही होगा । वास्तव में हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं कि स्थिति पर काबू रखने के लिये जितना नियंत्रण आवश्यक है उतना ही रखा जाये ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि गाँवों और नगरों के लिये समान नीति न होने के कारण और विभिन्न प्रकार की राशन व्यवस्थायें--औपचारिक, अनौपचारिक आदि--लागू किये जाने के कारण ही मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है ; यदि हाँ, तो इस मूल्य वृद्धि को सरकार किस प्रकार से रोकेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न एक आम प्रश्न है । इस मूल्य वृद्धि के कारण ही हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विशेष तौर से उन बड़े नगरों में जिनकी जन संख्या बहुत अधिक है, कम से कम एक न्यूनतम मात्रा में तो खाद्यान्न नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध होते रहें ।

श्री दे० शि० पाटिल : क्या बाहरी देशों ने जितना अनाज देने का वचन दिया था वह सब का सब प्राप्त हो गया है और देश में अनाज के रक्षित भण्डार बना लिये गये हैं और क्या समस्त देश में राशन व्यवस्था लागू करने के लिये हमारे पास इस समय अनाज का पर्याप्त स्टाक है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि समस्त देश में राशन व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चीनी का उत्पादन

\+
*508. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प० चं० बरूआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964–65 लिए कोई ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश में कुल कितने एकड़ भूमि में गन्ना बोया गया है तथा उसका कुल उत्पादन कितना होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य-वार आंकड़े क्या हैं, और

(ग) इस अनुमान के आधार पर चीनी का अनुमानित उत्पादन कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) 1964–65 के गन्ने के अखिल भारतीय पहले अनुमान के अनुसार प्रत्येक राज्य में 1964–65 के लिये जितने क्षेत्र में गन्ना बोया गया है इसके बारे में एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय मे रखी गयी देखीये संख्य एल० टी० 3621/64]** 1964–65 में गन्ने की उपज के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है, किन्तु आशा की जाती है कि गन्ने की उपज गत वर्ष से अधिक होगी ।

(ग) इस समय चीनी का उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन के आस पास आंका जाता है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या प्रथम अनुमान के अनुसार विवरण में बताया गया गन्ने की खेती का एकड़ क्षेत्र फल गत वर्ष के एकड़ क्षेत्र से अधिक है और यदि हां तो, क्या एकड़ क्षेत्र फल में वृद्धि के कारण अथवा प्रति एकड़ उपज में वृद्धि के कारण उत्पादन में कोई वृद्धि होगी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : गत वर्ष की तुलना में लगभग चार लाख एकड़ अधिक क्षेत्र में गन्ना बोया गया है, अर्थात् इस वर्ष 55.92 लाख एकड़ क्षेत्र में गन्ना बोया गया है जब कि गत वर्ष 51.98 लाख एकड़ क्षेत्र में बोया गया था और इस प्रकार एकड़ क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । समय पर वर्षा के आने और अच्छी फसल को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गन्ने का उत्पादन 8–10 प्रतिशत अधिक होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : उत्पादन में इस वृद्धि को देखते हुए क्या हम अपने देश की चीनी के उपयोग की समस्त आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे और यदि नहीं तो यह हमारी आवश्यकता से कितना कम रहेगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : हमारे देश की आवश्यकता लगभग 25 लाख टन की होगी और आशा है कि इस बढ़े हुए उत्पादन से हम अपने देश की उपभोग की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : गन्ना उगाने वाले के गन्ने का प्रति मन उत्पादन की औसत लागत कितनी पड़ती है और उस पर वह कितना लाभ ले सकता है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : ये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या किसान गन्ने की अधिक अच्छी उपज इसलिये नहीं करता कि सरकार उत्पादन मूल्य के सम्बन्ध में घोषणा करने में टालमटोल कर रही है और इसके परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन कम होता है और यदि हाँ तो क्या सरकार शीघ्र ही यह घोषणा करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं मूल्य पहिले ही घोषित कर चूका हूँ जो कि गत वर्ष के मूल्य से कहीं अधिक है--10.4 प्रतिशत अथवा इससे भी कम गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा होने पर 2 रुपये प्रति मन । 2 रुपये प्रति मन अब गारंटी किया गया मूल्य है। अब भी किसान के लिये गन्ने का उत्पादन करना अनाज के उत्पादन करने से अधिक लाभप्रद है।

Shri Onkar Lal Berwa : Have the Central Govt. suggested any targets for cane production to the State Governments?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने यह पूछा है कि प्रत्येक राज्य में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है और राज्य सरकारों ने यह जानकारी दे दी है।

Shri Onkar Lal Berwa : Has any target of production been suggested by the Centre?

Mr. Speaker : No.

श्री हिम्मत सिंहका : इस वर्ष देश से कितनी चीनी का निर्यात किया जायेगा और किस दर पर?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मूल्य बाद में तय किया जायेगा। हमें 2 से 3 लाख टन के बीच चीनी का निर्यात करने की आशा है ; निर्यात की मात्रा हमारे उत्पादन पर निर्भर करेगी।

श्री स० गो० बानर्जी : उपमंत्री महोदय से कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि चीनी के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, हालाकि हमारे देश में उपभोग के लिये 25 से 26 लाख टन तक चीनी की आवश्यकता होती है। क्या चीनी के उत्पादन की कमी अथवा उत्पादन के लक्ष्य के पूरा न होने को ध्यान में रखते हुए सरकार चीनी के निर्यात की बात पर पुनर्विचार करेगी और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बात को ध्यान में रखा जायेगा। यदि हम यह रखेंगे कि उत्पादन हमारी आवश्यकताओ के अनूकल नही हो रही है तो हम निर्यात को कम करने का प्रयत्न करने की बात पर विचार करेंगे।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गन्ने से चीनी से स्थान पर गुड़ बनाया जा रहा है और यह कि गुड़ का मूल्य तीस रुपये प्रति मन के लगभग चल रहा है और इसलिये चीनी के स्थान पर गुड़ के निर्माण को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे अधिक चीनी का उत्पादन किया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब लोग गुड़ तैयार करते हैं तो करें, हम उनके रास्ते में बाधक क्यों बनें। उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है तथा आवश्यकतायें पूरी करनी होती हैं।

श्री कृ० चं० पंत : क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि, जब तक कुछ निश्चित कार्यवाही नहीं कीजायेगी, गन्ने से आशातीत मात्रा में चीनी के स्थान पर गुड़ का उत्पादन किया जायेगा जिससे कि चीनी का उत्पादन अनुमान से कम होगा और यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाने वाला है जिसके उत्तर में मैं आँकड़े बताऊँगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि 1962-63 में सरकार का चीनी के उत्पादन का अनुमान 33 लाख टन का था जब कि वास्तविक उत्पादन केवल 26 लाख टन का हूआ था और यदि हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूं कि किस विधि से यह अनुमान लगाये जाते हैं जो कि इतने गलत बाते हैं और वास्तविकता के निकट नहीं होते ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चीनी के उत्पादन के कम होने का मुख्य कारण यह है कि चीनी के स्थान पर गुड़ बनाया गया। अब इस वर्ष गन्ने का अधिक उत्पादन होने की आशा है जिससे कि चीनी का उत्पादन भी अधिक होगा; गत छः सप्ताह के उत्पादन के आँकड़ों से यह पता चलता है कि गत वर्ष से उत्पादन अधिक रहा है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों, चीनी के कारखानों के मालिकों और गन्ना उत्पादकों ने केन्द्रीय सरकार से यह अभ्यावेदन किया है गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाये जिससे कि वे गुड़ के उत्पादन तथा पावर क्रशर्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राज्य सरकारों से हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मूल्य निर्धारित करने से पहले राज्य सरकारों ने यह अभ्यावेदन किया था कि 2 रुपये प्रति मन का मूल्य ही बना रहने दिया जाये और हमने वही मूल्य रखा है।

श्री अ० प्र० जैन : नवीनतम आंकडों के अनुसार गन्ने से कितने प्रतिशत चीनी निकली है तथा कुल कितना उत्पादन हुआ है और गत वर्ष की तुलना में यह आँकड़े कैसे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि मेरे पास रिकवरी के आँकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अ० प्र० जैन : कुल उत्पादन।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाने वाला है, उसके उत्तर में मैं ये आँकड़े बताऊँगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार चुकन्दर की उपज और उससे चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने अभी तक चुकन्दर के उत्पादन और उससे चीनी के उत्पादन के लाभ की गणना नहीं की है, परन्तु इसके लिये एक परीक्षणात्मक परियोजना तैयार की गई है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि सरकार की गन्ने के मूल्य निर्धारण और चीनी के उत्पादन निर्धारण की नीति भ्रान्तिजनक थी और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने बिहार के मुख्य मंत्री से यह जानने का प्रयत्न किया है कि उन्होंने किस कारण से इस प्रकार का वक्तव्य दिया था और यदि हाँ, तो बिहार के मुख्य मंत्री की इस दृढ़ घोषणा को ध्यान में रखते हुए सरकार का किस प्रकार से अपनी नीति को ठीक करने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने बिहार के मुख्य मंत्री का वक्तव्य नहीं देखा परन्तु गन्ने का मूल्य बिहार सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निर्धारित किया गया था।

Shri K. N. Tiwary : The per acre yield in Bihar and Uttar Pradesh has been low because good varieties of seeds are not available there and irrigational facilities are inadequate. What arrangements Government are making to improve the situation, what instructions have been issued to the State Governments and how much expenditure will be incurred over this ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राज्य सरकारों द्वारा कितना रुपया व्यय किया गया है इसके आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। हमने सामान्यतया राज्य सरकारों से यह कहा है कि अच्छे बीजों की व्यवस्था करके और अधिक सिंचाई सुविधायें देकर वे अपने गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करें।

श्रीमती गायत्री देवी : चीनी की जिन मण्डियों को क्यूबा अपने हाथों से खो बैठा है उनमें प्रवेश पाने में हमें कहाँ तक सफलता मिली है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारी चीनी का निर्यात करने की क्षमता सीमित है और इस सीमित निर्यात का भी बहुत विरोध किया जा रहा है। इसलिये उन मण्डियों पर अधिकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है जिनमें क्यूबा ने अपना चीनी का विक्रय बन्द कर दिया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मंत्री महोदय के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि चीनी का हमारा उपभोग 25 लाख मीट्रिक टन का है और हमारा अनुमानित उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन है, क्या चीनी पर से नियंत्रण के हटाये जाने और निर्यात सम्बन्धी हमारे वचन के पूरे किये जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस समय चीनी पर से नियंत्रण हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, बाद में इस बात पर विचार किया जा सकता है।

Shri Raghunath Singh : May I know the names of States who spent the amount of cess realised over sugarcane production, on bringing improvement in production of sugarcane and of those who keep it for their general budget?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रश्न के लिये मुझे विधीवत् सूचना दी जाये।

Airstrip at Khajuraho

\+

*509. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Uikey :
Shri R. S. Tiwary :
Shri Babunath Singh :
Shri Radhelal Vyas :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the progress made in constructing an airstrip at Khajuraho in Madhya Pradesh;

(b) what additional special facilities will be made available to the tourists after the said strip has been constructed;

(c) the estimated expenditure to be incurred on the construction of the airstrip; and

(d) when the air services will start upto Khajuraho?

Minister of Civil Aviation (Shri Nityanand Kanungo) : (a) The work was awarded to the contractor in October, 1964.

(b) The additional special facilities which are contemplated to be provided for the tourists are increased accommodation and transport for visiting the outlying temples.

(c) Rs. 4.77 lakhs.

(d) Air services will be started soon after the airstrip is ready.

Shri M. L. Dwivedi : The visitors from foreign countries have to face a great difficulty caused by the absence of good arrangement for their boarding and lodging. May I know whether after the completion of this airstrip these facilities will be provided, if so, the additional expenditure involved?

Shri Kanungo : A guest house hotel will be constructed.

Mr. Speaker : Will a hotel be opened along with the airstrip?

Shri Kanungo : Not by the side of airstrip itself but it is being constructed near it.

Shri M. L. Dwivedi : What will be the difference in the transport charges from Panna to Khajuraho as also the total expenditure involved in the construction of airstrip?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : It is necessary for the tourists to visit not only the temple of Khajuraho but also the famous diamond mines at Panna. Many tourists like to see the diamond mines first and proceed to see the temple of Khajuraho.

श्रीमती सावित्री निगम : सारे मामले को एक अच्छी योजना का रूप देने के लिये क्या कोई समिति नियुक्त की गई थी ?

श्री राज बहादूर : हम पर्यटकों के यातायात की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते रहे हैं और स्थान पर ही हवाई संचार और आवश्यक सुविधाएं देने का प्रयत्न करते रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद हमने पहली बार इन सब बातों को विचारार्थ लिया है।

Shri R. S. Tiwary : Will this air service be weekly or daily?

Shri Kanungo : It will operate according to season. It will operate in the season of tourists. For the time being it will operate only once a week and there will be more demand from the tourists we will operate it more often.

Shri Raghunath Singh : Will a Foker Friendship air service be introduced for those foreign tourists who do not like to fly by Dakota?

Shri Kanungo : Not now. We will think over it after a permanent airstrip has been constructed. At present it is temporary, therefore it cannot be started.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : इस हवाई पट्टी पर किस प्रकार का विमान चलाया जायेगा ?

श्री कानुनगो : 'डकोटा'।

श्री रा० गि० दुबे : चालू वर्ष और कौन कौन सी हवाई पट्टियां मंजूर की गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या आर्थिक दृष्टि से परियोजना के लाभप्रद होने की आशा है अथवा क्या हमारा मुख्य उद्देश्य विदेशियों को अपनी रुचिकर प्राचीन सांस्कृतिक स्थान तक पहुंचने की सुविधा का देना ही है ?

श्री कानुनगो : साप्ताहिक सेवा जो है वह लाभप्रद है।

श्री जयपाल सिंह : धावनमार्ग की लम्बाई क्या है और बड़े और तेज़ चलने वाले विमानों का प्रबन्ध न करने के क्या कारण हैं ?

श्री कानुनगो : क्योंकि इस समय यातायात काफी नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : आप कैसे जानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

हवाई अड्डोंपर यात्री सुविधायें

\+

*510. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के हवाई अड्डों पर यात्रियों को कम सुविधायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये एक व्यापक योजना तयार करने का विचार है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि निश्चित् की गई है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानुनगो) : (क) से (ग) मैं सभा की मेज पर एक विवरण रखता हूं ।

विवरण

इन हवाई अड्डों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं । फिर भी, बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से और अधिक जगह की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही शुरू की गयी है । चार हवाई अड्डों में से प्रत्येक के बारे में स्थिति निम्न-प्रकार है :—

दिल्ली पालम—नयी टरमीनल इमारतों आदि के विकास होने तक, विद्यमान टरमीनल इमारत को 8.7 लाख रुपयों की लागत से बढ़ाया जा रहा है और उसमें फेर बदल किये जा रहे हैं ।

बम्बई (सान्ताक्रूज)—विद्यमान टरमीनल इमारत को 12.55 लाख रुपयों की लागत से बढ़ाया जारहा है और उसमें तबदीलियां की जा रही हैं ।

कलकत्ता (दमदम)—अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए लगभग एक करोड़ रुपयों की लागत से एक नयी टरमीनल इमारत बनायी जा रही है ।

मद्रास (मीनम्बक्कम्)—10 लाख रुपयों की अनुमानित लागत से एक नये अन्तर्राष्ट्रीय टरमीनल ब्लाक के निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh : The statement does not speak about the additions made in the transit facilities. Will the Minister kindly throw light on it?

Shri Kanungo : Transit facilities are being expanded in Bombay and arrangements are being made for its expansion in Delhi.

Shri Yashpal Singh : The tourists from European countries visiting the country during summer are put to great inconvenience when hot winds are blowing in the absence of cooling arrangements. When they go back to their countries they critically speak of India. What arrangements have been made in that regard?

Mr. Speaker : The Hon. Member was previously against cooler, but to-day he is pleading for it.

Shri Yashpal Singh : It is for the foreigners.

Shri Kanungo : Arrangements are being made for air conditioning at Santacruz.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether an airport is being constructed towards Ghaziabad side to ease the travelling there in addition to the facilities being provided by incurring special expenditure in Delhi, if so, the expenditure likely to be incurred upon it and the extent to which it will facilitate the travelling there?

Shri Kanungo : The Civil air port will remain at Palam and outside Palam there will be I.A.F. air port.

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में यह दिया गया है कि कलकत्ता में 1 करोड़ रु० की लागत पर एक नई इमारत बनाई जायेगी। इस इमारत के पूरा होने में कितना समय लगेगा क्योंकि इस समय जो सुविधाएं दी जाती हैं वे बहुत कम हैं ?

श्री कानुनगो : इसमें काफी समय लगेगा। इसे केवल चतुर्थ योजना में ही आरम्भ किया जा सकता है बशर्तेकि इसके लिये संसाधन उपलब्ध हों।

श्रीमती अक्कम्मा देवी : कुछ हवाई अड्डों पर जो घोषणाएं की जाती हैं वे बिल्कुल भी साफ सुनाई नहीं देती। क्या माननीय मंत्री इससे अवगत हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कानुनगो : मैं इस सुझाव को निगम को भेज दूंगा।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान "नैपोल" की पुस्तक 'एरिया आफ डार्कनेस' की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने पालम हवाई अड्डे पर उपलब्ध स्नान आदि की सुविधाओं का स्पष्ट चित्र खेंचा है ; यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है और मामले में सुधार करने का प्रयत्न किया है ?

श्री रंगा : केवल पालम पर ही नहीं अपितु प्रत्येक स्थान पर।

श्री कानुनगो : विवरण में मैंने कहा है कि हम पालम में एक नया वायु 'टर्मिनल' बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न पृथक है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने एक विदेशी द्वारा टिप्पण का उल्लेख किया है और वह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री को स्नानघर में जाने का अवसर मिला है और स्वयं वहां की स्थिति देखी है ?

श्री कानुनगो : मैंने वह पुस्तक नहीं पढ़ी है, परन्तु मैंने उस पुस्तक पर किये गये टिप्पण पढ़े हैं और वे कोई अधिक सराहनीय नहीं हैं ।

श्री हेम बरुआ : सराहनीय टिप्पण भी हैं । नैपोल एक अन्तर्राष्ट्रीय लेखक हैं और उनकी पुस्तक समस्त संसार में लोकप्रिय हुई है । वह कहते हैं कि टिप्पण सराहनीय नहीं हैं । मैंने सारे टिप्पण पढ़े हैं और सराहनीय टिप्पण भी हैं ।

श्री रंगा : हम स्वयं जानते हैं कि ये स्नानगृह बहुत बुरी दशा में हैं और उन्हें साफ और अच्छी तरह नहीं रखा जाता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : नहीं ! नहीं ! हमारे स्नानगृह बहुत अच्छी दशा में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्यों को इस प्रकार खड़े हो कर बोलना नहीं चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय सदस्य ने विदेशों में कुछ अच्छे हवाई अड्डे देखे हैं और क्या वह जानते हैं कि बम्बई में हाल ही के बनाये गये हवाई अड्डे की सुविधाओं के मुकाबिले में कैसे हैं ? माना कि विदेशों से आने वाले यात्री हमारे बोइंग विमानों तथा अखिल भारतीय सेवाओं की प्रशंसा करते हैं, परन्तु हमारे हवाई अड्डों पर उनकी पहली धारणा क्या बनेगी ! क्या उन्होंने इसका अध्ययन किया है ?

श्री कानुनगो : जी हां । यह साफ है कि अन्य देशों में, विशेषत: यूरोप और अमरीका में हवाई अड्डे हमारे हवाई अड्डों से कहीं अच्छे हैं क्योंकि वे इतना खर्च सहन कर सकते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं सुविधाओं की बात कर रहा हूं ।

श्री कानुनगो : जहां तक सांताक्रूज़ का संबंध है मैंने विवरण में बताया है कि पर्याप्त विस्तार किया जा रहा है ।

बाल अपराध

\+

*511. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री द० द० पुरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि राजधानी में बाल अपराधों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या इन बाल अपराधियों को सुधारने के बारे में व्यक्त किये गये दिल्ली की एक महिला मजिस्ट्रेट के विचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ग) क्या उचित अनुशासन तथा प्रशिक्षण के द्वारा बाल अपराधियों को सुधारने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस विषय पर अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है और ठोस सूचना प्राप्त नहीं है।

(ख) नहीं।

(ग) तथा (घ) अपाहिज, उपेक्षित, निर्दयता तथा शोषण के शिकार या अपराधी बच्चों का सामाजिक उत्तरदायित्व संभालने के लिये, बाल अधिनियम, 1960 केवल संघीय क्षेत्रों के लिये पास किया गया था। राज्य सरकारों को भी भीख मांगने वाले बच्चों के लिये एक ऐसी योजना सारे राज्यों में चलाने के लिये बनाई जा चुकी है जो कि जनसमुदाय का दृष्टिकोण अपनाये और सामाजिक विषय की व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं, थोड़े समय का रोजगार और मनोरंजन की सुविधाओं के साथ कड़ी जेल दे।

श्री रा० गि० दुबे : देश के किस भाग में बाल अपराध अधिक है?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा कि मैंने बताया इस मामले में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

श्री रा० गि० दुबे : क्या सरकार के पास इस समस्या का समुचित ढंग से अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि इस समस्या को सुलझाने के लिये कुछ उपाय किए जा सके।

श्री जगन्नाथ राव : इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। देश में बाल अपराध की जांच के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : The late President Dr. Rajendra Prasad has often said and preached in his writings that these evils can only be eradicated through Gurukul education System. May I know the steps being taken by Government to introduce Gurukul system of education?

श्री जगन्नाथ राव : गुरूकुल प्रणाली चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती रेणुका राय : मंत्री महोदय ने कहा कि इस बारे में एक अध्ययन किया जाने वाला है। अध्ययन कब आरंभ किया जायेगा ? क्या इस में बाल अपराध के निवारक तथा सुधारक दोनों पहलुओं पर विचार किया जायेगा ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री : (श्री अशोक सेन) : यदि अध्ययन का संबंध केवल आंकड़ों से ही है तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विभिन्न राज्य इस मामले में क्या कर सकते हैं। जहां तक सुधारक तथा निवारक तरीकों का संबंध है, उनको भी अखिल भारतीय स्तर पर करना पड़ेगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विभिन्न राज्य इस मामले के बारे में किस सीमा तक कार्यवाही करना पसन्द करेंगे। मैं स्वयं निकट भविष्य में राज्यों से इस महत्वपूर्ण समस्या पर परामर्श करने का इरादा रखता हूं, केवल बाल अपराध की समस्या पर जो कि हमारे देश में कोई गंभीर समस्या नहीं है, परन्तु इससे भी अधिक गंभीर समस्या बच्चों में आवारापन्थी, निराश्रयता और भीक मांगने की है। इन सभी समस्याओं पर मैं निकट भविष्य में राज्यों से परामर्श करना चाहूंगा और यदि हम किसी कार्यक्रम पर सहमत हो गये तो उसे संसद के सामने रखा जायेगा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : How far is it correct to conclude on the basis of newspaper reading that the Juvenile delinquency is more prevalent among the children of great leaders, wealthy persons and in particular of high officials?

Shri A. K. Sen : This is the view of the hon. Member.

डा० सरोजिनी महिषी : उन बाल अपराधियों की देख भाल के लिये, जो प्रशिक्षण के पश्चात 'रिमांड होम्स' और स्वस्थ व्यक्ति मूल संस्थाओं में आते हैं, सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री अ० कु० सेन : दोषी बालक सुधारक संस्थाएं हैं और अधिकांश राज्यों में उन्हें सुधारने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। परन्तु मैं नहीं समझता कि सर्वत्र एक जैसा तरीका है। तरीका कहां तक एक जैसा होना चाहिये यह मामला भी राज्यों के साथ विचार और परामर्श करने का है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : गंदी बस्तियां जो कि सभी राज्यों में हैं और जो कि बाल अपराध का एक निश्चित कारण हैं क्या सरकार ने उनके द्वारा पैदा हुई समस्या का एक समचा रूप से सर्वेषण किया है ?

श्री अ० कु० सेन : यह देखा गया है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के मुख्य कारणों में से एक हैं। हमारे देश में गंदी बस्तियां पहले भी थीं परन्तु इस प्रकार के बाल अपराध पहले नहीं थे जैसे कि हम आजकल देखते हैं। अतः कुछ अन्य कारण हैं जिसको हमे दूर करना है। हां, गंदी बस्तियां बाल अपराध की दृष्टि से निश्चय ही बहुत अवांछनीय है।

श्री रंगा : क्या समाचारपत्रों के लेखों तथा सामान्य अभ्यावेदनों द्वारा मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाई गई है कि न केवल गंदी बस्तियों के बच्चे ही परन्तु उच्च मध्य वर्ग, सरकारी नौकरों तथा अन्य लोगों के परिवारों के बच्चे भी इन बाल अपराधों में शामिल हो रहे हैं और दूसरे व्यक्तियों के हाथों में कठपुतली बन रहे हैं और स्वयं दिल्ली शहर में गड़ बड़ कर रहे हैं ?

श्री अ० कु० सेन : मुझे आशा है कि दिल्ली शहर में ऐसे लड़के नहीं हैं जो दूसरे के हाथों में कठपुतली बनते हों।

श्री हेम बरुआ : जी, हैं।

श्री रंगा : बहुत सारे हैं।

श्री हेम बरुआ : बहुत सारे हैं।

श्री अ० कु० सेन : मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य को मेरी अपेक्षा उनका अधिक ज्ञान है।

श्री रंगा : आप अपने कान बन्द कर लेते हैं। हम सुनते हैं।

श्री हेम बरुआ : कठपुतली लड़कियां भी हैं। लड़के और लड़कियां दोनों।

श्री अ० कु० सेन: मैं अवश्य इसका ध्यान रखूंगा और अपने आपसे अच्छी तरह अवगत कराने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री हेम बरुआ हमें कठपुतली लड़कियों के बारे में बतायेंगे।

श्री हेम बरुआ : मैं उनमें दिलचस्पी नहीं रखता। क्या सरकार ने यह पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है कि घटिया फिल्में घटिया संगीत तथा घटिया पुस्तकें जिनमें स्त्री के शरीर को चित्रण किया होता है, बाल अपराध के लिये ज़िम्मेदार हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा : घटिया अनुपूरक प्रश्न भी।

श्री अ० कु० सेन : मैं प्रोफेसर बरुआ की तरह इस पर इतनी जल्दी अपनी राय नहीं दे सकता। इस विषय पर अन्य देशों में अनुसन्धान और अध्ययन किया गया है और इस समस्या के बारे में संचार के घटिया साधन के संबंध केवल उन व्यक्तियों की पुस्तकों को ही पढ़ा है। परन्तु इस जैसे विषय पर सामान्य रूप से कुछ कहना बड़ा कठिन है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार इस से अवगत है कि बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में ऐसे ग्रोह हैं जो न केवल बाल अपराधियों का शोषण ही करते हैं अपितु कभी कभी उन्हें और भी आगे ले जाते हैं और उनका सब से बुरा उपयोग करते हैं ? यदि सरकार इस से अवगत है तो क्या उसने इन ग्रोहों को तोड़ने के कोई उपाय किये हैं ?

श्री अ० कु० सेन : मुझे इसमें संदेह नहीं कि ग्रोह हैं जो भीक मांगने के लिये बच्चों को भर्त्ती करते हैं और वह एक गंभीर समस्या है। जेब कतरने और छोटे मोटे अपराधों के लिये बच्चों को भर्ती करते के संबंध में हमने कुछ मामले देखे हैं। परन्तु बाल अपराधियों का ग्रोह बनाने के संबंध में हमारे देश में अधिक घटनाएं नहीं हुई हैं जैसे कि अन्य देशों में हैं। हां, मैं जानता हूं कि कलकत्ता में एक 'एन्टी ऐडी स्क्वैड" है जो विशेषत: बाल अपराधियों का पता लगाने और यदि कोई ग्रोह है तो उसको तोड़ने का काम करता है।

भाड़े पर अधिभार

\+

*512. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओझा :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकन शिपिंग कांग्रेस के साथ जो अमरीका के पूर्वी तट से भारत को माल भेजती है, भाड़े पर अधिभार की अदायगी के बारे बातचीत की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय बन्दरगाहों पर माल का संचय न होने देने के लिये किये गये उपाओं के संदर्भ में अधिभार की अदायगी के मामले में किस प्रकार की रियायतें दी गई हैं ;

(ग) क्या सरकारी माल पर भाड़े में छूट देने के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी हां।

(ख) कान्फ्रेंस द्वारा लगाया गया अधिभार हटा लिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) समस्त सरकारी सामान्य माल पर भाड़े में विशेष कमी करने के लिये 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 1965 तक के लिये एक समझौते पर दस्तखत किये गए है जिसके परिणामस्वरूप लगभग बीस लाख डालर की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस अधिभार के हटाये जाने से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

श्री राज बहादूर : मैं समझता हूं कि इस अधिभार के हटा लिये जाने से 10 लाख डालर और आशा है कि सरकारी माल के लिये विशेष भाड़ा रियायतों द्वारा 20 लाख डालर की और बचत होगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने केन्द्रीय किराया संगठन दिल्ली को खाद्यान्न के आयात के लिये और अमरीकी जहाजों को किराया पर लेने के लिये के अधिकार देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री राज बहादूर : विदेशी जहाजों को किराया पर लेने के मामले में हम अन्य देशों में भेदभाव नहीं समझते । हम केवल गुणदोषों का ख्याल रखते हैं और यह देखते हैं कि भाड़े में सब से अधिक रियायत किसमें हैं ।

Shri Yashpal Singh : It is a fact that American Companies are not willing to pay surcharge because of a lack of adequate facilities here?

Shri Raj Bahadur : It is we who do not like to pay surcharge, they want to charge.

चीनी मूल्य जांच आयोग

\+

*513. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० सरोजिनी महिषी :
श्री भजहरि महतो :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त किये गये चीनी मूल्य जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) शर्करा जांच आयोग ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार जांच आयोग से विशेषत: पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की चीनी मिलों की खराब हालत की जांच करने के लिये कहेगी और उसे बतायेगी तो वह इस बात को सुनिश्चित करे कि उन मिलों को कीमतें दी जाये वह अनुचित न हों ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): मुझे विश्वास है कि आयोग इन सभी पहलूओं की जांच करेगा । आयोग के निर्देश पदों में से यह एक पद है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि गुड़ और खांडसारी के ऊंचे मूल्यों से चीनी का उत्पादन कम हो रहा है और यदि हां, तो क्या मूल्य जांच आयोग इसकी भी जांच करेगा और देखेगा कि गन्ने की कीमतें मिलें कीमतें देती हैं उससे 4 आने बढ़ा दी जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे आशा नही है कि आयोग कोई छूट की सिफारिश देने वाला है ।

श्री विभूति मिश्र : उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सब से अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और वहां के किसान बहुत गरीब हैं । क्या सरकार ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने और चीनी प्ररित बढ़ाने की किसी योजना पर विचार किया है जिससे कि उस क्षेत्र के उत्पादकों को फायदा पहुंचाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल्य जांच आयोग के बारे मे है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार ने निर्देशपदों मे इस प्रश्न को भी शामिल किया है कि चीनी मूल्य वृद्धि का संबंध गन्ने की उत्पादन लागत से होना चाहिये ?

श्री चि०सुब्रह्मण्यम : हम ने विशिष्ट रूप से इस पहलू को निर्दिष्ट नहीं किया है । परन्तु मूल्य निर्धारित करते समय इस पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह आयोग अपना प्रतिवेदन कब देगा और क्या यह सच है कि अन्य मामलों के साथ साथ यह इस बात पर भी विचार करेगा कि चीनी मिलमालिक चीनी, मद्यसार और राब में बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आयोग के निर्देशपद इस प्रकार हैं : क, मूल्य तथा गन्ने की वितरण पद्धति का निश्चित करना और (ख) नई चीनी मिलों को लाइसेंस देने तथा वर्तमान चीनी मिलों के विस्तार संबंधी नीति । जो भी मामले इसमें आयेंगे उनपर आयोग विचार करेगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रतिवेदन मे कब दिये जाने की आशा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार से अप्रैल तक ।

Shri Shiv Narain : What is the composition of the Commission, whether any farmer has also been included?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : डा० एस० आर० सेन अध्यक्ष हैं । अन्य सदस्य इस प्रकार हैं : श्री एस० सी० चौधरी, आर्थिक तथा सांख्यकि सलाहकार, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, श्री एन० कृष्णन, मूल्य लागत मेखा अधिकारी; श्री एस० सी० गुप्त, निदेशक राष्ट्रीय चीनी संस्था तथा आर्थिक विकास संस्था के डा० धर्म नारायण ।

Shri Prakash Vir Shastri : Shri Rafi Ahmed Kidwai, the late Food Minister had told a formula about the prices of sugar that the prices of sugercane should be fixed on the basis of as many annas as were the rupees per maund of sugar. Have this Commission considered this formula while fixing the price of sugar, if so, the opinion of the Commission in this regard.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि आयोग इस विशेष बात को ध्यान में रखेगा । परन्तु मुझे विश्वास है कि निर्माण करते समय वह सभी संबंधित बातों पर विचार करेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या आयोग से इस बात की जांच करने के लिये भी कहा गया है कि वे राज्य को चीनी उपकर की चारी राशि इकट्ठी करते हैं इस उद्योग के विकास पर एक पैसा भी क्यों नहीं खर्च करते हैं ? क्या यह आयोग को विशेष रुप से निर्दिष्ट किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्यों नहीं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इस वर्ष चीनी की कीमतें मद्रास, मैसूर और केरल में निर्धारित की गई हैं। मैसूर में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं जब कि मद्रास में उन्हें कीमतें बढ़ाने की आज्ञा दी गई है। इसके क्या कारण हैं और क्या इस आयोग से कोई परामर्श किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बात को देखते हुए कि बहुतसी चीनी मिलें किसानों को भुगतान काफी समय के बाद करती हैं जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई होती है, क्या इस प्रश्न को भी निर्देश पद में शामिल किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस आयोग में मज़दूरों के प्रतिनिधि को क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मज़दूरों के हितों को अन्य तरीकों से भी सुरक्षित रखा जा सकता है । निर्देश पद पूर्णतया तकनीकी हैं। अतः जो व्यक्ति चीनी उद्योग का ज्ञान रखते हैं उन्हें शामिल किया गया है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

\+

*515. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के खादी कर्मचारी संघ के प्रेजीडेंट द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली एम्पोरियम में कुप्रबन्ध होने के कारण खादी प्रेमियों को खादी के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है ;

(ख) क्या प्रेजीडेंटने इस संस्था के कुछ कदाचारों के भी उदाहरण दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) **जी** नहीं ।

(ख) खादी मजदूर संघ , दिल्ली के प्रधान ने मैनेजर, खादी ग्रामोद्योग के विरूद्ध शिकायतों का ज्ञापन भेजा है ।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो कि स्वायत शासन संस्था है कि शिकायतों के विरूद्ध जांच करने के लिये प्रार्थना की गई है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि खादी ग्रामोद्योग भवन के विरुद्ध भ्रष्टाचार और रुपये पैसे के मामले के गंभीर अपराध हैं और यदि हां, तो क्या वक्तव्य देने से पहले सरकार ने उनकी जांच की है?

विधीमंत्री (श्री अ० कु० सेन): जब आरोप हमारे पास आये तो हम ने उन्हें आयोग के पास भेज दिया था, और आयोग ने विभिन्न आरोपों की जांच के लिये एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया था । हमारा ख्याल है कि एक या दो दिन हुए अधिकारी ने आयोग को प्रतिवेदन की लिपि दे दिया है । मैं स्वयं प्रतिवेदन को पढ़ रहा हूँ ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

Scarcity of Foodgrains in U. P.

+

4*. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Krishnapal Singh :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Centre is aware of the great distress being caused to the people of U. P. by the scarcity and high prices of foodgrains;

(b) the quota of foodgrains demanded by the Government of U. P. from the Centre during the last one year and the quantities of foodgrains actually supplied by the Centre;

(c) whether it is a fact that the prices of wheat and coarse grains are very high in Hapur, Meerut and other mandies of the State;

(d) the prices fixed by the Centre for various kinds of foodgrains in U. P. and the steps taken, if any, to enforce these prices; and

(e) the help proposed to be given to the State of U. P. to tide over the present crisis?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1962-63 में अनाजों का उत्पादन 100.2 लाख टन हुआ और वर्ष 1963-64 में वह गिरकर 93.5 लाख टन हुआ। खाद्यान्नों की यह कमी वर्ष के दौरान मालूम हुई और मूल्य भी बढ़ गये। उत्तर प्रदेश सरकार को दिसम्बर, 1963 से नवम्बर, 1964 तक की अवधि में लगभग 12.52 लाख टन गेहूँ दिया गया। उक्त राज्य सरकार और अधिक गेहूँ का सम्भरण करने के लिये मांग कर रही है।

(ग) और (घ) हापुड़ में दड़ा गेहूँ का बाजार मूल्य 4 दिसम्बर 1964 को 92 रुपये 50 पैसे 'प्रति क्विन्टल' था। गेहूं के लिये गोई भी अधिकतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियत किये गये मूल्यों के अनुसार राज्य सरकार के निदेशों के अधीन, ज्वार, बाजरा तथा मकई को थोक मात्रा में निम्नलिखित अधिकतम मूल्यों पर बेचा जा सकता हैं :—

मक्की —36.50 रुपये प्रति क्विन्टल

ज्वार —38.50 रुपये प्रति क्विन्टल

बाजरा —40.50 रुपये प्रति क्विन्टल

नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गेहूँ तथा खरीफ़ के मोटे अनाजों की नियमित सप्लाई उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार को अधिकतम नियंत्रण मूल्यों को लागू करने के बारे में सलाह दी गई है। (ङ) हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को आयात किये गये गेहूँ की यथासम्भव अधिकतम मात्रा भेजी जाये।

Shri Yashpal Singh : Will the Government be pleased to state the reasons for announcing this that there is no shortage of wheat in the State of Kerala? At the same time Government is not liberal in making available the regular supply of demanded quantities of wheat to U. P. where wheat is not available at any price in thousands of villages.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केरल में गेहूँ की खपत बहुत कम होता है । अत: हम वहां उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार गेहूँ का सम्भरण करने के बारे में अपना वचन पूरा करने में सफल हुये हैं । किन्तु उत्तर प्रदेश में अैसा किया जाना सम्भव नहीं हैं ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is a fact that the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shrimati Sucheta Kripalani made a statement regarding the payment of low procurement price which was responsible for the foodgrains crisis, if so; the extent of procurement price likely to be increased?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : क्या गेहूं अथवा चावल के बारे में ।

Shri Yashpal Singh : The price being paid to the farmer.

Mr. Speaker : Price of wheat or rice?

श्री यशपाल सिंह : मोटा अनाज की कीमत ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार को परामर्श कर के निर्धारित किये गये थे।

श्री स० मो० बनर्जी : उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा वितरण करने के लिये उत्तर प्रदेश को इस समय कितनी आवश्यकता है जो कि केन्द्र ने पूरी करनी है; और किस सीमा तक उनकी मांग पूरी की जा रही है अथवा की गयी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आमतौर पर अगस्त से हम उन्हें एक विशेष मात्रा देने को राजी हुए । मैं ने उन्हें प्रतिमाह 105,000 टन आयात किया गया गेहूं देने का वचन दिया । तब से उन्हें निम्नलिखित गेहूं की मात्रा दी जा चुकी है : अगस्त , 1964 में 121,000 टन । सितम्बर, 1964 में 85,000 टन क्योंकि अगस्त के महीने में उन्हें 16,000 टन गेहूं अधिक दिया गया था । अक्तूबर, 1964 में 115,000 टन का आबंटन किया गया और 87,000 टन दिया गया । नवम्बर 1964 में 110,000 टन के आबंटन पर हमने 113,400 टन दिया ।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 2 लाख टन अनाज प्रतिमाह भेजने की प्रार्थना की थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, आरम्भ में उन्होंने 2 लाख टन के लिये कहा, किन्तु देश में पहुंचने वाली अनाज की कुल मात्रा को , जो लगभग 5 या 6 लाख टन थी, दृष्टि में रखते हुए, यह सम्भव नहीं था । उत्तर प्रदेश को इसमें से 2 लाख टन नहीं दिया जा सकता था । अत: हमने उन्हें लगभग 105,000 टन दिया ।

श्री के० दे० मालवीय : क्या उपाप्ति योजनाएं (Procurement Schemes) भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच किये गये समझौते के अनुसार ठीक चल रही है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसमें किस सीमा तक कमी हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्तर प्रदेश सरकार ने चावल तथा मोटे अनाजों के लिये स्वयं उपाप्ति योजना बनाई हुई है । मेरे विचार से उन्होंने इस मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं की है क्योंकि बाजार में जो वस्तुएं आ रही हैं वे अभी सामान्य दर से ऊंची दर पर मिल रही हैं ।

श्री के० दे० मालवीय : उपाप्ति मात्रा के सम्बन्ध में मूल योजना क्या थी और वे इस दिशा में किस सीमा तक पीछे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि जहां कम मात्रा के लिए मांग की गई तो अधिक मात्रा दी गई और जब अधिक मात्रा देने के लिये कहा गया तो कम दिया गया, क्या यह सच नहीं है कि इस कारण तथा नियमित सप्लाई के अभाव में उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे ख्याल था कि मैंने यह बात बता दी थी कि वहां पर नियमित रूप से सप्लाई हो रही है। यदि बीच में कोई कमी भी हो गई हो तो वह केवल नाम मात्र की थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महोदया ने कहा कि पहली बार अनाज अधिक मात्रा में भेजा गया और उसकी सब खपत हो गई। बाद में कम भेजा गया जिससे वहां कठिनाई पैदा हो गई।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार मोटे अनाजों के लिये उपाप्ति मूल्य ऊंची दर पर निर्धारित करना चाहती थी ? क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शिकायत की कि समाहार मूल्य बहुत कम होने के कारण उनकी समाहार नीति में प्रगति नहीं हुई है ?

श्री चि०सुब्रह्मण्यम : मैंने समाहार मूल्य कम होने के बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी है। यह कीमत उनको परामर्श करके निर्धारित की गई थी।

Crisis in Sugar Mills

\+

5. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. M. Banerjee :
Shri P. C. Borooah :
Shri Jashvant Mehta :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to low price of sugarcane, the sugar mills in several districts of U. P. are getting sugarcane in very small quantity;

(b) whether it is likely to affect the target fixed for sugar production;

(c) whether any deputation of sugar mills waited upon him in this connection; and

(d) if so, the suggestions put forward by them and the action taken by Government thereon?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) यह सच है कि गुड़ के वर्तमान भाव बहुत अधिक होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ शर्करा के कारखानों को गन्ने की पूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही है।

(ख) चीनी उत्पादन का कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रतिनिधि मंडल ने गन्ने के भाव में वृद्धि और चीनी के भाव में उसके अनुरूप वृद्धि करने की प्रार्थना की थी। विकल्पत: उन्होंने गुड़ के भाव और संचलन का नियमन करने का सुझाव दिया था। ये सुझाव स्वीकार नहीं किये गये।

Shri Prakash Vir Shastri : Inspite of the fact that the owners of sugar mills have no objection to giving a higher price to the farmers for sugarcane, the Government is raising objection in this deal as a result of which the farmers are not getting the full price for sugarcane?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : किसानों को अधिक मूल्य दिये जाने के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने तो केवल न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। किन्तु मिल मालिक हमसे चीनी की कीमत बढ़ाने के बारे में न कहें।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government have tried to ascertain the number of sugar mills adversely effected in the western part of Uttar Pradesh and the number of Mills likely to be effected; and whether it would affect the target fixed for sugar production?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में अब स्थिति बहुत सुधर गई है। एक सप्ताह पूर्व दो अथवा तीन मिलों की बन्द होने की आशंका थी, किन्तु अब सप्लाई की स्थिति में भी सुधार हो गया है। वास्तव में गत वर्ष के तत्स्थानी अवधि की अपेक्षा इस मौसम में उत्पादन कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1963–64 में 1 नवम्बर से 7 दिसम्बर तक की अवधि में 1,64,371 टन का उत्पादन हुआ, और इस वर्ष उसी अवधि में 1,77,871 टन का उत्पादन हुआ। वास्तव में सारे देश में वर्ष 1962–63 में इसी अवधि में उत्पादन 3,52,000 टन हुआ जबकि इस वर्ष वह 4,01,000 टन है। अत: इस अवधि में उत्पादन में लगभग 60,000 टन की वृद्धि हुई है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या गन्ने की बड़ी मात्रा को गुड़ और खांडसारी के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है क्योंकि मिल वालों ने उत्पादकों को देय धन राशि का भुगतान नहीं किया है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह कोई आम शिकायत नहीं है। सम्भवत: दो एक मिलों ने भुगतान नहीं किया होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संकट इतना बढ़ गया है कि वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपप्रधान के बीच इस बारे में बातचीत हुई है और श्री अशोक मेहता इस बारे में आगे बातचीत करने के लिये उत्तर प्रदेश में गये हैं, यदि हां, तो इस समाचार में कहां तक सच्चाई है और क्या श्री मेहता वापिस आ गये हैं यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्र० च० बरुआ : यह सुनिश्चित करने के लिये कि मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई होती रहे, क्या सरकार के पास गन्ने पेलने वालों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य न दें और क्या वे गुड़ पर मूल्य नियंत्रण लागू कर रहे हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। गुड़ पर कोई भी नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether the supply of sugarcanes to the Mills is in adequate quantities, that is to the extent of their full crushing capacity; and the Hon. Minister has stated that increasing the sugarcane price would result in higher price of sugar and therefore, may I know the extent of increase in sugar price if the sugarcane price is increased?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। गन्ने की कीमत को निर्धारित करने पश्चात् चीनी की कीमत तय की गई है। चीनी तथा गुड़ के उत्पादन में होड़ अवश्य है किन्तु इस वर्ष गन्ने की अधिक उपलब्धता को देखते हुए, वह स्थिर हो जावेगी।

श्री काशी राम गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । प्रश्न यह है कि क्या ये मिलें अपनी कार्य-संचालन क्षमता से कम काम कर रहे हैं अथवा नहीं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लगभग चार मिलें अपनी कार्य-संचालन क्षमता से कम काम कर रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government agree to this fact that the main factor responsible for the sugar crisis is that the sugarcane producers demand the price of Rs. 3 a maund whereas the Government pay at the rate of Rs. 2 a maund; and may I know the steps being taken by Government to bridge this gap between the prices?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह चीनी की कीमत को उस सीमा तक बढ़ाने का प्रश्न है, हमारा उद्देश्य चीनी को कम कीमत पर सप्लाई करने का और किसान को ऊंचा मूल्य देने का है । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अब भी गन्ना उत्पादकों को हम 2 रुपये प्रति मन की दर से भुगतान करते हैं जो कि खाद्यान्नों के उत्पादकों की उपज के साथ तुलना किये जाने पर कहीं अधिक लाभदायक है । इसी कारण लोगोंने अब भी गन्ने की फसल पैदा करना अधिक करना प्रारम्भ कर दिया है ।

Shri Rameshwaranand : May I know whether the sugarcane price fixed at Rs. 2 a maund is adequate particularly keeping in view the firewood on which a nominal expenditure is incurred whereas the production of sugarcane requires very hard labour?

Mr. Speaker : The price of firewood cannot be stated by the Hon. Minister.

Shri Rameshwaranand : My point was whether the price of sugarcane fixed at Rs. 2 per maund was adequate compared to that of firewood price which is Rs. 5 or 6 a maund now?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने गन्ने तथा लकड़ी के मूल्यों की तुलना नहीं की है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Vanaspati Ghee

*514 : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various chemicals used in the manufacture of hydrogenated oil in vanaspati are injurious to health;

(b) whether any representations have been made to Government sometime back that the vanaspati oil should be sold without hydrogenation since the chemicals used in that process were injurious to health; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) As in the case of other food-processing industries, certain chemicals (like sodium hydroxide, bleaching earth, nickel catalyst, kieselgurh) are used for processing vegetable oils into vanaspati. These chemicals do not enter into the composition

of the oil but merely help to eliminate the impurities present therein or to accelerate the hardening process. They are eliminated during the course of manufacture.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

नदियों की नौगम्यता

*516. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौगम्यता बढ़ाने के लिये ब्रह्मपुत्र (आसाम) नदी में "बाटम पेनल्स" लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या अन्य नदियों, विशेषकर भागीरथी नदी में, क्योंकि मिट्टी जमा हो जाने से वह नौगम्य नहीं रहती है, इस परियोजना का प्रयोगात्मक आधारपर लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) ब्रह्मपुत्र नदी में नौगम्यता को सुधारने के लिये "बाटम पेनलिंग" तकनिक का प्रयोगात्मक रूप में प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) अभी नहीं ।

विवरण

ब्रह्मपुत्र नदी में बाटम पेनलिंग तकनिक का प्रयोग प्रयोगात्मक रूप में हाति तेरा पहाड़ के पास किया जा रहा है । यह प्रयोग नवम्बर/दिसम्बर, 1964 में शुरू किया गया था । यह समय जब कि नदी में पानी का बहाव कम हो रहा था, पेनलों को स्थापित करने के लिये सबसे उपयुक्त समझा गया । ये पेनल जी० आई० की चादरों (नालीदार और सीधी दोनों) से कोणीय लोहे के रिवेटदार जोड़ वाले ढ़ांचों पर गढ़े गये थे । प्रत्येक पेनल को उठाने के लिये लोहे की रस्सी और रिवेटों के द्वारा दो ओर से उठाने का प्रबन्ध किया गया था । खर्चे की बचत करने के लिये लोहे के कंकरीट और साल के डंडों के स्थान में 4 इंच व्यास के बांस के डंडों का प्रयोग किया गया । जवूती के लिये डंडे 1 इंच मीटर के फासले पर गाढ़े गये और डंडों की कतार के एक ओर पेनल खडे किये गये । पार्श्विक जवूती के लिये पेनलों की दूसरी तरफ काफी संख्या में डंडे लगाये गये । इस प्रयोग का तात्पर्य सहायक धाराओं को रोक कर पानी नदी की मुख्य धारा में लाने का है जिससे नौवहन के लिये मुख्य धारा में निश्चितरूप से और अधिक पानी की व्यवस्था हो सके ।

पशु-चिकित्सा संबंधी शिक्षा

*517. **श्री ग० ना० तिवारी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वृजराज सिंह---कोटा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 25 नवम्बर को 'पशु रोगों' सम्बन्धी एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह घोषणा की थी कि पशु-चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के लिये तथा पशु-चिकित्सा सहायता केन्द्रों की स्थापना के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम चालू किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) पशु रोगों की रोकथाम के लिये इस सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

नौवहन विकास निधि

*518. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **परिवहन** मंत्री 24, नवम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अब तक मिले तथा आगे मिलने वाले जहाजों की अलग-अलग संख्या के लक्ष्य क्या है तथा उसी के अनुसार गैरसरकारी क्षेत्र के उन प्रत्येक नौवहन समवायों के लिये, जिनको नौवहन विकास निधि से धनराशियां मंजूर की गई है, कितना कितना टन भार निश्चित किया गया है ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक ने अब तक कितने लक्ष्य पूरे किये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया है; देखिये एल० टी० 3622/64]**

दिल्ली में स्कूटर-रिक्शा चालकों द्वारा हड़ताल

*519. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किराया बढ़ाने की अपनी मांग के समर्थन में दिल्ली में स्कूटर-रिक्शा के चालकों ने 30 नवम्बर, 1964 की एक सांकेतिक हड़ताल की थी : और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां।

(ख) स्कूटर-रिक्शा ड्राइवरों की स्कूटरों के किराये में वृद्धि करने की मांग का निर्णय मूलतः राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली, पर निर्भर है। यह प्राधिकरण अर्ध न्यायिक संस्था है। इस प्राधिकरण ने इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि जबतक सब स्कूटरों पर किराया-मीटर नहीं लग जाते हैं तब तक किरायों का पुनरीक्षण करना उचित नहीं है।

सामुदायिक विकास खंडों का सर्वेक्षण

*520. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन की मात्रा का पता लगाने के लिये तीन वर्षों में सभी सामुदायिक विकास खण्डों का प्रयोगात्मक सर्वेक्षण करने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने सामुदायिक विकास खण्डों का सर्वेक्षण कर लिया गया है ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया है ?

खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) इस समय कृषि उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगाने की योजना 11 राज्यों के 204 खण्डों में चालू है। 3 वर्ष की अवधि में इन राज्यों के बाकी समस्त खण्डों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस योजना के लिये 15.74 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। उसके पश्चात् होने वाले व्यय के विषय में अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

ट्रैक्टरों की आवश्यकता

*521. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री नि० चं० चटर्जी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की ट्रैक्टरों की आवश्यकता का कोई निर्धारण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ;

(ग) 1962–63 तथा 1964 में पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को कितने ट्रैक्टर दिए गये ; और

(घ) इन राज्यों को जो ट्रैक्टर दिये गये वह इनकी आवश्यकता से कितने कम हैं ?

खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री चो० सुब्रह्मण्यम) : (क) अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना की अवधि के पांच वर्षों में लगभग 1,50,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी।

(ख) देशीय उत्पादन को बढ़ा कर इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। जब तक देशीय उत्पादन इस मांग को पूरा करने योग्य नहीं हो जाता तब तक सीमित आयातों की अनुमति दी जाएगी।

(ग) देश में बने ट्रैक्टरों की बिक्री और वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। पूर्वी यूरोप के देशों से आयात किये गये ट्रैक्टरों का निर्धारण क्षेत्रीय ढंग पर होता है (राज्य के ढंग पर नहीं)।

(घ) समस्त क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की कमी है क्यों कि देशी वा उद्योग ट्रैक्टरों का उत्पादन इतना नहीं कर पा रहा है जितनी मांग है और ट्रैक्टरों के आयात के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा निर्धारित करना भी सम्भव नहीं है

शरारती बच्चों सम्बन्धी प्रतिवेदन

*522. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 के दौरान 200 से अधिक शरारती बच्चों के मामलों की जांच पर व्यापक रूप से पुनर्विचार करने के बाद कलकत्ता के बाल सहायता केन्द्र ने जो प्रतिवेदन तैयार किया था, क्या सरकार ने उसका अध्ययन कर लिया है ;

(ख) क्या इस केन्द्र द्वारा छानबीन किये गये मामलों की 6 श्रेणियों के सम्बन्ध में इसकी उपपत्तियों से कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश पड़ा है जिनको देखते हुए सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धी दशाओं में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) शरारती तथा अपचारी बच्चों के बारे में केन्द्र द्वारा किये गये अनुसंधान के आधार पर इसके द्वारा स्वीकृत वैज्ञानिक विधि को सरकार का विचार किस प्रकार से उपयोग में लाने का है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार ने रिपोर्ट नहीं देखी है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पी० एल० 480 करार

*523. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रामसेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 22 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 341 तथा 346 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा भारत के बीच एक नया पी० एल० 480 करार इस बीच हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की अवधि क्या है; और

(ग) इस करार के अधीन कितना गेहूं, चावल अथवा अन्य वस्तुयें आ जाती हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) पहली जुलाई, 1964 से 30 जून, 1965 तक ।

(ग) आशा है कि इस करार के अधीन लगभग 40 लाख टन गेहूं, 3 लाख टन चावल और 75,000 टन वनस्पति तेल का आयात किया जाएगा ।

दिल्ली में चावल का न मिलना

*524. **श्री यशपाल सिंह : खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल नियंत्रण आदेश लागू होने के बाद दिल्ली में चावल न मिलने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा की गयी जांच से पता चलता है कि दिल्ली के बाजारों में चावल उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चने और मोटे अनाज की कमी

*525. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चने और मोटे अनाज की कमी का अध्ययन करने के लिए दिल्ली में 3 दिसम्बर, 1964 को अन्तर्राज्यिक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : 3 दिसम्बर, 1964 को देहली प्रशासन, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार तथा भारत सरकार के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें यह स्वीकार किया गया कि पंजाब सरकार दिल्ली प्रशासन को चने की कुछ मात्रा देगी। यह भी स्वीकार किया गया कि राजस्थान के समार्हता, देहल्ली प्रशासन को दिल्ली में भेजे जाने वाले मोटे अनाजों के निर्यात सम्बन्धी परमिटों के बारे में जानकारी देते रहेंगे ताकि दिल्ली प्रशासन इन मोटे अनाजों की उचित वितरण व्यवस्था कर सके।

Calcutta Port

*526. **Shri P. R. Chakraverti :**
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Union Government have decided to take over foodgrain clearance work at Calcutta port through departmental labour; and

(b) how far the taking over of dock labour at Bombay by Government has resulted in additional clearance of foodgrains per month ?

The Minister for Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) The matter is under the consideration of the Government.

(b) Since the taking over of clearance work at Bombay by the Government with effect from 31-7-1964, the rate of clearance has improved. Against the average monthly clearance of about 1.43 lakh tonnes over a period of one year prior to departmentalisation, the average monthly clearance after departmentalisation has been about 2 lakh tonnes.

कलकत्ता बन्दरगाह

*526. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह पर अनाज को उठवाने का काम विभागीय मजदूरों द्वारा कराने का निर्णय संघ सरकार ने किया है ; और

(ख) बम्बई में गोदी मजदूरों की व्यवस्था का काम सरकार द्वारा लिये जाने के फलस्वरूप प्रतिमाह कितना अतिरिक्त अनाज वहां से उठवाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) बम्बई में दिनांक 31-7-1964 से अनाज उठवाने का काम सरकार द्वारा अपने हाथ लिये जाने के फलस्वरूप इस काम में सुधार हुआ है। अनाज उठाने के काम को विभागीय मजदूरों द्वारा कराने से पहिले एक वर्ष से अधिक समय की अवधि का प्रतिमाह औसत लगभग 1.43 लाख टन थी और विभागीयकरण के बाद यह मासिक औसत लगभग 2 लाख टन हो गयी है।

कृषकों की ऋण की आवश्यकता

1360. **श्रीमती रामदुलारी सिंहा :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण के अनुसार 1961–62 में राज्य-वार क्रमशः कृषकों तथा अन्य ग्रामीण लोगों की कुल ऋण आवश्यकता का प्राक्कलन क्या है तथा सरकारी अभिकरणों ने उन की इस आवश्यकता को किस मात्रा तथा प्रतिशत तक पूरा किया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण के अनुसार 1 जुलाई 1961 से 30 जून 1962 तक कृषकों अकृषकों तथा ग्रामीण परिवारों के नगद उधार का कुल राज्यवार प्राक्कलन नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य	कृषक	अकृषक	सभी ग्रामीण परिवार
असम . .	550	118	668
आंध्र प्रदेश	10,979	1,804	12,783
बिहार .	6,103	974	7,077
गुजरात . .	7,088	1,535	8,623
जम्मू तथा काश्मीर . .	749	40	789
केरल	4,116	312	4,428
मद्रास (पांडीचेरी सहित) . .	10,198	2,459	12,658
मध्य प्रदेश .	7,367	963	8,330
महाराष्ट्र .	8,253	926	9,179
मैसूर	8,008	1,235	9,243
उड़ीसा . . .	1,308	255	1,563
पंजाब . .	5,936	2,540	8,476
राजस्थान	10,557	1,683	12,240
उत्तर प्रदेश	16,254	2,630	18,884
पश्चिम बंगाल	4,753	1,864	6,617
संपूर्ण भारत (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा सहित) ।	1,02,940	20,299	1,23,239

सरकार से ली गई ऋण की मात्रा के बारे में आंकड़ों की विस्तृत सारणी, भारत का रक्षित बैंक अभी तैयार कर रहा है। जिन तरह राज्यों की सारणी तैयार हो चुकी है, सरकार से सीधे लिये गये उधार का तथा कुल नगद उधार के अनुपात का प्रारंभिक प्राक्कलन कृषकों के मामले में 0.6 प्रतिशत से 8.3 प्रतिशत ; अकृषकों के मामले में 0.1 प्रतिशत से 2.2 प्रति शत ; तथा सभी ग्रामीण परिवारों के मामले में 0.5 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत था।

Groundnut Oil Expeller Plants

1362. Shri Badshah Gupta : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state the names of places where groundnut oil expeller and hydrogenation plants are installed in the country and the quantity of vanaspati they are capable of manufacturing per year?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : A statement showing the names and addresses of oil mills and vanaspati factories is attached. **[Placed in library. See. No. L.T. 3623/64]**. The production capacity of the vanaspati factories is 5.98 lakh tonnes per year.

वन उत्पादों के मूल्य

1363. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 29 सितम्बर, 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वन बोर्ड की समिति ने वन उत्पादों के मूल्यों को निर्धारण करने के बारे में अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो काम कब पूरा हो जायेगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) अभी नहीं।

(ख) सभी राज्यों से वन के कच्चे माल की उपलब्धता संबंधी आंकड़े आदि इकट्ठा होने पर समिति की बैठक होगी तथा वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

उड़ीसा में खादी तथा ग्रामोद्योग

1364. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1963–64 तथा 1964–65 में अब तक खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने जिन योजनायों को अनुमति दे दी थी उन की रूपरेखा क्या है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में इन योजनाओं पर कितना धन मंजूर तथा व्यय किया गया ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास की योजनायों को केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद स्वीकृति देता है। खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् अपेक्षित सूचना इकट्ठी कर रहा है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कूएं

1365. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को पानी की सुविधा देने के लिये 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में अब तक कितने कुओं के निर्माण की मंजूरी दे दी गई हैं ; और

(ख) इस पर कितना खर्च हुआ ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	अनुसूचित आदिम जातियां		अनुसूचित जातियां	
	जितने कुओं के निर्माण की मंजूरी दी गई	(लाख रुपयों में) जितना खर्च हुआ	जितने कुओं के निर्माण की मंजूरी दी गई	(लाख रुपयों में) जितना खर्च हुआ
1962–63	50 कुएं	3.00	193 कुएं	1.50
1963–64	115 कुएं (पुराने तथा नये)	3.00	100 कुएं	1.95
1964–65 (अबतक)	जानकारी उपलब्ध नहीं है।*			

लघु सिंचाई योजनायें

1366. **श्री दे०शि० पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में अब तक लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के लिये महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है ;

(ख) क्या यह धनराशि प्रयोग में लाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो खर्च कहां तक लाभप्रद सिद्ध हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये वर्ष 1958–59 से जारी किये गये पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय सहायता "कृषि उत्पादन" शीर्ष के अधीन योजनाओं के लिये जिस में लघु सिंचाई तथा भूमि विकास भी सम्मिलित हैं, प्रपुंज रूप में मंजूर की जाती है । इस लिये वर्ष 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिये महाराष्ट्र सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता की धनराशि विशेष रूप से बताना संभव नहीं है। तथापि कृषि उत्पादन योजनाओं के लिये जिस में लघु सिंचाई तथा भूमि विकास भी

*उड़ीसा सरकार ने लिखा है कि कुओं की खुदाई प्रायः वर्ष के अन्त में ही की जाती है क्योंकि यह काम करने का अच्छा समय होता है, इस लिये इस समय वर्ष 1964–65 की अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

सम्मिलित हैं, इन वर्षों में महाराष्ट्र सरकार को मंजूर की गई तथा उन के द्वारा खर्च की गई अनुदानों के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार से है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अन्त: काल के लिये मंजूर की गई धनराशि	अनुदान की धनराशि जिस का अन्त में समायोजन किया गया
1960-61	51.80	50.30
1961-62 . . .	43.56	38.00
1962-63 . . .	79.13	67.82
1963-64	120.25	*
1964-65 . .	123.77	†

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन को वार्षिक योजना में, तृतीय योजना के पहले तीन वर्षों में लघु सिंचाई योजनाओं से 6.79 लाख एकड़ के क्षेत्र को कथित लाभ हुआ है जब कि तृतीय योजना का लक्ष्य 12.10 लाख एकड़ है, 1964-65 का लक्ष्य 4.32 लाख एकड़ है ।

बाल शिक्षा

1367. **श्री वै० तेवर :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64 में बाल शिक्षा के लिये भारत सरकार ने भारतीय शिशु कल्याण परिषद् को राज्यवार कितनी धनराशि के अनुदान दिये थे ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बाल सेविकाओं का वेतन-मान मद्रास राज्य में 20 रुपये प्रति मास है जबकि अन्य राज्यों में 120 रुपये है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

*क्योंकि राज्य सरकारों ने वर्ष 1963-1964 के वास्तविक खर्चे के आंकड़े अभी तक नहीं दिये हैं इस लिये उस वर्ष के लिये अन्तिम भुगतान समायोजन नहीं किये गये हैं ।

†वर्ष 1964-65 के लिये दी गई अनुदानों के आंकड़ों से केन्द्रीय वित्त सहायता की, जो राज्य सरकार को उस वर्ष के लिये बता दी जाती है, उच्चतम सीमा का पता चलता है । चालू वित्तीय वर्ष के लिये अब तक राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय वित्त सहायता नहीं दी गई है । वह मार्च 1965 में किसी समय दी जायेगी ।

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) बाल शिक्षा के लिये भारतीय शिशु कल्याण परिषद् को नहीं बल्कि बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम परिषद् को अनुदान दिये जाते हैं। इस प्रशिक्षण के लिये मंजूर किये अनुदानों का राज्यवार आवंटन इस प्रकार है :—

	रुपये
1 आन्ध्र प्रदेश	35,000
2 केरल	50,000
3 मद्रास	50,000
4 मैसूर	50,000
5 महाराष्ट्र (हिंगानी)	35,000
6 महाराष्ट्र (कोसबाद) . . .	5,000
7 पंजाब	50,000
8 राजस्थान	50,000
9 पश्चिम बंगाल	50,000
10 दिल्ली	66,400

(ख) और (ग) मद्रास राज्य की ऐसी बाल सेविकाओं को, जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की होती है तथा भारतीय शिशु कल्याण परिषद् में ग्यारह महीनों की अवधि का प्रशिक्षण लिया होता है, पूनामलिक पंचायत संघ की एकीकृत शिशु कल्याण अग्रिम परियोजना में नियुक्त की गई सभी बाल सेविकाओं के लिये मद्रास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार 80-3-110-2-120 रुपये प्रतिमास की श्रेणी का वेतन मिलता है। भारत सेवक समाज तथा अन्य विभिन्न सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थायों द्वारा भारतीय शिशु कल्याण परिषद् से प्रशिक्षित बाल सेविकाओं को दिये जाने वाले वेतन में 75 रुपये से 105 रुपये प्रति मास का अन्तर होता है। ऐसी बाल सेविकाओं को, जो आठवी कक्षा पास की होती हैं तथा मद्रास की राज्य सरकार से तीन महीनों का प्रशिक्षण ग्रहण किये होती हैं, 20 रुपये प्रति मास दिये जाते हैं।

केरल में बागानों तथा दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी

1368. श्री अ० व० राघवन : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे सरकारी कर्मचारी बीमा अधिनियम के कार्य क्षेत्र को बढ़ा कर बागानों तथा दुकानों और कारखानों के कर्मचारियों तक लाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो योजना कब लागू की जायेगी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) इस समय केरल अथवा भारत के किसी अन्य भाग में बागानों के श्रमिकों को सरकारी कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि ऐसा विचार है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में दुकानों तथा वाणिज्य कारखानों को (जहां 20 से अधिक व्यक्ति काम करते हों) कुछ चुने हुए केन्द्रों में सम्मिलित कर दिया जाये जहां राज्य सरकारें, पूर्ण चिकित्सा लाभ के लिये पहले ही पर्याप्त प्रबन्ध करने में समर्थ हों तथा इस योजना के अधीन इन श्रेणियों को सम्मिलित करने की इच्छुक हों।

Delhi Zoological Park

1369. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number and the different species of animals and birds in the Delhi Zoological Park at present separately ; and

(b) the animals and birds among them brought from foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b) A statement is appended. [**Placed in Library. See No. L.T. 36 24/64**].

Intensive Agricultural Programme

1370. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of districts in Punjab where intensive agricultural programmes has been taken up ; and

(b) the main facilities being provided to the agriculturists under this programme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b) A statement is attached. [**Placed in Library. See No. L. T. 3625/64**].

Milk Booths in Delhi

1371. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of all day milk stalls working under the Delhi Milk Scheme ; and

(b) the total sale proceeds from these milk stalls during the last three months and the amount paid to the employees by way of salaries during the same period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) 11.

(b) The total sale proceeds from the All Day Milk Stalls and expenditure towards the payment of salaries to the staff employed at these Stalls for the period September, 1964 to November, 1964, are given below :—

Month	Total Sale proceeds	Total expenditure on the Salaries of the staff
	Rs.	Rs.
September, 1964	56,613·42	3,650·30
October, 1964	28,641·14	3,654·64
November, 1964	65,891·41	3,656·35

अमरीका से मंगाई गई भेडे

1372. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
ओकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकाने पिछले महीने भेड़ों के दो भरे हुए जहाज़ भारत भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन का भारत में कब पहुंचने का अनुमान है ; और

(घ) समझौते की किन शर्तों के अधीन भेड़े भेजी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) "हेफर प्रोजेक्ट" इंक द्वारा, जो अमरीका की एक पूर्त संस्था है, पेश किये गये 400 भेड़ों के उपहार को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। 200 भेड़ों का पहला जहाज 3 दिसम्बर, 1964 को तथा दूसरा 11 दिसम्बर, 1964 को भारत पहुंच गया था।

(घ) भारत सरकार अमरीका से भारत तक वायूयन द्वारा भेड़ों को लाने का खर्च ही देगी।

सिंचाई योजना

1373. श्री विभुति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के एक सिंचाई विशेषज्ञ दल ने सिंचाई योजना के सम्बन्ध में हाल ही में भारत सरकार को मंत्रणा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रणा का स्वरूप क्या है तथा इस की व्यवहार्यता पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये संयुक्त राज्य अभिकरण के अधीन अमरीका के तीन विशेषज्ञों का एक दल भारत के भूमि तथा जल संसाधन का सर्वेक्षण करने के लिये मार्च से मई 1964 तक यहां आया था। दल ने अपना प्रतिवेदन अभी पेश नहीं किया है।

क्षतिकारक घास पात पर शोध

1374. श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय को क्षतिकारक घास-पात संबंधी अनुसन्धान कार्य के लिये 4,75,680 रुपये का अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां तो इस अनुसन्धान की मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शहानवाज खां) (क) जी हां।

(ख) अमरीका में और भारत में गगा के उपरी भाग के मैदानों में जंगली प्रकार के लगभग 90 वर्णों के क्षतिकारक घास पात समान हैं। दोनों देशों में जलाशयों और कृषि भूमि के लिये इनमें से बहुत से घास पात हानिकर हो गये हैं। इस घास पात के परिस्थिति संबंधी जीवन चक्र के अध्ययन के लिये शोध कार्य हाथ में लिया जायेगा जिसको उनके नियंत्रण के काम में लाया जायेगा।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक "फाइटोट्रान" होगा जिसमें कई कमरों की शृंखला होगी और इन में संयंत्रित वातावरण का उपयोग इच्छानुसार मौसमी स्थिति लाने के लिये किया जायेगा।

Delhi-Jorhat Air Service

1375. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwari :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that air journey between Delhi/Patna Jorhat takes very long time ; and

(b) if so, whether Government propose to extend Delhi-Calcutta Caravelle service *via* Patna ?

Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo) : (a) Fairly fast air services are available between Delhi/Patna and *via* Calcutta between Delhi/Jorhat.

(b) It is considered that Patna is adequately served by the existing service For Caravelle services longer hauls are more economical than the shorter sector hauls and a break of the long haul service Delhi-Calcutta would be uneconomic.

Expenditure on Agriculture

1376. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwari :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount spent on agricultural since 1951;

(b) how far it has resulted in increasing the agricultural production ;

(c) whether Govermnent have considered any measures to ensure that the benefits of such expenditure reach the a griculturists ; and

(d) if so, the nature of those measures ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The estimates of expenditure incurred by the Central and State Governments and Union Territories on agricultural production and

allied programmes such as minor irrigation, animal husbandry and fisheries during 1st and 2nd Five Year Plans and the first three years of Third Plan are as under :

Period	Expenditure incurred (Rs. in Crores)
1. First Five Year Plan	206
2. Second Five Year Plan	271
3. *Third Five Year Plan*	
1961-62	84
1962-63	98
1963-64	135@

(b) The amounts spent on agriculture have resulted in increase in agricultural production as is evident from the Index Numbers of the agricultural production in India indicated below :—

(Agricultural Year—1949-50=100)

Index Nos. of Agricultural Production in India

Commodity Group	1950-51	1955-56	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
Foodgrains	90·5	115·3	135·6	137·5	130·4	134·9
Oilseeds	98·5	108·6	128·0	134·4	137·7	133·6
Cotton	110·7	153·9	203·3	170·2	201·8	206·3
Jute	106·3	135·8	121·6	193·8	165·1	180·5
Sugarcane (Gur)	113·7	119·8	173·9	163·7	154·0	165·5
All Commodities	95·6	116·8	139·7	141·4	137·2	140·5

(c) and (d) Yes, with a view to accelerate agricultural production programme, a number of facilities, concessions and encouragement have been provided to the agriculturists and the important among them are :—

(i) In addition to the Intensive Agricultural District Programmes in operation since 1960-61, Intensive cultivation programmes for rice, wheat, millets, pulses, cotton, jute, oilseeds and sugarcane have been introduced in selected areas. For this purpose extension machinery has been strengthened. Technical staff is helping agriculturists in drawing farm production plans. Efforts are made in these areas to ensure the supplies of production requisites and credit in needed quantities and in proper time.

@Provisional.

With the intention of encouraging the farmers to adopt a package approach involving intensive use of imputs, necessary facilities by way of supplies and credit are being ensured to the farmers in these areas. For strengthening the arrangements for distribution of fertilisers, etc. construction of a chain of rural godowns is being sponsored.

(ii) Irrigation schemes have been given priority and increased emphasis has laid on expansion of irrigation facilities. The Government of India shares the expenditure on minor irrigation schemes by way of subsidies granted by the States to cultivators. For instance, for surface wells and renovation of irrigation tanks, 75% loan and 25% subsidy to be shared equally by the Centre and States; and for kuhls in hilly areas 50% Loan and 50% Subsidy to be shared equally by the Centre and States are admissible under the pattern of Central assistance to States. Special attention is being given to meet the requirements of scarce materials needed for minor irrigation programmes. To increase the utilisation of the unused potential created by major-medium irrigation programmes, special measures like construction of field channels, opening of demonstration farms, strengthening of extension organisation, etc. are being taken up.

(iii) Great emphasis has been placed on soil conservation measures especially contour bunding. Special efforts have been made to create suitable organisation for soil conservation in the States training of personnel for this work and evolving soil conservation techniques suited to different soil and climatic conditions. Under the pattern of Central assistance to States, 75% loan and 25% subsidy to be shared equally by the Centre and States for soil conservation in agricultural lands and connected afforestation and pasture schemes, 50% loan and 50% subsidy for soil conservation in hilly areas and 25% loan and 75% subsidy in scheduled areas of hilly regions are admissible to meet the expenditures.

(iv) Measures taken for increased consumption of fertilisers and their timely supply to the cultivators include reduction in prices of Calcium Ammonium Nitrate and Urea, 25% subsidy on phosphatic fertilisers, rebate on stocking of fertilisers during non-manuring season, subsidy on transport of fertilisers by road upto a distance of 500 Km., increased number of fertiliser trails on cultivators fields and strengthening of supply organisation by increasing the number of sale points. For distribution of fertilisers, construction of a chain of rural godowns is proposed to be constructed under the special development programmes.

(v) A premium of Rs. 2 per maund is being paid on improved seeds of cereals and pulses of certified quality and purity distributed through institutional agencies. Measures for undertaking tests of germination and purity of improved seed proposed to be distributed, making arrangements for seed certification and improving the distribution arrangements to the greater benefit of cultivators are being taken.

(vi) Short-term credit facilities are being made available to the States to cover the purchase of pesticides seeds and fertilizers, so that the quantity of this input supplied to cultivators in substantially increased.

(vii) 25% subsidy by the Central Government is also admissible for supply of pesticides, dusters and sprayers and for improved agricultural implements and in addition the State Governments also grant additional help as necessary.

(viii) Centre also shares equally with State Governments such subsidy as is given by them for hybrid maize, jute, groundnut and cotton.

(ix) With a view to popularising the use of green manures, a subsidy at Rs. 2 per maund is being given to the farmers.

(x) With a view to obviating delays in dealing with agricultural development programmes by various authorities and ensuring benefits of expenditure reaching the agriculturists in time, steps have been taken for administrative co-ordination at different levels—at the Centre, State, District, Block and Village Levels.

Consumer Co-operative Stores

1377. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the improvement made in the working of Consumer Cooperative Stores in the country upto the 30th September, 1964 ;

(b) the facilities made available to such stores in regard to trading in foodgrains and other controlled commodities ;

(c) whether the quota of sugar was refused to such stores in October last and the reasons therefor ; and

(d) other assistance being given by Government to the Consumer Co-operative Stores ?

The Deputy Minister of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy) : (a) (i) The average coverage of wholesale stores has increased from 5·6 per cent of the families in towns in which they are located in July 1964 to 5·8 per cent in September 1964.

(ii) The total paid up share capital of wholesale stores increased from Rs. 1·56 crores as on 31-7-64 to Rs. 1·9 crores as on 30-9-64.

(iii) Their total working capital showed an increase from Rs. 6·8 crores as on 31-7-64 to Rs. 8·6 crores as on 30-9-64.

(iv) The total value of sales increased from Rs. 4·10 crores in July 1964 to Rs. 5·20 crores during September 1964.

(b) (i) Fair price shops and quotas of sugar and other controlled commodities are being allotted to co-operative consumer stores.

(ii) A negotiated agreement has been arrived at with the textile mills under which they are to supply 10 per cent of the cross section of their products to the co-operative consumer stores.

(iii) Special concessional terms have been secured from a number of private manufacturers for the supply of their goods to the co-operative consumer stores.

(iv) A special quota of imported camphor has been earmarked for sale through the consumer co-operatives.

(v) Arrangements have been made with the Customs authorities for the supply of confiscated goods to the consumer co-operative stores for sale.

(vi) A special quota for the import of dates and dry fruits has been given to the consumer co-operative stores.

(c) No such case of refusal has been brought to the notice of the Ministry.

(d) (i) Government provides share capital contribution, clean credit, block capital and subsidies for the construction of godowns and purchase of trucks and managerial subsidy to the wholesale stores. Share capital contribution and managerial subsidy are also provided to the primaries under the scheme.

(ii) Facilities are being provided for the training of the personnel working in consumer co-operative stores.

(iii) Exemptions have been given in some States to wholesale stores from the operation of the multi-point sales tax act in regard to their sales to their primaries. The matter is being pursued with other states which have not yet granted similar exemption.

(iv) State Governments have been requested to assist co-operative consumer stores in securing proper accommodation for their shops, offices and godowns.

(v) Some state governments have provided necessary guarantee to the State. Bank of India for advancing working capital loans to the consumer co-operatives.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में विधि विभाग

1378. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य विभाग में विधि विभाग स्थापित करने का सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस विभाग के स्थापन से सरकार को क्या सहायता मिलेगी ;

(घ) क्या राज्य सरकारों को भी अपने विभागों में ऐसे विभाग बनाने को कहा गया है ; और

(ङ) यदि यहां तो राज्य सरकारों की इस के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) खाद्य विभाग को कई प्रकार के ठेके लेने होते है जिन से संग्रहागारों का संभरण और कई दूसरी सेवायें होती हैं। जैसा इन मामलों में अनिवार्य है, सरकार और ठेकेदारों के बीच झगड़े उठ खड़े होते हैं और इनका निर्णय मध्यस्थ न्यायालयोंद्वारा कराना आवश्यक हो जाता है। हार जाने वाले मामलों की संख्या काफी अधिक थी। एक विभागीय समिति का, जिसका गठन इसके कारण जानने के लिये किया गया था, ने सुझाव दिया है कि विभाग में ही आंकड़ों का अधिक बुद्धिमत्ता से एकत्र किया जाना और विधि के कुशल मार्गदर्शन के अधीन गवाही को अच्छी तरह पेश करना अनिवार्य है। इस विभाग की सनिक क्रय संस्था में एक अलग अनुभाग है जो कानूनी और मध्यस्थ निर्णय के उन कार्यों को

हाथ में लेता है जिनका संबन्ध सैनिक क्रय से है। इस विभाग को और बड़ा करने का निर्णय किया गया है और इसे विभाग में उठने वाले सभी मामले कानूनी मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपे जायेंगे। यह एक विशेषज्ञ इकायी का कार्य करेगा और उपलब्ध गवाही को अधिक कुशलता से पेश करने में सहायक होगा जिससे ऐसे मामलों को हाथ में लेने में प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के भय को कम से कम किया जा सके।

(घ) कोई ऐसा निदेश जारी नहीं हुआ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में खादी तथा ग्राम उद्योग

1379. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अब तक 1964–65 के दौरान पंजाब में खादी तथा ग्राम उद्योगों की योजनाओं की क्या रूपरेखा है ; और

(ख) पंजाब में यह योजनाएं कहां कहां कार्यान्वित की जायेंगी ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) भिन्न राज्यों में खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास की योजनाओं का अनुमोदन सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा न होकर खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। प्रयाप्त सूचना खादी तथा ग्राम उद्योग द्वारा एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब का खादी बोर्ड

1380. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के खादी बोर्ड की निधियों में हेरफेर का कोई मामला सरकार को सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नल-कूप

1381. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में पंजाब में विशेषकर पिछड़े हुये पहाड़ी इलाकों में केन्द्रीय नलकूप आयोग द्वारा कितने नल-कूप खोदने का प्रस्ताव है ; और

(ख) जहां यह कूप खोदे जायेंगे, उन स्थानों के नाम क्या हैं और इसके लिये इसी अवधि में कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) 1964–65 में पंजाब के रोहतक ज़िले में केवल दो कूप खोदे गये। 1964–65 की शेष अवधि में और कोई कूप खोदे जाने की सम्भावना नहीं है। 1964–65 की अवधि में कुल निर्धारित निधि की रकम 20,382 रुपये है।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों का स्थायीकरण

1382. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** 15 सितम्बर 1964 को पूछ गये अतारांकित प्रश्न सं० 640 के उत्तर के संबंध में क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के वह तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले पर क्या प्रगति हुई है जिन्होंने तीन से अधिक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ; और

(ख) क्या ऐसे सभी उपयुक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण आदेश जारी करने की तिथि निश्चित की गयी है ; यदि हां तो वह क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के तृतीय श्रेणी के 215 और चतुर्थ श्रेणी के 156 पद 1-9-1964 तक स्थायी घोषित किये गये हैं। आगे पुनरीक्षण के बाद और पद स्थायी संस्थान में जोड़े जायेंगे। इन पदों के 40 कर्मचारी अब तक स्थायी बनाये जा चुके है जिसका विवरण इसके साथ जोड़ दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये सं० एल. टी. 3626/64**] सभी उपयुक्त कर्मचारियो को स्थायी करने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी परन्तु यथाशीघ्र तिथि तक सभी औपचारिकतायें पूरी करने का प्रयत्न किया जायेगा।

पत्तों से बनी खाद

1383. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वृक्षों के पत्तों से खाद बनाने की योजना, जो कुछ समय पहले बनायी गयी थी, छोड़ दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सी. पी. डब्ल्यू. डी. के बागबानी विभाग ने विभागीय मालियों को स्थायी आदेश जारी किये हुये हैं कि नई दिल्ली की कुछ चुनी हुई सड़कों पर स्थित कोठियों के ढालानों से गिरे हुये सूखे पत्ते चून कर खाद बनायें। वर्ष 1962–63 में कोठियों के गढ़ों से तैयार खाद की कुल मात्रा 84,000 घन फुट थी।

गोदामों की सुविधाओं का उपयोग

1384. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भांडागार निगम ने गोदामों की सुविधायें पेश की थीं परन्तु किसानों और व्यापारियों ने इस से पूरा लाभ नहीं उठाया ; और

(ख) यदि हां, तो अनाज संग्रह करने के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिये भांडागार की सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग करने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस वर्ष अधियोग कम होने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण अनाज का उपभोगताओं को शीघ्र ही अच्छे मूल्यों पर विक्रय है।

(ख) भांडागार योजना के लाभों का गहन और विस्तृत प्रचार सभी उपलब्ध साधनों द्वारा लगातार किया जा रहा है जैसे, विज्ञापनों, चल चित्रों, रेडियो वार्ताओं, प्रेस विज्ञप्तियों, सिनेमा स्लाइडों के प्रदर्शन और क्षेत्रीय कर्मचारियों के व्यक्तिगत दौरों द्वारा किया जाता है ताकि और अधिक किसान और सहकारी समितियां भांडागारो की ओर आकर्षित हो सकें। इसके अतिरिक्त भांडागार कर्मचारी भावी संग्रहकर्ताओं के लाभ के लिये, अधिक अच्छे परिरक्षण के वैज्ञानिक भंडारों के तरीकों के समय समय पर प्रदर्शन की व्यवस्था करते हैं।

कृषि उत्पादन का सहकारी आधार पर क्रय-विक्रय

1385. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पाद, विशेषकर अनाज के सहकारी क्रय-विक्रय के आंदोलन को लगभग सभी राज्यों में बहुत बड़ा धक्का लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार ने उत्पादकों के हित के लिये इस योजना को सफल बनाने के लिये क्या पग उठाने का प्रस्ताव किया है ?

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी नहीं। वर्ष 1962–63 में 160 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद का क्रय-विक्रय सहकारिता द्वारा हुआ जब कि वर्ष 1963–64 के दौरान इसका मूल्य 210 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस में से गत वर्ष सहकारिता द्वारा अनाज का निपटारण 32 करोड़ रुपये था जबकि 1963–64 में इसका अनुमान 40 करोड़ रुपये है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में सहकारिताओं के व्यापार को, अनाज के मामले में, मंडी के भावों और आरोप या आदेशों और समाहार दरों की तुलना के संघात से कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ख) कृषि उत्पाद के सहकारी क्रय-विक्रय को सामान्य रुप से और विशेषकर अनाज के लिये, बढ़ाने की दृष्टि से यह उपाय किये गये है :

(i) चुनी हुई क्रय विक्रय सहकारिताओं द्वारा कृषि उत्पाद के पूरे क्रय की नयी योजना के अंतर्गत, सरकार पूरी खरीद का 2 प्रतिशत का अंशदान देगी। यह अंशदान कुछ शर्तों को अधीन इन सौदों में हुयी हानि को बट्टे खाते में डालने के लिये उपलब्ध होगा।

(ii) सहकारी क्रय विक्रय समितियों को, अनाज सहित कृषि उत्पाद के एक साथ क्रय करने के लिये, राज्य सरकारें उनकी अंश पूंजी के लिये प्रति समिति 25,000 रुपये की दर से अंशदान देगी।

(iii) हाल ही में राज्य सरकारों को एक योजना सब से ऊपर वाली क्रय विक्रय समितियों में प्रगति और निर्धारण अनुभाग स्थापित करने के लिये लिखा गया है। यह अनुभाग सम्बद्ध प्राथमिक क्रय विक्रय समितियो को पर्याप्त मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे।

(iv) सरकार की हल की नीति के अनुसार उत्पादकों, थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के लिये मूल्य निश्चित किये गये है, इस नीति के आरोपण आदेश के बुरे प्रभाव दूर करने में सहायता मिलेगी।

हिन्दु धर्म सम्बन्धी धर्मस्व आयोग

1386. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेमराज :
श्री यु० सि० चौधरी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० प० स्वामी :
श्री मलइच्छामी :

क्या **विधि** मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दु धर्म सम्बन्धी धर्मस्व आयोग की रिपोर्ट पर बाकी के राज्य अर्थात् केरल तथा पश्चिमी बंगाल की टिप्पणियाँ भी प्राप्त ही चुकी है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर प्रस्तावित कानून कब बनाया जायेगा ?

विधिमंत्रालय मे उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) जी नहीं।

(ख) विषय सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

Supply of Agricultural Implements

1387. **Shri Gulshan :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government for the supply of agricultural implements, fertilizers and tractors to farmers at subsidised rates with a view to increasing the food production in the country ; and

(b) the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b) A statement indicating the position is placed in Library [See No. L.T. 3627/64.]

सहकारी बैंक

1388. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों ने अंशपूंजी के रूप में तथा सहायता के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंक को कुल कितनी सहायता दी ; तथा

(ख) सरकारी सहायता पाने वाले सहकारी संघटनों पर क्या निम्नलिखित विषयों पर कार्यपालन आदेशों अथवा विभिन्न राज्यों की उपविधियों द्वारा कोई शर्तें है :— प्रबन्धक समितियों का नाम निर्देशन, कार्यपालक अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ तथा ऋण प्रक्रिया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

1389. **श्री प्र० च० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में सितम्बर 1964 तक भारत ने विदेशी पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत भ्रमण से कमाई गई विदेशी मुद्रा के अधिकृत प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु 1962 के एक सर्वेक्षण तथा पर्यटकों के प्रतिवर्ष आने के आंकड़े के आधार पर विदेशी मुद्रा के निम्न प्रकार आंकड़े हैं :—

वर्ष	कमाई गयी राशि
1962	19.62 करोड़ रू०
1963 . . .	20.56 ,, ,,
1964 (जनवरी से जून तक) . . .	10.78 ,, ,,

यह अनुमान बहुत अस्थायी है। मंत्रालय ने विशेषज्ञों की सलाह से पर्यटन के क्षेत्र में एक पूर्ण सर्वेक्षण आरम्भ किया है ताकि अधिकृत अनुमान जाना जा सके।

दिल्ली-मद्रास "कैरेविल सेवा"

1390. श्री रामानाथन चेट्टियार : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली-मद्रास के बीच कैरेविल सेवा (दिल्ली से मद्रास तथा मद्रास से दिल्ली) के नियत समय में संशोधन कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या नये समय से यात्रियों के यातायात बढ़ने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानुनगो) :(क) तथा (ख) जी हाँ। इस निर्णय के फलस्वरूप कि "कैरेविल" की सेवाओं को नियमित किया जाय इन तीन जहाज़ों का बम्बई में अड्डा बनाया गया है इस लिये "कैरेविल" के नियत समय परिवर्तन किये गये हैं जो कि सामान्य समय परिवर्तनों का एक भाग है। नियत समय को बहुत सी आवश्यक बातों को ध्यान में रख कर बताया जाता है। इन में है थोडे जहाज़ तथा कम खर्चे पर अधिकाधिक उपयोग आदि। अत: यह सम्भव नहीं कि सभी स्थानों पर सुविधाजनक समय पर सेवायें उपलब्ध की जा सकें। समय नियत बनाते समय इस बातका ध्यान रखा जाता है कि जहां तक हो सके सुविधाजनक समय नियत किये जायें। तथा इस बात को प्राथमिकता दी जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

1391. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, के अन्तर्गत इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिये लागू नहीं किया और बोर्ड ने एक ऐसी भविष्य निधि योजना लागू की है कि जो निर्धारित कानून से बहुत भिन्न प्रकार की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस कार्य में असफल रहे है कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिये निर्धारित कानून के उपबन्धों को कार्यान्वित कर सके ; तथा

(ग) यदि हाँ, तो इस के कारण क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) बोर्ड के सभी बिजलीघरों तथा मीटर पड़ताल के उपकेन्द्रों जो कि कर्मशालायें है में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अधीन भविष्य निधि योजना लागू कर दी गई है। बोर्ड की अन्य इकाईयों के सम्बन्ध में अर्थात् जो उपरोक्त अधिनियम के अधीन नहीं आतीं बोर्ड ने अपनी भविष्य निधि योजना बनायी है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय राजपथ

1392. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्यवार कितने कितने मील राजपथों का निर्माण किया जा चुका है;

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजपथों पर कितनी नदियों के पुल बनाये गये; तथा

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजपथों पर राज्यवार इनकी देखरेख के लिये कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है [**कृपया देखे एल० टी० संख्या 3628/64**]।

निम्बू घास तेल

1393. **श्री इम्बीचिबावा :**
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में आया है कि केरल में बहुत अधिक संख्या में किसान जो निम्बू घास तेल उत्पन्न करते हैं मंडियों की सुविधाओं के अभाव तथा बहुत कम मूल्यों के कारण बेकारी तथा भूखमरी की स्थिति में है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार उन की दशा सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : केरल सरकार को जानकारी भेजने को कहा गया है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा।

Gift of Wheat by the Pope

1394. **Shri Vishwanath Pandey :**
Shri Onkarnath Berwa :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that His Holiness Pope Paul VI has sent wheat worth one lakh dollars as a gift to the poor in India ; and

(b) if so, the arrangements being made by Government for its distribution ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) 1674 long tons wheat was donated by His Holiness Pope Paul VI as gift for distribution among the poor and needy of all communities during the 38th session of the International Eucharistic Congress held in Bombay from 28th November, 1964.

(b) It was delivered to the International Eucharistic Congress Organisation for distribution.

पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण

1395. **श्री यु० सि० चौधरी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मार्च, 1963 को समाप्त हुए वर्ष में देश में पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कुल कितनी धनराशि व्यय की ;

(ख) हर एक राज्य पृथक पृथक कितनी निधि उपलब्ध की गई; तथा

(ग) धन का वितरण के लिये कौन सा अभिकरण ?

सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) 1962–63 में 894.11 लाख रु० व्यय किये गये ।

(ख) एक विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है [**कृपया संख्या एल० टी० 3629/64 देखें**] ।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारें तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासन ।

पिछड़ी जातियाँ

1396. **श्री यु० सि० चौधरी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने अपनी सेवाओं में नियुक्तियों के लिये अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त पिछड़ी जातियों के लोगों को रियायतें देने के सिद्धान्त को मान्यता नहीं दी;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या है; तथा

(ग) इन पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ बनाये गये कल्याण बोर्ड में कौन कौन है ?

सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) तथा (ख) "पिछड़ी जातियां" इसमें अनुसूचित जातियां, आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़ी जातियां आ जाती हैं। यह बात संविधान में ही है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के साथ विशेष व्यवहार होगा और अनुच्छेद 335 के अधीन केन्द्रीय सरकार अपनी सेवाओं में इन के लिये पद सुरक्षित करती है।

(ख) जहां तक "अन्य पिछड़ी जातियों" का सम्बन्ध है भारत सरकार इस के पक्ष में नहीं कि इन की एक सूचि बनायी जाय। उसका विचार है कि इसकी कार्यान्विति में गम्भीर कठिनाइयां खड़ी हो जायेंगी। आर्थिक अवस्था को "अन्य पिछड़ी जातियां" की कसौटी मान लिये जाने पर ऐसी सुरक्षा का करना व्यवहारिक नहीं होगा ।

(ग) हरिजनों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिये भारत सरकार ने एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की है। "अन्य पिछड़ी जातियों" के लिये किसी बोर्ड को नहीं बनाया गया। केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण बोर्ड "अन्य पिछड़ी जातियों" जैसे अनुसूचित, खानाबदोश तथा अर्धखानाबदोश के हितों का पोषण करता है ।

दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता

1397. { श्री फ० गो० सेन :
श्री रामसेवक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर–अक्तूबर, 1964 में अखिल भारतीय दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता कराई गई थी;

(ख) गौओं तथा भैंसों के बारे में इस खुली प्रतियोगिता के लिये क्या शर्तें थीं; तथा

(ग) पशुओं की कौनसी नसल ने पुरस्कार जीते ?

कृषि उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रतियोगिताएं सितम्बर-अक्तूबर तथा फरवरी-मार्च में होती हैं । गोसंवर्धन केन्द्रीय परिषद् वर्ष 1964–65 की प्रतियोगिताओं के नतीजे फरवरी-मार्च 1965 के बाद ही घोषित करेगी ।

विवरण

अखिल भारतीय दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये गौओं तथा भैंसों के लिये कम से कम दुग्ध उत्पादन मात्रा निम्न प्रकार निर्धारित की गई है :—

संख्या	नसल का नाम	प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये न्यूनतम उत्पादन
1	गिर	30 पौंड
2	हरयाना	25 पौंड
3	कांकरेज	30 पौंड
4	ओंगोले	20 पौंड
5	धारपारकर	30 पौंड
6	साहीवाल	35 पौंड
7	सिंधी	35 पौंड
8	भैंसें	35 पौंड
9	मिली जुली नसल की गौएं	50 पौंड

गोबध

1398. **श्री यु० सि० चौधरी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या क्या है जहां गोबध पूर्णरूप अथवा आंशिक रूप से निषिध कर दिया गया है; तथा

(ख) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि पूरे देश में गोबध निषिध कर दिया जाय ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) 14।

(ख) केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं। संविधान की सातवीं अनुसूचि जो सूचि II (प्रविष्टि 15) में है के अन्तर्गत पशुओं का संरक्षण का विषय आता है।

पंजाब में खाद्य उत्पादन

1399. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री साधु राम :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन खाद्य उत्पादन के संबंध में कृषि विषयक कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) पंजाब के किन किन जिलों में खाद्य उत्पादन में अनुमानित तथा वास्तविक वृद्धि के साथ साथ खाद्य उत्पादन के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में अनाज की पैदावार 1960–61 में 60.96 लाख मेट्रिक टन के आधारभूत स्तर से 1965–66 में 79.76 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाने का कार्यक्रम है। 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में पंजाब में अनाज की फसलों से पैदावार क्रमश: 63.40, 58.04 और 57.90 लाख मेट्रिक टन रहि। 1962–63 और 1963–64 में उत्पादन में कमी मुख्यत: खराब मौसम के कारण हुई।

(ख) यह जानकारी राज्य सरकार से मांगी गयी है और वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ?

पंजाब में आटे की चक्कियों के लिए गेहूं

1400. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री साधु राम :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में पंजाब में आटे की चक्कियों को पिसाई के लिये और गेहूं से तैयार किये जाने वाले पदार्थ बनाने के लिए दिये गये विदेशी गेहूं के माहवार कोटे का ब्योरा क्या है;

(ख) ऐसी कितनी चक्कियां हैं जिनके पास गेहूं के पदार्थ तैयार करने का संयंत्र नहीं है ; और

(ग) विदेशों से मंगाया गया गेहूं उसी काम में लाया जाय जिस काम के लिये वह उन्हें दिया गया हो इसके लिए क्या नियंत्रण रखा जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) 1963-64 और 1964-65 में पंजाब में आटे की चक्कियों को दिये गये माहवार कोटे का ब्यौरा इस प्रकार है :--

महिने	1963-64 मेट्रिक टन	1964-65 मेट्रिक टन
अप्रैल	18,059	25,897
मई	12,796	29,999
जून	15,140	30,627
जुलाई	15,938	33,051
अगस्त	20,727	10,695
सितम्बर	12,784	6,085
अक्तूबर	18,888	18,235
नवम्बर	21,836	19,235
दिसम्बर	29,402	20,008
जनवरी	29,613	---
फरवरी	17,524	---
मार्च	18,024	---
कुल	230,731	193,832

(ख) पंजाब में आटे की सभी चक्कियां गेहूं से बनाये जाने वाले पदार्थ तैयार कर रही है।

(ग) चक्कियां ठीक तरह से काम करें इसके लिये गेहूं पीसने वाली आटे की चक्कियां (एल एन्ड सी) आदेश, 1957 के अधीन नियुक्त निरीक्षकों के नियमित निरीक्षण के अलावा आटे की प्रत्येक चक्की को एक पाक्षिक विवरण प्रस्तुत करना होता है जिसमें यह दिखाना होता है कि उन्हें कितना गेहूं मिला और उन्होंने गेहूं से बनने वाले कौन कौन से पदार्थ कितने तैयार किये।

Use of Agricultural Land for Other Purposes

1401. Shri Ramanand Shastri : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state:

(a) the acreage of agricultural land state-wise which was used for industrial and purposes other than agricultural during the last five years ; and

(b) the loss in production of food-grains caused thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b) The information is not available. The time and labour involved in its collection would not be commensurate with the results to be achieved.

अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

1402. **श्री ह० च० सोय :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के संबंध में जो कमियां पाई गयी उन्हें पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाये जाने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना संबंधी एक कार्यकारी दल तीसरी योजना के अवधि के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी योजनाओं के कार्य की समीक्षा करने और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में होने-वाली कठिनाइयां दूर करने के उपायों का सुझाव देने और चौथी योजना के लिये योजनाएं बनाने के लिये कायम किया गया है ।

(ख) कार्यकारी दल ने फरवरी 1964 में जो अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी थी उसकी सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) उन सभी क्षेत्रों में जहां आदिम जातियां कुल आबादी के 50 प्रतिशत और उससे अधिक हों, आदिम जाति विकास खंडों का नियत किया जाना;

(2) आदिम जाति के उन छोटे समुदायों की जो आदिमजाति विकास खंड कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते, तदर्थ सहायता का दिया जाना ;

(3) सहकारिता संबंधी योजनाओं को अधिक सधन बनाना ;

(4) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर रुकावट और बर्बादी के कारणों का सावधानी पूर्वक अध्ययन;

(5) शिक्षा संबंधी योजनाओं को रोजगार के अनुकूल बनाने पर जोर ;

(6) 'आर्थिक उत्थान' कार्यक्रमों पर अधिक बल; और

(7) तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाना ।

आदिवासी

1403. **श्री ह०च० सोय :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी भारत में बड़ी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की जगह के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन कार्यवाही की गयी हैं जिससे विस्थापित आदिवासियों पर बहुत बुरा सामाजिक प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन प्रयोजना क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासी निवासियों को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं के लिये और कब्रिस्तान के लिए जगह की, जो सामान्यतया इस प्रायोजनाओं में नहीं होती, बहुत आवश्यकता महसूस होती है ; और

(ग) यदि हां, इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : जी हां । पुनर्वास कार्यक्रम में उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान दिया गया है । फिर भी आगे स्थिति की छानबीन की जायगी और आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एग्मार्क घी

1404. **डा० रानेन सेन :**
डा० सारादिश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में एग्मार्क घी के कई बन्द डिब्बों में दूध की चर्बी के अतिरिक्त पशु चर्बी पायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शहानवाजखां) : (क) और (ख) कलकत्ता कारपोरेशन ने 1960 में प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में एक मामला दायर किया था जिसमें एग्मार्क घी में पशु चर्बी मिलाने की शिकायत की गयी थी। उस मामले में 1964 में खाद्य अपमिश्रण ऐक अधिनियम, 1964 के अधीन कुछ व्यक्तियों को दंड दिया गया। दंडित व्यक्तियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है और अभी उसका फैसला नहीं हुआ है।

सडक परिवहन

1405. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क परिवहन के दीर्घकालीन विकास के लिए विभिन्न राज्यों के लिये विशिष्ट सिफारिशों के संबंध में मार्गदर्शन (गाइड लाइन्स) जारी किया है;

(ख) कितने राज्यों ने तदनुसार काम करने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार संकटकाल में अतिरिक्त धन देकर सड़क परिवहन का विकास करने के लिए और आगे कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) 'गाइड लाइन्स' राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए हैं। आवश्यक जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और वह उपलब्ध होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया गया है। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी प्रदेश में माल पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक संगठन कायम किया है। उसके कामकाज को और आगे बढ़ाने पर अभी विचार किया जा रहा है।

पोलैंड से ट्रैक्टर

1406. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री० प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड की सरकार भारत को काफी संख्या में ट्रैक्टर देगी;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रैक्टर प्राप्त होंगे; और

(ग) इन ट्रैक्टरों की इस देश में कितनी लागत आयेगी और किस दर पर वे किसानों को दिये जाएंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री(श्री० शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख): 1964 में पोलैंड से सिर्फ 400 ट्रैक्टर मंगाये जायेंगे और निर्माण कार्यक्रम के अधीन देश में उन्हें जोड़ा जायगा।

(ग) प्रत्येक ट्रैक्टर की लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य लगभग 5,267 रुपये होगा। इन ट्रैक्टरों का बिक्री मूल्य अभी तक निश्चित नहीं किया गया है।

Merger of Employees' State Insurance and Provident Fund Schemes

1407. **Shri Ramanand Shastri :**
Shri Ram Sewak :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri D. C. Sharma :
Shrimati Renuka Barkataki :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the present position regarding the merger of the Employees' State Insurance and Provident Fund Schemes ;

(b) whether he is aware of the difficulties which the factory owners and workers are likely to face in case the two schemes are not merged; and

(c) the progress made in respect of amending the Employees' State Insurance Act, 1948 with a view to simplify the working of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jagannatha Rao) : (a) The proposal has been considered at tripartite conferences. As recommended by the Standing Labour Committee at its meeting held in October, 1962, further consideration of the question was postponed for 3 years. The Tripartite Committee since set up to review the working of the Employees' State Insurance Scheme is, however, expected to deal with this matter.

(b) The parties have already been consulted. They are also represented on the Committee set up to review the working of the Employees' State Insurance Scheme.

(c) The amendments are being processed further. The necessary Bill is expected to be introduced in the next session of the Parliament.

Sprinkling of Insecticides

1408. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have made arrangement for sprinkling insecticides from the air to kill the pests ;

(b) whether it is also a fact that birds, doves and peacocks are also killed in large number as a result of such spraying ; and

(c) if so, the steps Government propose to take to save these birds from being killed by such insecticides ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : No reports of killing of birds, doves and peacocks as a result of aerial spraying of insecticides have been received by the Government. The insecticides are sprayed at dosages which are sufficient to kill insects but not the birds of any kind.

चीनी उत्पादन की क्षमता

1409. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उत्पादन की क्षमता 8 लाख टन बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द०रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : सरकारने वर्तमान कारखानों का विस्तार करके और नयी चिनी मिलें स्थापित करके चिनी उत्पादन की 8 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त वार्षिक क्षमता के लिए लाइसेंस देने का निश्चय किया है। लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

चाय, कहवा और रबड़ के लिए उर्वरक

1410. **श्री रोल्ला वेन्कैया :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय, कहवा और रबड़ बागानों के लिए बेचे गये उर्वरकों के संबंध में व्यापारियों का लाभ कम कर दिया है;

(ख) चाय, कहवा अथवा रबड़ बागानों के उपयोग के लिए बेचे गये विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के अधिकतम मूल्य क्या हैं ;

(ग) गेहूं, चावल और दालों को पैदा करने वाले किसानों को बेचे गये रासायनिक उर्वरकों के अधिकतम मूल्य क्या हैं : और

(घ) मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शहानवाज खां) : (क) जी हाँ, अमोनिया सल्फेट के लिए वितरण लाभ 1.10.64 से 20 रुपये से घटाकर 30 रुपये कर दिया गया है।

(ख) चाय, कहवा अथवा रबड़ बागानों के लिए विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के अधिकता मूल्य 1.10.64 से इस प्रकार हैं :—

उर्वरकों के नाम	प्रति मेट्रिक टन मूल्य
1. अमोनिया सल्फेट	रु० 374.60
2. यूरिया	रु० 615.00
3. अमोमियम सल्फेट नाइट्रेट	रु० 435.00
4. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	रु० 310.00

(ग) 1-10-64 से किसानों से रासायनिक उर्वरकों के जो अधिकतम मूल्य किये गये हैं, वें इस प्रकार हैं :—

	उत्तर प्रदेश में	मद्रास में	उड़ीसा में	अन्य किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में
	रु०	रु०	रु०	रु०
अमोनिया सल्फेट	366.00	370.20	373.00	360.00
यूरिया . .	615.90	617.40	615.00	615.00
अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट .	438.00	442.30	443.00	435.00
कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट . .	314.00	319.60	321.00	310.00

मद्रास राज्य को छोडकर उपरोक्त अधिकतम मूल्यों में बिक्रीकर या अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं जब कि मद्रास राज्य के मूल्यों में बिक्रीकर शामिल हैं।

(घ) अमोनियम सल्फेट के मूल्य में असमानता इस बात के कारण हैं कि बागान मालिक कुछ अधिक ऊंचे मूल्य दे सकते हैं। फिर भी यह असमानता दूर करने का प्रश्न विचाराधीन है।

दुर्गापुर-कलकत्ता एक्स्प्रेस राजपथ

1411. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापूर से कलकत्ता तक एक्स्प्रेस राजपथ के निर्माण के लिए ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने वह मंजूर किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Problems of Arid Zone

1412. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri D. N. Tiwary :
Shri Murli Manohar :
Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the UNESCO Advisory Committee on Arid Zone Research recently met in Jodhpur to consider the problems of the Arid Zone ;

(b) if so, the countries represented there at ;

(c) the subjects discussed at this meeting; and

(d) how far the Arid Zone Programme has helped in checking the march of the Rajasthan desert ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) The UNESCO invited only the members of the Advisory Committee on Arid Zone Research from Australia, France, Sudan, Tunisia, United Kingdom, United States of America, Union of Soviet Socialist Republic and India. Besides the representatives from the World Health Organisation, International Geographical Union, International Society of Soil Science, World Meteorological Organisation and the International Council of Scientific Union have also attended this meeting.

(c) Statement is attached.

(d) The Central Arid Zone Research Institute was set up to undertake only fundamental and applied research in the reclamation and control of Rajasthan desert whereas the extension activities are undertaken by the State Government of Rajasthan under the State Plan Schemes. At the Central Arid Zone Research Institute, the experiments are in progress regarding selection of suitable quick growing trees, shrubs and grass species for purposes of fodder, fuel and soil conservation measures in arid zone region. Techniques of stabilization of shifting sand dunes by afforestation have been evolved and recommended to the State Government for large scale adoption.

Statement

This Committee discussed the various activities of arid zone included in the programme of UNESCO for 1965-66. The specific subjects discussed are :

(1) **Hydrology :** International Hydrological Decade; Coordinated study of artesian basins of northern Africa; Multilingual terminology of water resources; Symposia; training courses.

(2) **Geological Sciences :** Geological Atlas of the World and Continental Geological Maps; Standardization of legends and nomenclature ; Training courses.

(3) **Soil Science :** FAO/UNESCO Soil Map of the World Project; Symposia ; Training Courses; Publications; Special Fund Projects.

(4) **Ecological Sciences :** Regional studies on ecology and agriclimatology in arid zones; Standardization and preparation of ecological and vegetation maps; Establishment of sub-regional research institutes for natural resources; Phytotrons; Symposia; Training Courses; Publications.

(5) General discussion of future UNESCO activities relating to Earth Science and Natural Resources.

परिसीमन आयोग की पश्चिम बंगाल में बैठकें

1413. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या विधि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) परिसीमन आयोग की, पश्चिम बंगाल से साथी सदस्यों के साथ पिछली बैठक का स्थान तथा दिनांक ;

(ख) उपर्युक्त बैठक के पश्चात् बिना साथी सदस्यों के आयोग की बैठकों की तिथियां जिनमें पश्चिम बंगाल के संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन श्रेत्रों के परिसीमन प्रश्न पर विचार हुआ था;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रश्न पर राज्य सरकार की राय मांगी गई है तथा प्राप्त हो गई है ;

(घ) परिसीमन के ऐसे विषय पर क्या आयोग ने कोई निश्चय किया है ; और

(ङ) यदि हां, पश्चिम बंगाल की लोक सभा की सीटों के परिसीमन के बारे में क्या निश्चय किये गये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पश्चिम बंगाल से साथी सदस्यों के साथ परिसीमन आयोग की पिछली बैठक कलकत्ता में 8 अप्रैल, 1963 को हुई थी।

(ख) पश्चिम बंगाल के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रश्न पर 7 से 11 दिसम्बर, 1964 तक प्रारंभिक विचार हुआ था।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विस्थापित हरिजन और आदिम जाति के लोग

1414. **दि० चं० शर्मा** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सिंचाई, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण जो हरिजन और आदिम जातियों के लोग विस्थापित हुये हैं, क्या उनका उचित रुप से पुनर्वास किया जायेगा, और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। राज्य सरकारें विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से मुख्यत: सम्बन्धित है और केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता देती है ।

(ख) राज्य सरकारें औद्योगिक उपक्रम और परियोजना अधिकारी, विस्थापित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उचित पुनर्वास के लिये पहले ही आवश्यक कदम उठा रहें हैं। सरकार और अधिक उपाय करने पर विचार कर रही है ।

पम्बन के ऊपर पुल

1415. **श्री म० प० स्वामी :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री मलाइछामी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्यूटिकौरिन के पत्तन परियोजना का उद्घाटन करते हुये क्या प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि वह पम्बन के ऊपर पुल बनाने के हक में है, जिससे रामेश्वरम से संचार सुविधाजनक हो जाय ;

(ख) यदि हां, क्या इस परियोजना को तीसरी योजना की अवधि में ही प्रारम्भ कर दिया जायगा ;

(ग) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं और कितना आर्थिक व्यय होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रधान मंत्री ने उद्घाटन पर भाषण देते हुये यह इच्छा प्रकट की थी कि रामेश्वरम को मुख्य स्थल से मिलाने के लिये एक पुल बनाना चाहिये और तीसरी योजना में इसको बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाय ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित पुल के स्थल का चुनाव और डिज़ाइन के बारे में ब्यौरे पर राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है । चालू योजना की अवधि ही में इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने का प्रयत्न किया जायगा । इस परियोजना पर लागत का अनुमान 200 लाख रुपये का है ।

Sale of Adulterated Sugar in Delhi

1416. Shri Kishen Pattnayak : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that coal and sand is mixed in the sugar which is being sold in Delhi especially in the shops in Karol Bagh area ;

(b) whether any enquiry has been conducted ; and

(c) the result of the enquiry and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c) An enquiry was conducted into this complaint in the 1st week of December and it was found that the sugar on sale in Karol Bagh area at that time contained some particles of dust and coal. Suitable measures are being taken to prevent this in future.

केरल में आदिम जाति विकास खंड

1417. क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1961–62 और 1962–63 के दौरान कितने आदिम जाति विकास खंड सम्मोदित हुये ;

(ख) कितने खंड अभी तक खोल दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) 1961–62..... 1 खंड
1962–63.....शून्य ।

(ख) केवल एक ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सम्मोदित खंड चालू हो गया है ।

पशुओं की नस्ल में सुधार

1419. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम सेचन द्वारा अथवा चारे के सुधार द्वारा पशुओं की नस्ल में सुधार करने के लिये क्या कोई कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है जिससे दिल्ली में दूध की स्थिति में सुधार हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शहानवाज खां) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा हाल ही में परियोजित विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1964–66 के दौरान दिल्ली में प्रकृष्ट पशु विकास खंड की स्थापना की 63.34 लाख रुपये की योजना अनुमोदित हो गई है। इस योजना में 90,000 प्रजनन-योग्य गाएं और भैंसें आ जायेंगीं और नियंत्रित प्रजनन, बड़े पैमाने पर बिधया करके, उपदान द्वारा बछड़ों का पालन पोषण, रोग नियंत्रण आदि आदि द्वारा पशुओं का विकास और दूध के उत्पादन में वृद्धि की जायगी।

चीनी के कारखाने

1420. **श्री दे० शि० पाटिल :**
श्री तुलसी दास जाधव :
श्री शिवाजीराव शं देशमुख :
श्री कांबले :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के परथनी जिले में डोंगरगढ़ और बस्मथनगर में सहकारी चीनी कारखाने के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र कब से लम्बित है; और

(ख) देरी के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) महाराष्ट्र राज्य के परभनी (न कि परथनी) जिले के (1) डोंगरगढ़ और (2) बस्मथनगर में सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने के लिये लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र क्रमश : मार्च 1963 और जनवरी, 1964 को दिये गये थे।

(ख) चीनी उद्योग में लाइसेंस दुबारा देने का निश्चय जून 1963 में किया गया था। जो 229 आवेदन पत्र जिनमें उपर्युक्त दोनों आवेदन पत्र भी शामिल हैं 29–2–64 तक प्राप्त हुए थे, उनकी जांच इसके पश्चात आरम्भ की गई थी। इतने सारे आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच पर, स्वाभाविक है, कि समय लगेगा।

हलदिया में मछली पकड़ने की पत्तन

1421. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य** और **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में मछली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या सरकार हलदिया में मछली पकडने की पत्तन बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक सर्वेक्षण और नमूने के परिक्षण के पश्चात कलकत्ता पत्तन का आयुक्त खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से इसका ब्यौरा तैयार करेगा।

मध्य प्रदेश में चावल की मिलें

1422. **श्री उइके :**
श्री बाबूनाथ सिंह :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या **खाद्य** और **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से मध्य प्रदेश में चावल की मिलें स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्न का आयात

1423. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष नवम्बर 1964 तक आस्ट्रेलिया, बर्मा और अमरीका से कुल कितनी गेहूं, चावल और मक्की आयात की गई, और रुपये में उसका मूल्य क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(मात्रा 000 मीट्रिक टनों में)

	गेहूं	चावल	मक्की
आस्ट्रेलिया	255.5	शून्य	शून्य
बर्मा	शून्य	151.9	शून्य
अमरीका	4690.2	293.8	शून्य
कुल	4945.7	445.7	शून्य

उपर्युक्त खाद्यान्न का मूल्य लगभग 227.08 करोड़ रुपये है ।

सहायक खाद्य

1424. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार इस बात का आयोजन कर रही है कि मछली मांस और सब्ज़ियों का अधिक प्रयोग हो जिससे गेहूं और चावल की खपत कम हो;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) सहायक खाद्यों की जैसे मछली, मांस और सब्ज़ियों को लोकप्रिय बनाने का सरकार का विचार है जिससे कि अन्न का अत्याधिक उपभोग न हो और इसके साथ साथ संतुलित आहार से पोषण में भी सुधार हो । सरकार इस अभियान का चल खाद्य और पोषण विस्तार नैनों, खान पान टेकनौलोजी और प्रयुक्त पोषण संस्था द्वारा संगठन करना चाहती है; वह प्रचार का सामान्य तरीकों का भी प्रयोग करेगी जैसे कि इश्तहारों का छपवाना, चलचित्र, प्रदर्शनियों में भाग लेना, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं द्वारा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोयम्बटूर कैम्प के शरणार्थियों पर पोलिस द्वारा गोली चलाये जाने का समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"कोयम्बटूर के एक कैम्प में शरणार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का कथित समाचार जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मरा और बहुत से घायल हुए।"

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मुझे कोयम्बटूर में मद्रास राज्य सरकार प्रशासन के अधीन खोले गये शिबिर में इस दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुःख हुआ। जिन परिस्थितियों में यह गोली चलायी गई इसके सम्बन्ध में पूर्ण ब्योरा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ज्यूंहि 14 दिसम्बर के प्रातःकाल के दैनिक पत्रों में यह समाचार पाया गया, गृह विभाग मद्रास सरकार तथा कलेक्टर कोयम्बटूर से टेलिफोन पर बातचीत की गई। कलेक्टर तथा उपआरक्षक-महानिरीक्षक दोनों ही घटना स्थल पर गये।

कलेक्टर से जो हमें प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई उस से ऐसा प्रतीत होता है कि शिबिर में एक पुलिस कर्मचारी तथा विस्थापितों के समूह में कुछ झगड़ा हुआ। विस्थापितों ने संतरी का पीछा किया किन्तु ड्यूटी वाले संतरी ने उस पर प्रहार करने से रोका। इस पर विस्थापितों ने संतरी पर पत्थर आदि चलाने आरंभ कर दिय, जिससे उसे सिर पर चोट आई और उसकी एक उंगली भी टूट गई। संतरी ने आत्म रक्षा के लिये गोली चलाई जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा एक घायल भी हुआ। घायल व्यक्ति तथा संतरी दोनों को हस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। गोली चलाने के लिये किसी भी सरकारी अधिकारी ने आदेश नहीं दिया था। चूंकि कानून तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। जांच के पूरा होने पर ही घटना के ब्योरे का पूर्ण पता चलेगा। शिबिर में अब शांति है तथा किसी और घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान 14 दिसम्बर के हिन्दी समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि शिबिर में रहने वाले शरणार्थियों का यह कहना है कि इस पुलिस कर्मचारी ने एक स्त्री से दुर्व्यवहार किया और इसी कारण इन लोगों ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया ?

श्री त्यागी : इस मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने शिबिर में रहने वाले शरणार्थियों से बातचीत भी की थी। क्योंकि वह बंगाली भाषा नहीं जानते इसलिये वह इस दुर्घटना के ठीक ठीक कारण न समझ सके। परन्तु उन्हें ऐसी कुछ बात प्रतीत हुई। फिर पुलिस कर्मचारी द्वारा दिया गया बयान भी है। उसका कहना है कि वह एक स्त्री को किसी बिमार बच्चे को उठाने के लिये आग्रह कर रहा था और वह अपने आप को ठीक प्रकार अभिव्यक्त नहीं कर सका। उस स्त्री ने उसे गलत समझा और इसी कारण वहां झगड़ा हो गया। इन दोनों बयानों में से कौन सा ठीक है यह मैं नहीं कह सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उस पुलिस कर्मचारी को नौकरी से मुअत्तिल कर दिया गया है ?

श्री त्यागी : मजिस्ट्रेट इस बारे में जांच कर रहे हैं और जांच के परिणाम आने के पूर्व मेरे लिये कुछ कहना कठिन होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : (गूरदासपुर) : एक व्यक्ति के मारे जाने का समाचार है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को सहायता देने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

श्री त्यागी : अभी तक तो कोई उपाय नहीं किये गये हैं। कल ही तो इस दुर्घटना का समाचार आया है।

श्री हेम बरूआ : एक ओर तो पुनर्वास मंत्री न देश के विभाजन के समय अल्पसंख्यक वर्ग को दिये गये आश्वासन की उपेक्षा करके ऐस व्यक्तियों को शरणार्थी मानने से इंकार किया है जो प्रव्रजन प्रमाणपत्र लेकर नहीं आए हैं और दूसरी ओर पुनर्वास मंत्री यह चाहते हैं कि यह व्यक्ति, जो अपनी जान और सम्पत्ति जोखिम में डाल कर भारत आए हैं, गोलिया खाएं। इस संदर्भ में . . .

श्री त्यागी : मैं ने ऐसा नहीं कहा है। मैं इस से सहमत नहीं हूं।

श्री हेम बरुआ : इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को यह आदेश क्यों नहीं दिया है कि वे इन अभागे लोगों पर, चाहे कैसी ही परिस्थिति और कितनी ही उत्तेजना क्यों न हो, गोली न चलायें ?

श्री त्यागी : माननीय सदस्य मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं ने कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

उड़ीसा चावल वसूली (शुल्क) आदेश

अध्यक्ष महोदय : श्री० दा० रा० चव्हाण, सम्बंधित मंत्री क्यों चले गये हैं। कुछ समय पूर्व तो वह यहीं थे।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यदि आप अनुमति दें तो मैं यह पत्र सभा के पटल पर रखूं। श्री दा० रा० चव्हाण की ओर से मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 के अन्तर्गत दिनांक 1 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1738 में प्रकाशित उड़ीसा चावल वसूली (शुल्क) आदेश 1964 की एक प्रति सभा के पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3619/64]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है : –

(एक) कि राज्य-सभा अपनी 11 दिसम्बर, 1964 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 4 दिसम्बर 1964 को पारित किये गये हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1964 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1964 को पारित किये गये विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1964 के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमती चन्द्रशेखर द्वारा 11 दिसम्बर, 1964 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि यह सभा वर्ष 1962–63 के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर, 1964 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में रुचि दिखाने के लिये मैं दोनों ओर के सदस्यों का बहुत आभारी हूं । संसद के लिये यह उचित ही है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं को हल करने में प्रमुख रूप से भाग ले । परन्तु मैं बिना किसी संकोच से यह कहुंगा कि छात्रवृत्तियां और अन्य दूसरी प्रकार की सहायता देकर इन लोगों की समस्याओं को हल करने का यह तरीका जो हमने अपनाया है वह गलत है । इस तरीके से इन लोगों का, जिनके उत्थान के लिये हम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं, भला नहीं होगा । हमें एक गतीशील नीति बनानी होगी जिससे कि इन लोगों का आर्थिक उत्थान हो । आर्थिक समस्या ही इन लोगों की बड़ी समस्या है और इसी के कारण इनको छात्रवृत्तियों और अन्य दूसरी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है । सामाजिक निर्योग्यतायें विधान तथा प्रचार द्वारा हटाई जा सकती हैं परन्तु आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिये हमें और उपयुक्त उपाय करने होंगे । हमें उनको निर्वाह मजूरी देनी होगी और यह उसी समय हो सकता है जब हम उनकी आय और उत्पादिता को उसी स्तर पर ले आयें जो कि दूसरी जातियों के लोगों का है । इस समय हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि हम जन साधारण की आय बढ़ाने के उपाय सोचे बल्कि हमारे सामने विशेष प्रश्न यह है कि हम अधिकाधिक प्रयत्न करके इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की आय इतनी बढ़ायें कि वह एक औसत भारतीय नागरिक की आय के बराबर हो जाये । संसद और सरकार के सामने आज सबसे बड़ी समस्या यही है । इस समस्या का हल छात्रवृत्तियां आदि देने से नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में अच्छे उपकरण, कृषि सम्बन्धी ज्ञान, अच्छे बीज, पोषणक्षम खेत और विपणन सुविधायें दे कर इन पिछड़े हुये लोगों का आर्थिक उत्थान करने से होगा । हमें इस समस्या का हल विचारशील ढंग से और भूमि और रुपये आदि के अपने सीमित साधनों को देख कर करना होगा । और साथ साथ यह बात भी नही भूलनी होगी कि हमें शीघ्रातिशीघ्र इन लोगों का उत्थान करना है । हमें यह ध्यान रखना है कि हम इस बारे में भावुक न बनें । यह समस्या के वल अनुसूचित जातियों के लोगों की ही समस्या नहीं है बल्कि सारे देश के लोगों की समस्या है । आज हमें इस बात पर गर्व होना चाहिये कि जो समस्या जातपात का यह भेदभाव करके हमारे पूर्वजों ने खड़ी की थी और जिसको हल करने के लिये विदेशी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये, उसे हल करने का दायित्व हमारे ऊपर आया है । हमें इस समय यह नहीं देखना है कि इन दोषों और समस्यायों के क्या कारण हैं बल्कि आज हमें, संसद में या संसद से बाहर, मिलजुल कर इन समस्याओं को ईमानदारी से और विचारशील होकर हल करना है ।

जैसे मैं ने पहले भी कहा, आर्थिक समस्या ही इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है । हम इनके लिये स्कूल खोल रहे हैं । पृथक् स्कूल नहीं, बल्कि इन लोगों को भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ना पड़ता है जो अन्य दूसरे भारतवासियों के लिये हैं ताकि ये बच्चे अन्य दूसरे बच्चों से घुलमिल जायें और यह न समझें कि वे अनुसूचित जातियों के बच्चे हैं । यदि हम पृथक् स्कल खोलेंगे तो उनकी यह हीन भावना

[श्री अ० कु० सेन]

दूर नहीं होगी। परन्तु जहां तक उनकी आर्थिक समस्या का सम्बन्ध है इस बारे में इन के लिये पृथक् प्रबन्ध केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि यह प्रबन्ध शीघ्र होना चाहिये। इससे कोई भेदभाव की भावना उत्पन्न नहीं होगी बल्कि इन लोगों का आर्थिक उत्थान शीघ्र होगा। इन जातियों के लोगों में अधिकतर कृषक हैं। इसी लिये हमें इनको और अन्य लोगों की तुलना में कम ब्याज पर कृषि ऋण, सस्ते दामों पर कृषि उपकरण और अच्छी किस्मे के बीज देने चाहियें। इन लोगों के लिये कृषि ऋण की शर्तें वही नहीं होनी चाहियें जो अन्य ऐसे लोगों के लिये हैं, जो इन जातियों में नहीं आते। इन लोगों के आर्थिक विकास के लिये हमें कृषि ऋण सम्बन्धी शर्तों को इतना कड़ा नहीं रखना होगा। इसी कारण सरकार ने ऋण सम्बन्धी सहकारी समितियों और आदिमजाति क्षेत्र में श्रमिक सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने की नीति को स्वीकार कर लिया है। इन लोगों को ऋण देने के लिये सरकार ने प्रतिभूति व्यवस्था को आसान करने की नीति को भी स्वीकार कर लिया है। परन्तु यह व्यवस्था भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न हो सकती है और यह किसी विशेष क्षेत्र की कृषि सम्बन्धी अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियों, खेतों और उनकी प्रतिभूति दे सकने की क्षमता पर निर्भर करती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझे अवसर देंगे कि मैं विशेषज्ञों द्वारा इस सम्बन्ध में अध्ययन कराऊं। हमें इन लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिये पथक् सहकारी उधार समिति स्थापित करनी होगी। अब तक इस बारे में उठाये गये ठोस कदम अपर्याप्त रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि इन जातियों के लोगों के लिये कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिय ऋण उपलब्ध कराने के बारे में अभी बहुत थोड़ा कार्य किया गया है। इस के लिये हमें सहकारी उधार समितियों का विकास करना होगा और इस बारे में इस सत्र की समाप्ति पर राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का मेरा विचार है। जिन सुविधाओं के बारे में मैं कह रहा हूं वे शिल्पकारों, भूमिहीन श्रमिकों और ऐसे लोगों के लिये भी हैं जो खेती का काम नहीं करते।

दूसरा प्रश्न उनको कृषि के बारे में पर्याप्त ज्ञान, अच्छे बीज, विपणन सम्बन्धी सुविधायें और घर आदि उपलब्ध कराने का है। इसके पश्चात् इन लोगों को प्रवीण श्रम और शिल्पकारी का प्रशिक्षण देने का प्रश्न आता है। आजकल हमारे कारखानों में इन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिये हम उन्हें काफी सहायता दे रहे हैं और वे भारी तादाद में हमारी तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण पा रहे हैं। उन्हें आजकल कारखानों में इंजीनियरी के पद मिल रहे हैं और वे प्रवीण श्रमिक के पदों पर भी काम कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है कि श्रणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन और श्रेणी चार की असैनिक सेवाओं में ही नहीं बल्कि सरकारी उपक्रमों में भी इन लोंगों की संख्या बढ़ रही है। हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे ये लोग वैज्ञानिक, डाक्टर और इंजीनियर आदि बनें। ऐसी नीति अपनाने से इन जातियों का उत्थान ठीक प्रकार हो सकेगा और यह अन्य दूसरी जातियों के स्तर पर आ सकेंगी। जब इन जातियों के उत्थान के बारे में उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कहा जाता है तो इनके आर्थिक विकास के सम्बन्ध में बहुत कम कहा जाता है और छात्रवृत्तियों और सरकारी नौकरियों आदि के बारे में बहुत कुछ। नौकरियों और छात्रवृत्तियों से इन जातियों का उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिये हमें इस बात पर ज़ोर देना है कि इन जातियों को ऐसी सहायता और शिक्षा दी जाये जिससे ये अपने जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के योग्य हो सकें। मेरे विचार में इनकी दशा में सुधार करने के लिये अभी हम संतोषजनक उपाय नहीं कर रहे हैं और हमें इस संबंध में अपनाई गई नीति में बहुत परिवर्तन करने होंगे।

जहां तक अस्पृश्यता का सम्बन्ध है, यह हर्ष की बात है कि यह हट रही है और कुछ ऐसे क्षेत्रों को छोड़ कर जहां अभी भी ठाकुरों का राज्य है और जहां इन जातियों के लोगों को कुएं से पानी भरने आदि पर सज़ा दी जाती है, भारत के कई भागों से सामान्यत: हट गई है।

यह सच है कि प्रचार के लिये गैर-सरकारी अभिकरणों को दिये जाने वाले धन का प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस लिये हमें यह सोचना होगा कि उस धन का अधिक प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जा सकता है। हमें यह भी सोचना होगा कि हम अन्य किन तरीकों से अपना प्रचार कार्य बढ़ा सकते हैं।

[श्री अ० कु० सेन]

यह ठीक ही कहा गया है कि हालांकि योजनाओं की कार्यान्विति पर काफी धन व्यय किया गया है परन्तु उसके संतोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं। चूंकि योजनाओं की कार्यान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर करती है इसलिये भी काफी दिक्कतें पेश आती हैं। राज्यों में विभिन्न विभाग इन कल्याण कार्यक्रमों की कार्यान्विति से संबंधित हैं। हम राज्य सरकारों के परामर्श से इस कार्यक्रमों की कार्यान्विति में अधिक समन्वय स्थापित करने के लिये कोई युक्ति निकालेंगे। हमें इस संबंध में एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है जिसे अपने निर्णयों का तुरन्त पालन कराने की शक्ति हो। हम ऐसे तंत्र के बारे में अभी सोच ही रहे हैं और वह राज्य सरकारों की सहमति से ही स्थापित किया जा सकेगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के लिये केन्द्र तथा राज्य दोनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कुल 53.45 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। उसमें से 49.75 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, अर्थात 93 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा चुका है। जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, उनके कल्याण के लिये निर्धारित राशि का 98 प्रतिशत से भी अधिक भाग व्यय किया जा चुका है। यह सारे देश की औसत है। वास्तव में कई राज्यों में शतप्रतिशत से भी अधिक राशि उपयोग में लायी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित राशि में से जो लगभग 4.5 करोड़ रुपये थी, 4.04 करोड़ रुपय उपयोग में लाये जा चुके हैं। मैं यह मानता हूं कि यह सारा धन इस जातियों के कल्याण कार्यों पर खर्च नहीं कियो गया है। कुछ मामलों में ऐसा हो जाता है और पता लगने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। गैर-सरकारी संस्थाओं के कुछ ऐसे मामले भी हमारी जानकारी में आये हैं कि विद्यार्थियों की शिक्षा आदि पर व्यय किये जाने के लिये मंजूर की गई राशि अन्य प्रयोजनों के लिये खर्च की गई है। ऐसे मामलों की स्वयं आयुक्त द्वारा जांच कराई जाती है और ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। अधिकांश मामलों में अनुदान देना बन्द कर दिया गया है अथवा अनुदान की राशि वापिस मांगी गई है। यदि धन के दुरूपयोग का कोई मामला सरकार की जानकारी में लाया जायेगा तो उसकी अवश्य ही जांच की जायेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

यह काफी हद तक ठीक है कि विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां देने में विलम्ब किया जाता है। इसी कारण से हमने राज्यों को यह भार सौंपा दिया था ताकि छात्रवृत्ति देने में विलम्ब न हो सके। फिर भी कुछ मामलों में देरी हो रही है। हम राज्य सरकारों पर यह जोर डाल रहे हैं कि वे अनुदानों का बिना विलम्ब भुगतान कर दें। हम उन्हें दो उपाय करने के लिये कह रहे है, अर्थात् कालिज अधिकारियों को छात्रवृत्तियों की पुनः अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि प्रत्येक वर्ष फिर से अवधि बढ़वाने में लगने वाले समय की बचत हो सके। दूसरे यह कि आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा भुगतान के आदेश जारी करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाय जिससे काफी समय की बचत हो सके। जहां तक छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, इस निमित्त केन्द्र द्वारा अधिकाधिक धन उपलब्ध किया जा रहा है। योग्य छात्रों को मैट्रिक से पहिले की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। इसके अच्छे परिणाम निकले है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित सभी स्थानों पर वे लोग नियुक्त हो गये है।

केन्द्र द्वारा आदिम जाति क्षेत्रों में जो कल्याण कार्य किये जाने चाहियें, उसके बारे में हमें कार्यकारी दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। उसने सिफारिश की है कि प्रत्येक आदिम जाति विकास खण्ड में एक हाईस्कूल होना चाहिये और 25 छात्रों के पीछे एक अध्यापक नियुक्त किया जाना चाहिये। महिला अध्यापिकायें अधिक संख्या में होनी चाहियें, प्रत्येक हाईस्कूल के साथ एक छात्रावास होना चाहिये और हाई तथा हायर सेकंडरी स्कूल बहुप्रयोजनीय स्कूलों के नमूने

[श्री अ० कु० सेन]

के होने चाहियें ताकि उनमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों में लग सके। कार्यकारी दल ने यह भी सिफारिश की है कि छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाया जाय ताकि विद्यार्थी स्कूल की वर्दी तथा अन्य आवश्यक उपकरण भी खरीद सकें।

इन जातियों के रोजगार संबंधी आंकड़े बहुत उत्साहवर्द्धक हैं। 1957 में प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जाति के केवल 44 व्यक्ति थे जबकि 1963 में उनकी संख्या बढ़कर 239 हो गई है। द्वितीय श्रेणी में 1957 में उनकी संख्या 290 थी जबकि अब यह 769 हो गई है। तृतीय श्रेणी में 1957 में संख्या 45,181 थी और वह अब 79,719 है। चतुर्थ श्रेणी में 1957 में 1,67,239 की तुलना में अब उनकी संख्या 1,86,674 है। चतुर्थ श्रेणी की 1957 की संख्या में भंगी भी शामिल हैं जबकि 1963 की संख्या में वे शामिल नहीं किये गये हैं और फिर भी संख्या में इतनी वृद्धि हो गई है। जहां प्रतिशतता का प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के पदों में वह 1957 में 0.71 थी और 1963 में बढ़कर 1.31 हो गई है। द्वितीय श्रेणी में उनकी संख्या 2.01 से बढ़कर 2.61 प्रतिशत और तीसरी श्रेणी में 7.03 से बढ़कर 7.07 प्रतिशत हो गई है।

अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में ये आंकड़े इस प्रकार हैं। प्रथम श्रेणी में 1957 में इनकी संख्या केवल 6 थी जो 1963 में 41 हो गई है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में उनकी संख्या 1957 में क्रमशः 56, 3990 तथा 18,497 थी जो 1963 में बढ़कर क्रमशः 111, 10,011 तथा 33,369 हो गई है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिये 1957 में प्रतिशत आंकड़े क्रमशः 0.10, 0.32, 0.62 तथा 2.44 थे जो 1963 में बढ़कर क्रमशः 0.23, 0.38, 0.89 तथा 3.14 हो गये हैं।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी शिक्षा के लिये विशेष सहायता देने की सरकार की नीति सफल सिद्ध हुई है। पहले आई० ए० एस० आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये इन जातियों के लोगों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते थे परन्तु अब वह स्थिति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रशिक्षण देने के लिये अलाहाबाद तथा बंगलौर में विशेष प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ताकि वे उच्च परीक्षाओं में बैठ सकें। ये प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णतया केन्द्रीय सहायता से चलाये जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भी हिदायतें दे दी गई हैं कि वे केन्द्रीय सेवाओं की तरह ही अपने यहां भी इन जातियों के लिये पद रक्षित करें।

जहां तक किसी जाति तथा आदिम जाति को अनुसूची में शामिल करने अथवा अनुसूची से निकालने का प्रश्न है, इस संबंध में निस्सन्देह ही एकसमान प्रणाली होनी चाहिये। परन्तु प्रत्येक राज्य में, वहां की परिस्थितियों की दृष्टि से, भिन्न भिन्न कसौटियां अपनाई गई है। अनुसूचित आदिम जातियों के लिये हमारी दो कसौटियां हैं, अर्थात् उनका अलगाव तथा आदिम जाति के लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना। अनुसूचित जातियों के लिये हमारी कसौटी अस्पृश्यता तथा अन्य कमियां हैं। इन्हीं कसौटियों के आधार पर उन्हें अनुसूची में शामिल किया जाता है। हमें कुछ लोगों से इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अमुक जाति को अनुसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा अमुक को शामिल नहीं किया गया है। कई मामलों में एक जाति को किसी राज्य में अनुसूचित जाति समझा जाता है जबकि किसी अन्य राज्य में उसे अनुसूचित जाति नहीं समझा जाता है। हम इन सब शिकायतों की सुनवाई तथा किसी जाति को अनुसूची में शामिल करने संबंधी सिद्धान्त सुझाने तथा इस बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये परिसीमन आयोग की तरह का एक आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जैसे ही इस बारे में कोई निर्णय कर लिया जायेगा संसद् को उसकी जानकारी दे दी जायेगी।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि हम इन लोगों के आर्थिक उत्थान के मामले में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन लोगों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दशा सुधारने का काम मुझको सौंपा गया है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शिवमूर्ति स्वामी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा वर्ष में 1962-63 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर, 1964 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा अपनी 25 नवम्बर, 1964 की बैठक में स्वीकार किये गये और 27 नवम्बर, 1964 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से कि यह सभा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हों, सहमत है, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के इन 30 सदस्यों को मनोनीत किया जाये, अर्थात् :—

डा० मा० श्री अणे, श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी, श्री अ० इ० था० बैरो, श्री भक्त दर्शन, श्री युद्धवीर सिंह चौधरी, डा० पंजाब राव शा० देशमुख, श्री माधवराव लक्ष्मणराव जाधव, श्री गौरी शंकर कक्कड़, श्री हरे कृष्ण मेहताब, श्री महेश दत्त मिश्र, श्रीमती सावित्री निगम, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री सरजू पाण्डेय, श्री पुरुषोत्तम र० पटेल, श्री स० ब० पाटिल, श्री नटराज पिल्ले, श्री पोट्टेकाट्ट, श्री दे० द० पुरी, श्री रघुनाथ सिंह, श्रीमती रेणुका राय, श्री बालकृष्ण सिंह, श्री कृष्णपाल सिंह, श्री राजदेव सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद सिंह, श्री सिंहासन सिंह, श्री सुब्बारामन, श्री कमलानाथ तिवारी, महाराज कुमार विजय आनन्द, श्री राम हरख यादव, और श्री राम सेवक यादव"

चूंकि विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा विस्तारपूर्वक विचार किया जाये। अत: मैं इस समय कुछ मोटी मोटी बातों का उल्लेख करूंगा। सभा को भली भांति ज्ञात है कि कई वर्षों से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में गड़बड़ी की स्थिति बनी हुई है तथा उसका काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इन सब मामलों की जांच करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय स्वरूप कायम नहीं रहा है और इसे भी रिहायशी विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता है। विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार करने के लिये उस

[श्री मु० क० चागला]

समितिने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियक्ति तथा विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की भर्ती के तरीकों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह उचित समझा कि 9 जुलाई, 1958 को नयी अवधि के आरंभ होने पहले एक अध्यादेश लागू किया जाये। परिषद पर दबाव डालने वाले दलों को कार्यकारी दलों से हटाने के लिये तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में 'कोर्ट' के हस्तक्षेप को रोकने के लिये 14 जून, 1958 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया जिसे 20 सितम्बर, 1958 को संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया। विश्व विद्यालय में कठिनाई वास्तव में इस लिये उत्पन्न हुई कि कार्यकारी परिषद का काम करने का तरीका प्रभावहीन था। इसका दूसरा कारण यह भी था कि 'कोर्ट' ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में अनुचित ढंग से हस्तक्षेप किया।

इस बारे में मई 1961 में सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था किन्तु उस पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्तमान संशोधन विधेयक भी उसी के आधार पर तैयार किया गया है। किन्तु पहले पुरःस्थापित किये गये विधेयक में अनेक संशोधन किये गये हैं। हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये एक उत्तर विधान बनाने के बारे में सलाह देने के एक समिति नियुक्त की है। हमारा इरादा यह है कि जो नमूने का विधेयक तैयार किया जा रहा है उसे इस आशा से सभी राज्यों को भेजा जाय कि वे अपने विश्वविद्यालयों सम्बन्धी विधान को इसी प्रकार का रूप दें। यही कारण है कि हमने नमूने के विधेयक सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं की। समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये मैं सभा से क्षमा चाहता हूं।

पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो उनका मुख्य उद्देश्य रिहायशी विश्वविद्यालय बनाने का था। सरकार ने विश्वविद्यालय के इस महत्वपूर्ण स्वरूप को बनाये रखने का भरसक प्रयत्न किया है। अब विधेयक में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि भविष्य में विश्वविद्यालय किसी कालेज अथवा संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा किन्तु जो कालेज अथवा संस्थायें विश्वविद्यालय के साथ पहले से सम्बद्ध हैं उन्हें असम्बद्ध नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी छात्रावासों में रहते हैं। आशा है विश्वविद्यालय में अधिक संख्या में छात्रावास खोले जायेंगे ताकि यह पूर्णरूप से रिहायशी विश्वविद्यालय बन सकें।

विधेयक दूसरा महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कोर्ट को विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्रधिकार बनाया जा रहा है किन्तु उसकी शक्तियां स्पष्टतः निर्धारित की गई हैं। मुख्तः शक्तियां इस प्रकार हैं :

(एक) विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर समीक्षा करना ;

(दो) विश्वविद्यालय के विकास एवं सुधार संबंधी सामान्य उपायों का सुझाव देना ; और

(तीन) विद्या सम्बन्धी परिषद तथा कार्यकारी परिषद आदि विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारणों को उन कार्यवाहियों की समीक्षा करना जो उन कार्यों के अतिरिक्त हों जो ऐसे प्राधिकरणों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार किये गये हों।

कोर्ट विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा बजट पर भी विचार करेगा। वह बजट में परिवर्तन भी कर सकता है अथवा बिना किसी परिवर्तन को उसे पूरी तरह स्वीकार भी कर सकता है। किन्तु वह विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रशासन सम्बन्धी साधारण कार्यकारिणी परिषद को सौंपे जायेंगे।

विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि कोर्ट का पुनर्गठन किया जायेगा। दोनों वर्गों में संतुलन बनाये रखने के लिये कोर्ट, 43 सदस्यों का एक मिला जुला निकाय होगा जिनमें से 41 सदस्य विश्वविद्यालय से तथा शेष 42 सदस्य विश्वविद्यालय से बाहर के होंगे। यह प्रतिनिधित्व सामान्यतः बराबर होगा।

संशोधन अध्यादेश के अन्तर्गत 1958 में विश्वविद्यालय के कार्य की समीक्षा करने के लिये नियुक्त की गई समिति को समाप्त किया जायेगा। समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ।

इस समय उपकुलपति की पदावधि 6 वर्ष की है और इसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान विधेयक के उपबंध के अनुसार इस पदावधि को घटाकर 5 वर्ष करने का विचार है किन्तु वह दूसरी पदावधि के लिये पुनः नियुक्त किया जा सकेगा। हमने इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया और इस परिणाम पर पहुंचे कि यदि कोई उपकुलपति बहुत अच्छा काम करता है तो उसे पुनः नियुक्त करके प्रोत्साहन देना चाहिए।

विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। अतः हमने इसे दूर करने के लिये उपकुलपति को कुछ विशेष शक्तियां देना उचित समझा। अब विधेयक में एक महत्वपूर्ण उपबन्ध यह किया गया है कि यदि उपकुलपति विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये आवश्यक समझे तो उसे किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय से निस्कासित करने की शक्ति होगी।

वर्तमान विधेयक में 'प्रोवोस्ट' तथा 'चीफ रेक्टर' के पद समाप्त करने का उपबन्ध किया गया है किन्तु 'रेक्टर' का पद बना रहेगा और इस पद को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सुशोभित करेंगे। वास्तव में 'रेक्टर' का पद एक सम्मान सूचक पद होता है।

भविष्य में विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष पूरे समय के लिये वैतनिक अधिकारी होगा। विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि विश्वविद्यालय केन्द्र-सरकार की अनुमति से ऋण ले सकेगा। विश्व-विद्यालय तथा अध्यापकों के बीच पैदा होने वाले विवादों को निबटाने के लिये भी मध्यस्थता की व्यवस्था की गई है ताकि अध्यापकों को इस प्रयोजन के लिये न्यायालयों की शरण न लेनी पड़े।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि विश्वविद्यालय में भाई भतीजा वाद न रहे और निर्पेक्ष भावना से कर्मचारी भर्ती किये जाये, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को चुनने का कार्य करने वाली प्रत्येक चयन समिति में 'विज़िटर' का प्रतिनिधि होना ही चाहिये, विधेयक में इसका भी उपबन्ध किया गया है।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को शिक्षा शास्त्रियों आदि के परामर्श से काफी विचार करके तैयार किया गया है। अतः इस को जनता का मत जानने के लिये परिचालित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त समिति में विधेयक पर विस्तारपूर्वक विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा (आनन्द): यह सरहनीय बात है कि समय की आवश्यकता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण विधेयक सभा के सामने लाया गया है। मैं इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे देश के धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय से "हिन्दू" तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से "मस्लिम" शब्द हटाय जाने चाहिए।

इस समय विश्वविद्यालय में स्नातक को डिग्री पाप्त करते समय विदेशी वेशभूषा के अनुसार वस्त्र पहनने पड़ते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि जब विश्वविद्यालय नये तरीके से कार्य आरंभ करे तो स्नातको को डिग्री लेते समय भारतीय वेशभूषा के अनुसार गण्वेश धारण करनी चाहिए।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों तथा लेक्चररों ने झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये थे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। इस समय एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है किन्तु सभा में गणपूर्त्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है। अब गणपूर्त्ति हो गई है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नरेंद्र सिंह महिड़ा : अत: प्रस्तावित संयुक्त समिति को इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये कि विश्वविद्यालय में नियुक्त किये जाने वाले प्रोफेसरों तथा प्राध्यापकों को प्रमाणपत्रों की जांच करने का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिये ताकि इस बात का पता चल सके कि प्रोफेसरों तथा प्राध्यापकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्र वास्तविक है या नकली।

विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अनुशासनहीनता के लिये केवल विद्यार्थियों को ही सर्वथा दोषी ठहराना उचित नहीं है। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वे भी हमारे बच्चे हैं। यह सच है कि वे भी आंशिकरूप में अनुशासनहीनता के लिये उत्तरदायी हैं। किन्तु हमें उन्हें इस प्रकार का तरीका सिखाने का प्रयत्न करने चाहिए जिससे वे अनुशासन में रहना सीखें। अनुशासन के लिये नैतिक एवं आत्मिक आदर्शों का प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है, अत: प्रस्तावित संयुक्त समिति में इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि विश्वविद्यालयों में होने वाली चर्चाओं तथा वाद-विवाद से राजनीति को कतई निकाल देना चाहिए। इससे विश्वविद्यालयों का वातावरण अच्छा रहेगा।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय एक रिहायशी विश्वविद्यालय है। रिहायशी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की ओर काफी ध्यान पड़ता है। घटिया किस्म का खाना मिलने, निर्वाह व्यय बढ़ जाने के कारण भोजन के लिये अधिक राशि देने तथा पुस्तकें आदि प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण विद्यार्थी अप्रसन्न होते हैं और वे अपनी शिकायतों को किन्हीं दूसरे तरीकों से व्यक्त करते हैं। अत: हमें इस प्रश्न पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री सुमत प्रसाद (मुजफ्फरनगर) : बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के संस्थापक इसे एक आदर्श विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय पर कुछ दल छाये रहते हैं और प्रोफेसरों तथा प्राध्यापकों का चयन भी सिफारिशों और दबाव के आधार पर किया जाता है। यह संतोष की बात है कि इस प्रकार की स्थिति को समाप्त करने के लिये कदम उठाकर अध्यादेश जारी किया। आशा है वर्तमान विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर विश्वविद्यालय की स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा।

शिक्षा मंत्री महोदय ने अभी बताया कि आदर्श विश्वविद्यालय समिति का प्रतिवेदन दिसम्बर के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा। समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय ने समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा क्यों नहीं की। आशा है प्रस्तावित संयुक्त समिति प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों से लाभ उठायेगी।

इस समय विभिन्न शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता व्याप्त है। मैं समझता हुं कि इस समस्या का हल चारित्रिक विकास करके किया जा सकता है। अत: विद्यार्थियों के चारित्रिक विकास की ओर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए, वर्तमान विधेयक के उपबन्धों से विश्वविद्यालय के स्तर को ऊंचा करने में काफी सहायता मिलेगी।

हमारे विश्वविद्यालयों में, कम से कम, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में, समान वेशभूषा होनी चाहिये जो हमारे रहन सहन के तरीके और हमारे महान देश की संस्कृति का प्रतीक हो।

वर्तमान विधेयक के उपबन्धों के लागू हो जाने पर विश्वविद्यालय में कोई भी वर्ग अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकेगा। फिर भी बहुत कुछ विश्वविद्यालय के वातावरण पर निर्भर करेगा। यह सराहनीय बात है कि विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि "विज़िटर" विश्वविद्यालय में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी बनाये रखेगा।

कोर्ट आफ डाइरेक्टर तथा कार्यकारिणी समिति के गठन सम्बन्धी उपबन्धों पर प्रस्तावित संयुक्त समिति द्वारा अधिक विस्तारपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

आशा है इस विधेयक के लागू हो जाने पर विश्वविद्यालय में काफी सुधार हो जायेगा ।

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad) : Mr. Deputy Speaker, it is unfortunate that a situation arose in the Banaras Hindu University which has necessiated to bring the present Bill before the House for discussion.

It is a well known fact that no legislation will serve any useful purpose till the teachers in any educational institution failed to got respect for themselves of the taughts.

It is again painful that the standard of our education has gone down and every one in an educational institution is after a higher post. It is a matter of concern that we proved unsuccessful to run the administration of our educational institutions and Universities on democratic lines.

It is not proper to give all powers to the Visitor of the University while on day-to-day routine powers are given to the Vice-Chancellor. Rector is also not given any power. Government should have given some power to him also.

It will be very much appreciated if a provision is made for imparting education in Indian culture alongwith religion.

A provision should also be made in the Bill that a person convicted of moral turpitude should not be at all appointed in the educational institutions.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : समझ में नहीं आता कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई है जबकि मंत्री महोदय के कथनानुसार आदर्श विश्वविद्यालय समिति का प्रतिवेदन इस महीने के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा । आदर्श विश्वविद्यालय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर इस विधेयक का कोई मूल्य नहीं रहेगा । जब सरकार ने इस मामले को छः वर्ष तक लटकाये रखा तो वह एक मास अथवा आगामी सत्र तक और प्रतीक्षा कर सकती थी । यह बात समझ में नहीं आती कि इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के परिणामस्वरूप बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की स्थिति में किस प्रकार सुधार हो सकेगा ।

शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रस्तुत विधेयक मुदलियार समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है । विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए हम निस्संकोच इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार करने के लिये इस प्रकार के प्रतिवेदन पर पूर्णतः निर्भर करना उचित नहीं है ।

यह ठीक है कि विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता है तथा अन्य कई प्रकार की अव्यवस्थता व्याप्त है किन्तु वहां इतनी बड़ी संख्या में पदाधिकारी रखने का औचित्य नहीं है । ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का वातावरण पैदा करने के बजाय सरकार ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के प्रशासन को नौकरशाही का रूप देने का प्रयत्न किया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भेदभाव पूर्ण बर्ताव किया जाता है । इस प्रकार का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय अपने आप में पूर्ण होने चाहिए और वे स्वयं ही अपनी समस्याओं को निबटा

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

सकें। उनके आन्तरिक कार्यों में किसी बाह्य प्राधिकरण का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के नाम से "हिन्दु" शब्द हटाया जाना चाहिये क्योंकि भारत जैसे धर्मनिर्पेक्ष राज्य में इस प्रकार के शब्द का कोई स्थान नहीं होना चाहिये।

मैं समझता कि विधेयक में प्रो-चान्सलर की नियुक्ति का उपबन्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक विश्वविद्यालय का कार्य उपकुलपति उचित ढंग से चला सकता है।

चूंकि उपकुलपति विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख है इसलिये विश्वविद्याल य में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिये उसे अधिक शक्तियाँ देना उचित है। किन्तु उसे इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए जितनी कि विधेयक में दी जा रही हैं। इन शक्तियों के दुरुपयोग होने की आशंका है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिये शक्तियां ठीक हैं किन्तु अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने से संबंधित शक्तियां उचित नहीं हैं क्योंकि अध्यापक को अपने विरुद्ध की गई कार्यवाही के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नही होगा।

प्रस्तावित धारा 16 (छ) में यह उपबन्ध है कि किसी ऐसी अधिकारी आदि के विरूद्ध जिसने सदभावना से कोई काम किया हो कोई ऐसा मुकदमा अथवा अन्य प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। मेरे विचार में यह अनावश्यक उपबन्ध है। इसके पारित हो जाने पर मनमाने ढंग से तथा अनुचित ढंगों से कई काम करने सम्भव हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य है कि पुस्तकाध्यक्षों और विभागों के अध्यक्षों को तो विश्वविद्यालय के अधिकारी स्वीकार किया गया है, परन्तु कालिजों के प्रिंसिपलों और मुख्य वार्डनों को पदाधिकारी नहीं माना गया हैं। मेरा तो यह मत है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्यों में अध्यापक का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उपकुलपति की पद अवधि पांच वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष होनी चाहिए। पांच वर्षका काल काफी लम्बा काल है। यह व्यवस्था की जा सकती है कि यदि आवश्यक समझा जाय तो एक व्यक्ति को पुनः इस पद के लिये चुना जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपकुलपति राधाकृष्णन आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुकूल ही नियुक्त किया जाय। उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित उपबन्ध पर पुनः विचार किया जाना चाहिए, ताकि डाक्टर की डिग्री देने के मामले में चोरबाजारी न हो सके।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मुझे इस बात का बहुत ही हर्ष है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हालात सुधरने जा रहे है। इस विश्व विद्यालय के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय, डा० राधाकृष्णन तथा श्री अमरनाथ झा जैसे महान पुरूषों का नाम जुड़ा हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक से वहां की स्थिति का सुधार हो जायेगा। इससे बनारस विश्व विद्यालय का गौरव स्थापित हो जायगा और वह देश में राष्ट्रीय महत्व की संस्था बन जायेगी। यह तो ठीक है कि वहा शिक्षा सम्बन्धी गतिरोध अब समाप्त किया जा रहा है। परन्तु इस बात का खेद है कि विधेयक में बनारस विश्वविद्यालय को बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय का नाम देकर देश में साम्प्रदायिकता का अनुमोदन किया गया है। इसमें हिन्दू नाम हटा दिया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के, जिन पर कि देश की विश्वविद्यालय शिक्षा पर कम की जाने वाली निधियों का बहुत अधिक भाग कम होता है। अतः इस कार्य संचालन की समीक्षा करने की दृष्टि से, एक समीक्षा समिति की स्थापना की जानी चाहिए। इस से देश में तथा देश के बाहर इन संस्थाओं द्वारा किये गये काम का विवरण सामने आयेगा। और यह भी पता लगाना चाहिए कि कुछ विशेष विश्वविद्यालयों को सरकार विशेष सहायता तथा सुविधायें क्यों दे रही है।

यह तो मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्री समय समय पर विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करते रहेंगे और यह देखते रहेंगे कि वहां किस प्रकार कार्य हो रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सम्पत्ति की जमानत पर ऋण लिये जाने से सम्बन्धित उपबन्ध से यह सिद्ध होता है कि विधेयक का प्रारूप वाणिज्यिक तथा

शिक्षा रहित भावना से तैयार किया गया है। इस प्रकार का उपबन्ध अन्य किसी भी इस तरह के विधेयक में विद्यमान नहीं है । अतः मेरा अनुरोध यह है कि यह उपबन्ध इस वर्तमान विधेयक में भी नहीं होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध यह है कि विधेयक के द्वारा विश्व विद्यालयों के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी रखने का उपबन्ध किया गया है। इस प्रकार अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में पदाधिकारी रखना बहुत आपत्तिजनक है। विधेयक में कुलपति के पद की तीन वर्ष की अवधि तथा उपकुलपति के पद की पांच वर्ष की अवधि का उपबन्ध किया गया है। मेरा मत यह है कि दोनों की पद अवधि बराबर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोर्ट में अध्यापकों के अधिक प्रतिनिधि होने चाहिये । बनारस विश्वविद्यालय में योग का एक विभाग भी होना चाहिए। यह खेद की बात है कि विश्वविद्यालय में ललित कला फैक्लटी में केवल एक संगीत विभाग है।

बनारस विश्वविद्यालय का गौरव केवल भारत में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर भी बढ़ना चाहिए। इस सच्चे अर्थों में विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : यह विधेयक 1958 से लटक रहा था, अच्छा है कि यह अन्ततोगत्वा आ ही गया । यह भी अच्छी बात है कि इसे हमारे शिक्षा मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तो ठीक ही है कि अच्छा होता कि 'हिन्दू' नाम साथ न लगा कर इसे बनारस अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम दे दिया जाता । यह उत्तम होता कि यदि विधेयक को बनारस केंद्रिय विश्वविद्यालय के नाम से सभा में लाया जाता । मेरा तो यह भी मत है कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नामो में केन्द्रीय शब्द रखा जाना चाहिए । लोगों को उनके नामों से ही पता लग जाना चाहिए कि ये विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन है ।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता का मूल कारण यह है कि उन्हें विश्व विद्यालयों में अपनाने के लिये आदर्श नहीं मिलते। कोई नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। मेरा निवेदन है कि सरकार को विश्वविद्यालयों में यह भावना पैदा करनी चाहिए कि इसे उन आदर्शों पर चलना है जिन के लिए कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। आज की स्थिति निराशाजनक हो सकती है। परन्तु मुझे यह आशा है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय को भारत की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का एक सजीव केन्द्र बना सकेंगे ।

ऐसा भी अनुभव किया गया है कि पुराने उपकुल पतियों ने नये लोगों से बहुत अच्छा काम किया था। इस का कारण यह है कि वर्तमान उपकुलपतियों का ध्यान अनेक प्रकार की गलत बातों में उलझा रहता है। जिस व्यक्ति को उपकुलपति नियुक्त किया जाये उससे यह अनुरोध किया जाये कि वह अपना सारा समय विश्वविद्यालय के काम में ही लगाये। इसके अतिरिक्त निर्वाचन व्यवस्था को या तो हटा दिया जाय अथवा इसे कम से कम महत्व दिया जाना चाहिए। मेरा मत यह है कि यदि ऐसा किया जाय तो विश्वविद्यालय का वातावरण काफी सुधर जायेगा।

एक प्रश्न और भी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अथवा एक अन्य व्यक्ति को छोड़ कर कोई भी अन्य उपकुलपति बनारस विश्वविद्यालय में अपनी पद अवधि पूरी नही कर सका। यह भी बड़े महत्व की बात है, इस की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री को यह समस्या भी हल करनी चाहिए, ताकि आगे कार्य शांति से चल सके।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : It is really sad that the conditions in the University founded by late Pandit Madan Mohan Malavia are deplorable. Government set up a Committee to go into the affairs of the Committee. On the reports of the Committee this amending Bill has come before the House . It has been suggested by some friends that word 'Hindu' should be removed from the

[Shri Kashi Ram Gupta]

name of the University. In the enthusiasm of secularism it has become a fashion in this country to dub 'Hindu' as connotation for Communalism. It is really strange that those honorable members who suggest that word 'Hindu' be removed still retain the donominational suffix along with their names. What about, Sharma, Verma, Chaturvedi and others? As long as you r etain it you have no right to say that the word 'Hindu' be removed. You must know that the word Hindu is not a religious term, it is 'Dharm' and Dharm is much wider a term than religion. Hindu is not a religion it is a Dharm.

[श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए ।]
[(Shri Surendra Nath Dvivedi in the Chair.)]

My hon. friends should understand that Hindu Dharam does not preach of communalism. I submit that word religion should be substituted with Dharam everywhere in the Bill. Due to the Party politic the situation went from bad to worst. The Bill primarily aims at ending the Party frictions there but I am of the opinion that this aim will not be achieved by the medium of this Bill. In the clause 5 of the Bill the difference between the Vedic and Hindu shastras have been created. This is a bad thing. There is no difference between the Hindu shastras and the Vedic shastras. It is wrong to say that all the Hindu shastras are not one. There is no Hindu is the country who has no faith in Vedas.

I shall unpress upon the members of the Select Committee that they should pay special attention to the nomenclature of the Bill. In the name of maintaining discipline wide powers have been given to the Vice-Chanceller. These powers can be misused at any time. Some suitable rules should be framed so that these wide powers may not be misused. It has been stated on the page five that a Committee of three persons will be appointed. Who will be the member of this Committee, who will be appointed by the visitor. I am of the opinion that if we scrutinise the Bill dispassionately in order to ascertain whether the proposed changes are sufficient enough to root out the group rivalries from the politic of the University, the answer will be in the negative.

It has also been provided in the Bill that a Committee of three persons will be appointed by the visitor for the selection of the Vice-Chancellor, but qualification of the three persons to be nominated on the Committee had not been specifically made clear. It should be made as clear as possible, then again the clause 13 referred to "ruler of an Indian State". The words "Indian State" should be substituted by the word "former Indian States". This is necessary in the present circumstances. I am also of the opinion that the joint Committee while considering the Bill, also keep in view the recommendations of the Committee formed to draft a Model University Bill, whose report is expected to be received shortly. In the end I again say that elimination of word Hindu is a serious thing and Government should not try to remove it without a serious thought.

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरूवल्ला) : मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जो इस देश में नयी जागृति पैदा हुई है, इसमें बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय का पूरा हाथ है। इस का निर्माण एक उद्देश्य से किया गया था। यह राष्ट्र और देश के लिए गौरव और स्फूर्ति का साधन रहा है। इस तरह की कोई संस्था जब गिरती है तो इससे सब को चिन्ता हो जाती है। सारा राष्ट्र उसके लिए सोचने लगता है।

इस दिशा में मेरा निवेदन यह भी है कि विधेयक को प्रस्तुत कराने में एक दिन की भी शीघ्रता नहीं की गयी। बनारस विश्वविद्यालय में 1958 में जिस प्रकार का संकट खड़ा हुआ था वह कई खराब तत्वों के चरम सीमा पर चले जाने का द्योतक है। विज़िटर द्वारा 1958 में विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करने के लिए जो मुदलियार समिति नियुक्त की गयी थी, उसने अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताया था कि विश्वविद्यालय षड़यन्त्रों, पक्षपातों, भ्रष्टाचारों तथा अन्य विचित्र प्रकार के विभिन्न अपराधों का अड्डा बना हुआ है। यदि यह तर्क भी प्रस्तुत किया जाय कि समिति ने प्रतिवेदन बड़े आवेश पूर्ण वातावरण में तैयार किया है तो भी वहां जो स्थिति है वह लज्जाजनक तथा असन्तोषजनक थी और वह निरन्तर बिगड़ती ही चली गयी। अन्त में 1958 में संकट पैदा हो गया।

उस समिति ने स्थिति का जो विश्लेषण किया है, उससे रोग का उपचार नहीं होता। जो कुछ भी हुआ हो, इस बात का पता करना चाहिए कि आखिर वह संकट क्यों पैदा हुआ और उससे वहां शिक्षा के स्तर पर क्या प्रभाव हो रहा है। क्या वहा दलबन्दी को समाप्त किया जा सकता है, अथवा नहीं।

इस विश्वविद्यालय के विश्वव्यापी तथा रिहायशी स्वरूप को बनाये रखने तथा शास्त्रीय विकास में सहायक आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य आवश्य ही प्रशंसनीय हैं। जिस विश्व-विद्यालय में विद्या संबंधी स्वातंत्रता की गारन्टी न हो वह विश्वविद्यालय कहलाने योग्य नहीं है। शास्त्रीय स्वातंत्र्य तथा शास्त्रीय स्वशासन के लिये कुछ मात्रा में प्रशासनिक स्वातंत्र्य परमावश्यक है। इसमें संदेह है कि विश्वविद्यातलय के केन्द्रीय स्वरूप और आकर्षण को बनाये रखने का तर्क केन्द्रीय नियंत्रण तथा अधिकार तंत्र में कुछ अंश तक भ्रांति न उत्पन्न कर दें।

विधेयक में विश्वविद्यालय के अधिकांश अंगों की रचना तथा अधिकारों में परिवर्तन के प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय की कोर्ट तथा उपकुलपति के अधिकारों में वृद्धि का प्रस्ताव के साथ हमें बताया गया कि कोर्ट को दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर विचार करने की शक्ति नहीं होगी। इसके अधिकारों में वृद्धि के कारण इसकी रचना अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। सभा व संयुक्त समिति को इस ओर ध्यान देना चाहिये और गठन में सुधार के रूप में इसके निर्वाचित भाग में वृद्धि पर विचार करना चाहिये।

कोर्ट में पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने वाले खंडों में से कुछ स्वागत करने योग्य हैं। लेकिन यह निसंदेह रूप से कोई नहीं कह सकता कि पंजीकृत स्नातकों की निर्वाचन के लिये अर्हताओं सम्बन्धी उपबन्ध वांछनीय हैं। उदाहरण के लिये वह उपबन्ध जिससे किसी विश्वविद्यालय का कर्मचारी या सदस्य प्रतिनिधि नहीं बन सकता। इस प्रस्ताव के औचित्य और बुद्धिमानी पर संयुक्त समिति को विचार करना चाहिये।

कार्यकारी परिषद् (एक्जीक्यूटिव कांउंसिल) में निर्वाचित अंश को तथा अध्यापकों के प्रति-निधित्व को कम किया जा रहा है। पहिले तो अध्यापक अकादमी परिषद् की स्थायी समिति के द्वारा अपनी कठिनाईयों को विश्वविद्यालय के ध्यान में ला सकते थे। अब इस समिति की समाप्ति से इसकी समस्या बनी रहेगी।

[श्री रबीद्र वर्मा]

मुझे आश्चर्य होता है कि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों मे अनुशासन सम्बन्धी उपकुलपति के अधिकारों में वृद्धि करने वाले उपबन्ध में खंड 7(ड़) की तरह अपील का अधिकार देना मंत्री महोदय ने क्यो नहीं आवश्यक समझा। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्युपकुलपति (प्रोवाइसचान्सलर) प्रभावोत्पक रुप से कार्य कर सके इसके लिये उसे असंदिग्ध गरिमा तथा अधिकार देने पडेंगे। विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की, जो प्रशासनिक अध्यक्ष, भूमिका स्पष्ट न करना भी एक बड़ी भारी भूल है। मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति सदस्यों द्वारा चिन्ता प्रकट किये हुए इन सब प्रश्नों पर ध्यान देंगी। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : जब हम 1964-65 में राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं तो यह पूर्णतया अविचारणीय है कि हम शिक्षा को साम्प्रदायिक आधार पर चलायेंगे। मेरे विचार से इस का नाम केवल बनारस का केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिये। विधेयक का मुख्य उद्देश्य स्वायत्तशासन को समाप्त कर विश्वविद्यालय को नया स्वरुप देना है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि यह विधेयक आदर्शक विश्वविद्यालय विधेयक का प्रारुप तैयार करने के लिये स्थापित समिति द्वारा प्रस्तावित आधार पर बनाया गया है। यदि ऐसा है तो हमे इस समिति की सिफारिशों की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इतने वर्षों के पश्चात एक महीने में प्रस्तुत विलम्बित प्रतिवेदन हमारे किसी उपयोग का न होगा।

[डा० सरोजनी महीषी पीठासीन हुई।]

[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair.]

हमारे बच्चों के मस्तिष्क में लोकतन्त्र की भावना पैदा करनी चाहिये। लोकतंत्र की प्रगति एकक्रम से हो सकती है यदि इसके पथ में हम कोई बाधा न डालें। शक्ति का एक व्यक्ति में या दल में केंद्रीकरण करना लोकतंत्र समाप्त करना है। यदि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या है तो इसके लिये उन्हे उत्तरदायित्व की भावना जागृत कीजिये तथा इसके लिये उनको उत्तरदायी बना दीजिये। इसी प्रकार प्रबन्धकों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को कुछ कार्य सौंप दीजिये और इसके लिय उन्हे उत्तरदायी ठहराइये। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस विधयक द्वारा मनोनीत करने की पद्धति प्रचलित करना लोकतं को समाप्त करना है और पूर्णतया अनुचित है।

इसी प्रकार उपकुलपति को विद्यार्थियों को विद्यालयसे निकाल देने की शक्ति देना ठीक नही है। ये स्कूलों के बच्चे नहीं है जो लोकतन्त्र तथा अनुशासन के महत्व को नही समझते। यदि विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे अधिकारों की आवश्यकता पड़े तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने में असफल हुए हैं। उन पर अधिक से अधिक उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से डालना चाहिये। लोकतंत्र के निर्माण का यही तरीका है अन्यथा जब वे जीवन में पदार्पण करेंगे तो हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं को असफल कर देंगे।

इस विधेयक में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व तथा चरित्र पर वास्तविक विचार, दृष्टिकोण व धारणा के निर्माण की छाप डालने वाली शिक्षा के उद्देश्य की ओर कोई संकेत नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य शास्त्रीय या किताबी ज्ञान नही होना चाहिए। इस तरह कैसे ऐसे नागरिकों का निर्माण होगा जिनमें लोकतंत्र की भावना तथा समाजवादी जीवनयापन का उत्साह हो। इस भावना की कमी अध्यापकों तथा प्राध्यापकों में भी है। कालीदास ने इनका वर्णन अपने एक श्लोक में किया। वे ज्ञान को बेचते हैं।

जिन आदर्शों पर पं० मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वे लुप्त हो गये हैं। मंत्री महोदय को इस सभा के सामने शिक्षा के इन ऊंचे आदर्शों तथा उद्देश्यों को सभा के सामने रखना चाहिये था और इसके लिये विश्वविद्यालय का नया रूप देने का प्रस्ताव रखना चाहिये था।

मैं नहीं समझ पाता कि चरित्र-निर्माण तथा नैतिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग क्यों नहीं बन सकते। ये शिक्षा के अभिन्न अंग हैं और अवश्य होने चाहिये। फिर हिन्दु धर्म का उल्लेख किया गया है। यदि धर्म की शिक्षा देनी है तो प्रत्येक धर्म का शिक्षण होना चाहिये। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है इसमें तामिल, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की शिक्षा भी दी जानी चाहिये। यहां कोई उपयोगी अनुसंधान कार्य नहीं हो रहा है। इंडोलॉजी का विषय भी समाविष्ट करना चाहिए। मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति इन सब बातों पर विचार करेगी और ये सब सुधार विधेयक में सम्मिलित कर लिये जायेंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Shri Ravindra Verma used a fine expression, academic freedom. On one hand it means the freedom to teachers in their pursuit of education. On the other hand it also means academic freedom to the students. I will cite the case of Germany in this connection where students enjoy freedom in the selection of their teachers, choosing their course of study, attending the classes, etc. As the teacher is always engaged in research, the student is tempted to hear him. I say so particularly because our debates on education and universities conclude with the attention on such worthless points as unnecessary management, discipline, expenditure instead of considering the basic point what does a University mean. Therefore, I wholly oppose this Bill.

This University was founded by late Malviyaji for the development of spirit of freedom and also for instilling in the youth sense for the creation of future India, which this University demonstrated by championing the cause of freedom struggle in 1942 when it freed Balia district from the control of the British. This is something which is beyond the comprehension of Shri Chagla. As against this, there is a class which has inherited bureaucracy, whose thinking is confined only to law and order state, which unfortunately the Education Minister represents.

The nomination and election of members to the Executive council have been badly mixed by the provision of the Bill and out of its 16 members 14 will be under the control of and subordinate to Government in some way or the other. There will be such Government subjection that in addition to the Executive Council even the Court will be under the control of the Government.

It has been stated that the Vice-Chancellor will be elected. But it is fully based on the Principle of nomination under the cover of election as most of the members of the Executive Council will be under the control of the Government. Thus Banaras University will be under the complete control of the Central Government. I warn all the Universities that if this experiment is successful, their autonomy will be certainly abolished.

What is autonomy ? What is a University ? It is a kind of world by itself in the life of nation. It should have its own management and freedom to explore new learnings and acquire knowledge. The principal test according to the report of Mudaliar Committee on Banaras University is the number of successful candidates in the I. A. S., belonging to it. Such a report should be burnt. In India the Universities have become centres of ignorance, illusion

[Dr. Ram Manohar Lohia]

and flattery and centres where clerks are produced. Why people go to the Universities ? They go for attaining prosperity from the personal point of view and from the national point of view to modernise if and to acquire talents and skills in the various fields such as engineering, legal practice etc. From the point of view of success as well as power in the present day world Mathematics is an important subject, in which all Universities are blank. Even the knowledge of ancient books is confined to looking into the almanac whereas Russians and Americans are firing rockets to the moon. If we realise the real purpose of a university, that of self-development and development of country, developing of professional skill and impact of doctrines of character, only then we can understand indiscipline.

The Central Government seems to be dedicated to the course of English and seems to be having apathy for Hindi, that is why this Bill has been brought forward. This University is surrounded by villages and poverty striken areas. The percentage of University students is 1½ as compared to 4, 3 or 7 in big cities on the border and Delhi. This University was developing into a revolutionary University which the Government did not like. In view of the poverty in the region and to encourage enrolment and success of students in large numbers the fees should be reduced.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मुझे उन दिनों की याद आती है जब 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के समय पं० मदन मोहन मालवीय ने एक बृहत् सभा में इस विश्वविद्यालय की स्थापना के अपने उद्देश्य रखे। स्वर्गीय श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अंग्रेजी तथा स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने गणित-शास्त्र पढ़ाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। भारत के लोगों के समक्ष इस विश्वविद्यालय का जो अभिप्राय रखा गया था वह केवल नियमित पाठ्यक्रमों का अध्यापन नहीं था बल्कि ऐसे युवकों का निर्माण करना था जिनकी भारत में, इसकी प्राचीन संस्कृति व परम्परा में तथा भविष्य में आस्था हो और जो इस देश को उन्नत देशों के पथ पर अग्रसर कर सकें। उन महान देशभक्तों की भावना थी आधुनिक भारत का निर्माण जिसके लिये उन्होंने सारा जीवन अर्पित कर दिया। अन्त में उनके प्रयत्नों से हमें कार्य आगे बढ़ाने में सफलता मिली। 1915 में पुरानी विधान परिषद् में यह विधेयक रखा गया और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

मेरे कुछ मित्रों का विचार है कि यह एक साम्प्रदायिक विश्वविद्यालय है। केवल शब्दों पर ध्यान देने से ऐसा मालूम पड़ता है। यदि हम पुराने अधिनियम की धारा 3(3) की ओर ध्यान दें तो पता चलेगा कि केवल हिन्दु अध्यात्मवाद के एक विषय के अध्यापन के अतिरिक्त ऐसी कोई बात नहीं है जो साम्प्रदायिकता प्रदर्शित करती हो। इसी प्रकार धारा 4 से भी यह दृष्टिगत होता है कि विश्वविद्यालय में ज्ञानोपार्जन तथा अध्यापन की सुविधा सब सम्प्रदाय तथा जातियों को उपलब्ध होगी। पुराने विधेयक की सम्बन्धित धारा में सब धर्मों का उल्लेख है। इस प्रसंग में हिन्दु शब्द में हिन्दु ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैनी तथा सिक्ख भी सम्मिलित हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

आजकल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती है, परन्तु उनको अपने धर्म के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया जाता। ये विद्यार्थी न केवल अहिन्दु बन जाते हैं, बल्कि उनका किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रहता। इस चीज का सुधार करने के लिये श्री मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा में धर्मविद्या की भी व्यवस्था की; यह धर्म विद्या ऐसी थी जिसमें सभी धर्मों का सम्मिश्रण था। धर्म ही एक ऐसी चीज है जो एक विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करती है। एक और चीज जो चरित्र का निर्माण करती

है वह है वैदिक सिद्धान्तों में श्रद्धा। और इसी श्रद्धा में पंडित मदन मोहन मालवीया विद्यार्थियों का विश्वास जमाना चाहते थे। परन्तु धर्म शिक्षा का अध्ययन अनिवार्य नहीं है। अब जो खंड 4 का संशोधन किया जा रहा है उसके अनुसार किसी भी अवयस्क को धर्म शिक्षा देने के लिये उसके माता पिता अथवा संरक्षक की स्वीकृति लेना आवश्यक है। अतः किसी को भी धर्म शिक्षा के लिये बाध्य नहीं किया जा रहा। क्योंकि विश्वविद्यालय के साथ शब्द 'हिन्दु' लगा हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं कि यह किसी एक समुदाय का है। यही मुख्य विचार मैं सभा के सामने रखना चाहता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं श्री दी० चं० शर्मा से सहमत नहीं हूं कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से 'हिन्दु' शब्द हटा दिया जाय क्योंकि हिन्दु मत एक विशेष धर्म नहीं है बल्कि एक विश्वास हैं। हमें धर्म निरपेक्षता की ओर भी इतना अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये कि हम अध्यात्मिक मूल्यों को भी भूल जायें। महात्मा गांधी ने भी यह कभी नहीं कहा कि हम अपने धर्म को भूल जायें उन्होंने तो यह कहा था कि हमें विभिन्न धर्मों को समझना चाहिये। हमारी संस्कृति का सार ही धर्म है। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय का यह मुख्य उद्देश्य है कि युवकों का प्रशिक्षण और चरित्र निर्माण धर्म और नीतिशास्त्र के द्वारा होना चाहिये। और मुझे विश्वास है कि कई सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि कई समस्याएं जिनकों हम संसद् में या बाहर नहीं सुलझा सकते, धर्म द्वारा सुलझा सकते हैं। हमारी कुछ ऐसी भी भावनायें है जिनका समाधान धर्म की सहायता से ही हो सकता है। धर्म निरपेक्षता के दृष्टिकोण से देखते हुए "हिन्दु" और "मुस्लिम" शब्द प्रतिक्रियात्मक लगते हैं, परन्तु मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह काफी सोच समझ कर इस विषय में निर्णय करें। और जनमत भी इस विधेयक के पक्ष में है। 1958 में अध्यादेश की घोषणा के उपरान्त कई समाचार पत्रों के संपादकों ने भी अपना मत इस विधेयक के पक्ष में दिया है। सभी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विश्वविद्यालय में बहुत गिरावट आ गई है। मुदलियार समिति की नियुक्ति 20 जुलाई, 1957 को हुई थी और इसने अपना प्रतिवेदन अप्रैल, 1958 को पेश किया। इस प्रतिवेदन के अनुसार इस विश्वविद्यालय की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। विश्वविद्यालय के संविधान में दो मूल बातें थीं, एक तो यह अखिल भारतीय थी और दूसरे इसका रिहायशी रूप था। समिति के अनुसार अब इसमें दोनों बातें ही नहीं हैं। प्रवेश के लियें स्टैण्डर्ड को नीचा रख कर उन्होंने विश्वविद्यालय का स्तर बहुत नीचे गिरा दिया है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण, अध्यापकों में अनुशासनहीनता है। अध्यापकों का चुनाव भी उनकी कुशलता के अनुसार नहीं किया जा रहा था। प्रवेश के मामले में भी कई वर्गों का अधिक प्राबल्य था, जिससे विश्वविद्यालय के स्तर में अवनति हो रही थी।

इन सब बातों को ठीक करने के लिये सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। इसको अधिनियम बनाने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है। इसमें स्टैण्डर्ड को उचित स्तर तक लाने के लिये विश्वविद्यालय को काफी शक्तियां दी गई हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 16 दिसम्बर, 1964/25 अग्रहायण 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 16th December, 1964/Agrahayana 25, 1886 (Saka)

GIPN—S6—10 Lok Sabha/6519-7-65—600.